[2023] 7 एस. सी. आर 230

बिशंभर प्रसाद

वी.

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

(2023 का सिविल अपील सं. 2963 आदि)

अप्रैल 20,2023

[सूर्या कांत और विक्रम नाथ, जे. जे.]

औद्योगिक विकास-औद्योगिक भूमि-उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपील जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई थी-एक परिणाम के रूप में, राजस्थान राज्य की मंत्रिमंडल समिति द्वारा निर्णय, और इसके परिणामस्वरूप

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड ("आर. आई. आई. सी. ओ".) को कोटा, राजस्थान में औद्योगिक भूमि के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 को दी गई अनुमतियों और अनुमोदनों की एक श्रृंखला को रद्द करने के लिए जारी किए गए निर्देशों को दरकिनार कर दिया गया कि क्या बड़े पैमाने का औद्योगिक क्षेत्र (एल. आई. ए.), कोटा हमेशा राज्य सरकार के प्रबंधन और नियंत्रण में रहा है या यह

सरकारी आदेश के अनुसार आर. आई. आई. सी. ओ. को हस्तांतरित किया गया था 18.09.1979 – क्या आर. आई. आई. सी. ओ. के 1979 के नियम वैधानिक प्रकृति के हैं या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफलता।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा दी गई अनुमतियों/अनुमोदनों को रद्द करने के अपने निर्णय को दूषित कर दिया -

क्या राज्य सरकार आर. आई. आई. सी. ओ. के ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 138 के तहत रद्द करने का निर्देश देने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती थी-क्या कार्य के नियमों का पालन नहीं किया गया था-क्या वैध अपेक्षाओं और वादा रोकने का सिद्धांत इसके पक्ष में लागू होता है। प्रत्यर्थी संख्या 1-क्या अपीलार्थी संघ राहत के हकदार हैं-आयोजितः एल. आई. ए., कोटा के संदर्भ में राज्य सरकार और जे. के. एस. एल. या प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच पट्टेदार और पट्टेदार का एक निर्बाध और स्थायी संबंध था-1967 में निष्पादित पहले पट्टा विलेख से लेकर आज तक, राज्य सरकार ने पट्टेदार की स्थिति बनाए रखी है-जे. के. एस. एल. के साथ पट्टा, और उसके बाद जे. के. एस. एल. और/या प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सभी पट्टों पर 1959 के नियमों के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं-पट्टे की शर्तें स्पष्ट रूप से 1959 के नियमों के अनुपालन में हैं-एल. आई. ए., कोटा में भूमि को कभी भी सरकारी आदेश दिनांक 1 के तहत आर. आई. आई. सी. ओ. को हस्तांतरित नहीं किया गया था-राज्य सरकार ने हमेशा क्षेत्र का स्वामित्व और स्वामित्व बनाए रखा है।

230 बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स

पीवीटी। लिमिटेड। और ओआरएस।

1959 के नियमों के नियम 11 ए के तहत पट्टा आधार इस प्रकार, आर. आई. आई. सी. ओ.

1959 के नियमों के नियम 12 के तहत भूमि को स्पष्ट रूप से पट्टे पर देने का अधिकार कभी नहीं दिया गया था, और उसे अन्य संबंधित शक्तियों के साथ भूमि को आगे उप-पट्टे पर देने का कोई अधिकार नहीं था-किसी भी मामले में, 1959 के नियमों के नियम 11 ए का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नियम 11 ए और 12 के लागू होने के बाद पट्टे के आधार पर आर. आई. आई. सी. ओ. को भूमि का एक स्पष्ट आवंटन होना था-ऐसा कोई भी स्पष्ट आवंटन कभी भी आर. आई. आई. सी. ओ. के पक्ष में नहीं किया गया था-1979 के नियम वैधानिक प्रकृति के नहीं हैं।

भूमि और भूखंडों का उपखंड, 1979 के नियमों के तहत आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा एल. आई. ए., कोटा के पट्टेदार के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति की गलत धारणा पर था-आर. आई. आई. सी. ओ. को कभी भी भूमि पर कोई पट्टा अधिकार नहीं दिया गया था-जब किसी पक्ष द्वारा प्राप्त लाभ का आधार स्वयं है।

कला की परिधि। 138 संगठन के अनुच्छेदों का राजस्थान कार्य नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि उप-समिति जिसने प्रत्यर्थी संख्या 1 को अनुमतियों/अनुमोदनों को रद्द करने की सिफारिश की थी, वह पूरी मंत्रिपरिषद के लिए और उसकी ओर से कार्य कर रही थी-इसलिए, कार्य नियमों का पालन किया गया-कोई वैध अपेक्षा नहीं थी और न ही वादा किया गया था जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के लाभ के लिए काम कर सकता है, क्योंकि एक बार फिर, आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा शक्तियों के स्वयं के गलत उपयोग के आधार पर ऐसा कोई बचाव नहीं उठाया जा सकता है जो केवल एल. आई. ए., कोटा, जो कि राज्य सरकार है, के सही पट्टेदार के पास निहित है-इसके अलावा, सार्वजनिक हित इन दोनों सिद्धांतों को ओवरराइड करता है, और एक निजी पक्ष की सहायता के लिए नहीं आ सकता है, जब समाज के बड़े हित शामिल होते हैं-प्रत्यर्थी संख्या 1 और आर. आई. आई. सी. ओ. के बीच हस्ताक्षरित पूरक पट्टे अस्थिर होते हैं-आर. आई. आई. सी. ओ. के पास अधिकार नहीं था

इन समझौतों में प्रवेश करें, क्योंकि एल. आई. ए., कोटा में भूमि जेकेएसएल के साथ हस्ताक्षरित पहले पट्टे से लेकर वर्तमान तिथि तक निर्बाध रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में रही।

प्रत्यर्थी संख्या 1 इस तथ्य से भी अवगत था जैसा कि उसने [2023] 7 एस. सी. आर. में कलेक्टर, कोटा के साथ 7 हस्तांतरण पट्टा विलेखों में प्रवेश करके दर्शाया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2007 , जेकेएसएल के अधीन आने के बाद-जेकेएसएल के साथ पट्टों को 1959 के नियमों के तहत निष्पादित किया गया था जो लागू रहे और आर. आई. आई. सी. ओ. में कभी भी एल. आई. ए., कोटा में भूखंडों के रूपांतरण और उप-विभाजन की अनुमति जारी करने और उनके साथ पूरक पट्टा विलेखों पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं था।

प्रत्यर्थी संख्या 1-आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा लिए गए निर्णयों को दरकिनार करने या 2018 के पूरक पट्टों को रद्द करने का निर्देश देने में अपीलकर्ताओं की कार्रवाई में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं है-इसलिए, पूरक विलेखों को रद्द करना और अनुबंधों को रद्द करना।

भूमि के रूपांतरण और भूखंडों के उप-विभाजन के लिए अनुमोदन को बरकरार रखा गया है-हालाँकि, यह प्रत्यर्थी संख्या 1 को पुनः अधिग्रहण करने से नहीं रोकेगा।

राज्य सरकार से संपर्क करना और 1959 के नियमों के तहत भूमि के उपयोग और परिचर अनुमोदन के रूपांतरण की मांग करना-राज्य सरकार जनहित में और 1959 के नियमों के अनुसार इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी-अपीलकर्ता संघों के संबंध में, उनके लिए उचित सरकार और न्यायपालिका से कानून के तहत अपने उपचार की मांग करने का अधिकार होगा।

मंच-राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956। 100 राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959-आर. 11 ए और 12-आर. आई. आई. सी. ओ. भूमि निपटान नियम, 1979-आर. 20 ए, 20 बी और 20 सी-भारतीय संविधान। 166 - बीमार औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान)

अधिनियम, 1985 एस। 18 .

कंपनी कानून-एक अधिनियम द्वारा अस्तित्व में लाई गई कंपनियों और एक अधिनियम के तहत बनाई गई कंपनियों के बीच अंतर-आयोजितः कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी उक्त अधिनियम की रचना नहीं है, बल्कि यह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अस्तित्व में आई है।

नियम और विनियम-वैधानिक नियम की स्थिति

" किसी गैर-सांविधिक कंपनी के अनुच्छेदों के तहत अस्तित्व में लाए गए विनियमों को सांविधिक नियम नहीं दिए जा सकते हैं।

सिद्धांत/सिद्धांत-प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत उठाए गए कदम जो स्वयं दूषित हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने का आधार नहीं बन सकते हैं।

सिद्धांत/सिद्धांत-वचन संबंधी अवरोध-पर्यवेक्षण

लोक हित प्रतिज्ञात्मक बहिष्कार के आह्वान के खिलाफ वीटो के रूप में कार्य करता है।

बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः

चाहे एल. आई. ए., कोटा हमेशा राज्य सरकार के प्रबंधन और नियंत्रण में रहा हो या यह था सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 के अनुसार RIICO को हस्तांतरित किया गया?

1. राजस्थान राज्य और जे. के. एस. एल. के बीच पट्टेदार और पट्टेदार का संबंध तब तक निर्बाध रूप से जारी रहा जब तक जे. के. एस. एल.

एक 'बीमार कंपनी' घोषित की। उत्तरदाता संख्या 1 ने तब ए. ए. आई. एफ. आर. के आदेशों के तहत और एल. आई. ए., कोटा में भूमि के लिए श्रमिक संघों के साथ किए गए त्रिपक्षीय समझौतों के आधार पर जे. के. एस. एल. के स्थान पर कदम रखा। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि न तो दिनांक 9.10.2002 और 22.10.2002 के त्रिपक्षीय समझौतों के तहत, और न ही दिनांक 23.1.2003 की स्वीकृत पुनर्वास योजना के तहत, राज्य, जेकेएसएल के बीच पट्टेदार और पट्टेदार का संबंध, या प्रतिवादी संख्या 1, जैसा भी मामला हो, हमेशा बाधित रहा। राज्य और प्रत्यर्थी संख्या 1, या इसके पूर्ववर्ती जे. के. एस. एल. के बीच पट्टेदार और पट्टेदार के संबंध में कोई विराम नहीं है। 1959 के नियमों के साथ पठित 1956 के अधिनियम के तहत विधिवत शासित इस संविदात्मक संबंध को कभी भी स्पष्ट रूप से या अन्यथा समाप्त नहीं किया गया था और न ही इसे पूरक हस्तांतरण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

कार्य। राज्य सरकार और जे. के. एस. एल./आर. आई. आई. सी. ओ. के बीच पट्टेदार-पट्टेदार का संबंध बना रहा और सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 के आधार पर किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है।

[पैरा 40,41 और 48] [282-ई-जी; 283-ए-बी; 284-एफ]

क्या आर. आई. आई. सी. ओ. के 1979 के नियम वैधानिक प्रकृति के हैं?

2.1 . राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 11 ए के सरल शब्दों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निगम को आवंटित भूमि पर केवल प्रबंधकीय शक्ति हो सकती है। जैसा कि नियम 11 ए के तहत बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, आर. आई. आई. सी. ओ. को आवंटन विशुद्ध रूप से पट्टे के आधार पर किया जाता है, और स्वामित्व और स्वामित्व स्पष्ट रूप से राज्य के पास रहता है।

सरकार। आर. आई. आई. सी. ओ. औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों में राज्य के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य इस मामले में सर्वोपरि शक्ति बना हुआ है

गतिशील और RIICO इसके अधीन रहता है। राज्य और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच पट्टेदार और पट्टेदार के संबंध में [2023] 7 एस. सी. आर. है।

हर समय वैध रूप से अस्तित्व में रहा और आर. आई. आई. सी. ओ. को कभी भी सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था या 1959 के नियमों के नियम 11 ए और 12 के तहत, राज्य सरकार को दरकिनार करना और एल. आई. ए., कोटा के संबंध में पट्टेदार की स्व-शैली की भूमिका ग्रहण करना। जे. के. एस. एल. और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में क्रमशः 1967 और 2007 के पट्टा विलेख थे

1959 के नियमों के नियम 2 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा निष्पादित, आर. आई. आई. सी. ओ. के पास राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भूमि उपयोग को बदलने या भूखंड के उप-विभाजन की अनुमति देने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था, जो 1959 के नियमों के नियम 8 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी अनुमति देने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी है। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण कानून में स्पष्ट रूप से गलत है और 1959 के नियमों के प्रावधानों के गलत निर्माण पर आधारित है।

पक्षों के बीच बाध्यकारी द्विपक्षीय अनुबंध। [पैरा 50,52 और पैरा 58] [284-एच; 287-ई-एच; 285-एफ-जी]

2.2 . आर. आई. आई. सी. ओ. एक वैधानिक निकाय नहीं है। कंपनी थी

राजस्थान राज्य द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अस्तित्व में लाया गया, जिसमें 100% शेयर हैं। आर. आई. आई. सी. ओ. का अस्तित्व किसी क़ानून के कारण नहीं है, बल्कि इसे कंपनी अधिनियम के तहत बनाया गया है और यह इसके प्रावधानों के अधीन है। यह केवल कंपनी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है और इसके द्वारा नहीं बनाया गया है। 1959 के नियमों के नियम 12 में केवल यह कहा गया है कि आर. आई. आई. सी. ओ. को आवंटित भूमि पर निगम अपने 1979 के नियमों के अनुसार आगे काम करेगा। सबसे अच्छा, यह आर. आई. आई. सी. ओ. पर एक दायित्व लगाता है

अपने स्वयं के दिशानिर्देशों का पालन करें, जो उन्होंने अपने ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 93 के तहत जारी किए थे। आर. आई. आई. सी. ओ. के लिए 1979 के नियमों का पालन करने की बाध्यता उसके अपने ए. ओ. ए. से उपजी है जिसके तहत वे नियम अस्तित्व में आए थे। किसी भी तरह से, क्या यह 1979 के नियमों को प्रकृति में वैधानिक बनाता है। [पैरास 61, और 67] [288-ई-एफ; 291-एफ-जी]

प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा दी गई अनुमतियाँ/अनुमोदन? 3. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में प्रतिवादी संख्या 1 को अपने अधिकारों की रक्षा करने का अवसर देना शामिल था। हालांकि, सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण कारक यह है कि क्या कोई कानूनी रूप से निहित है।

‘ प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में अर्जित अधिकार, जिसे बिशंभर प्रसाद v.

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

राज्य सरकार अपनी पीठ पीछे लूट नहीं सकती थी। आर. आई. आई. सी. ओ. के पास प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित औद्योगिक भूमि के रूपांतरण और उप-विभाजन की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था। राज्य सरकार ने हमेशा अपने अधिकार बनाए रखे हैं।

पूरक पट्टा विलेखों पर आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा बिना किसी अधिकार के हस्ताक्षर किए गए थे। इसी तरह इसमें भूमि के उपयोग को वाणिज्यिक में बदलने की अनुमति देने और भूखंड को उप-विभाजित करने की अनुमति देने की क्षमता का अभाव था। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 के किसी भी कानूनी रूप से निहित अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है और इसका कोई अधिकार नहीं है। किसी मामले में सुनवाई का अवसर प्राप्त करने के लिए वैध आधार

सख्ती से आर. आई. आई. सी. ओ. और राज्य सरकार के बीच। [पारस 74 और 78] [295-बी-ई; 297-बी-सी]

क्या राज्य सरकार आर. आई. आई. सी. ओ. के ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 138 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्देश देने के लिए कर सकती थी।

रद्द करना?

4. राज्य सरकार ने आर. आई. आई. सी. ओ. को भूमि के उपयोग के रूपांतरण, भूखंडों के उप-विभाजन और अनुपूरक पट्टा विलेखों के लिए अपनी अनुमति वापस लेने का निर्देश दिया है।

प्रतिवादी नं. 1. आर. आई. आई. सी. ओ. के ये सभी कार्य उसके व्यावसायिक मामलों से संबंधित थे। चूंकि आर. आई. आई. सी. ओ. ने ये निर्णय लिए हैं

अपनी शक्तियों और पूरी तरह से अनधिकृत और अवैध तरीके से, राज्य सरकार ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 138 को लागू करने और आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा लिए गए अनधिकृत और गैरकानूनी निर्णयों को रद्द करने के अपने अधिकारों के भीतर थी। सत्ता को फिर से स्थापित करने के पीछे का उद्देश्य

ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 138 के तहत राज्य सरकार को [2023] 7 एस. सी. आर. को सक्षम बनाना है।

आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा अपने व्यावसायिक मामलों के संचालन में लिए गए निर्णयों को पूर्ववत और निरस्त करना, जो राज्य सरकार को जनहित के लिए अपमानजनक या अपनी ही नीति के साथ टकराव में लग सकता है। राज्य सरकार को अनुच्छेद 138 का सहारा लेने का अधिकार है, जहां उसे लगता है कि आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा व्यावसायिक मामलों का संचालन एक प्रमुख हितधारक के रूप में राज्य के हित के लिए हानिकारक है। [पैरा 81] [298-बी-डी]

क्या व्यापार के नियमों का पालन नहीं किया गया था?

5. इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य के नियमों में

काफी हद तक अनुपालन किया गया। पिछली सरकार के दौरान आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के लिए पूरे मंत्रिमंडल को आई. डी. 1 पर बुलाया गया था। इनमें उत्तरदाता संख्या 1 को पूरक पट्टे और संबंधित अनुमतियाँ शामिल थीं।

रीको। इसके बाद मंत्रिमंडल ने, जिसमें उद्योग मंत्री भी शामिल थे, एक अंतर-विभागीय समिति के साथ इन कथित अनियमितताओं की जांच के लिए तीन उप-समितियों का गठन किया। उद्योग मंत्री से आर. आई. आई. सी. ओ. से संबंधित प्रत्येक व्यक्तिगत मामले को देखने की अपेक्षा नहीं की जाती है क्योंकि इससे सरकार का पूरा काम-काज अव्यवहारिक हो जाएगा। यह विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं की जांच के लिए समितियों का गठन करने के लिए मंत्रिपरिषद के सामूहिक निर्णय को छोड़ देता है। द. विशिष्ट समिति जो आर. आई. आई. सी. ओ. और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में गैर-मौजूद शक्तियों के कथित दुरुपयोग की जांच करने के लिए अधिकृत थी, उद्योग मंत्री सहित पूरी परिषद का निर्माण था। इस संदर्भ में उप-समिति के कार्यों को मंत्री और बाकी परिषद द्वारा पूरी तरह से मान्य और समर्थित किया गया था। इस प्रकार, यह मानना मुश्किल है कि राज्य सरकार ने अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान कार्य नियमों का पालन नहीं किया है। [पैरा 85 और 90] [300-एच; 301-ए-बी; 303-ई-जी]

क्या वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत और

प्रोमिसरी एस्टोपेल प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में आवेदन करता है?

6. यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में कोई वैध अपेक्षा उत्पन्न नहीं हो सकती थी। कोई अंतर्निहित या स्पष्ट नहीं था राज्य सरकार द्वारा भूमि के रूपांतरण या भूखंडों के उप-विभाजन के लिए अपने अनुरोध के पक्ष में किया गया अभ्यावेदन। आर. आई. आई. सी. ओ. ने पूरी तरह से असमर्थनीय तरीके से, विशंभर प्रसाद बनाम की भूमिका संभाली।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

पट्टेदार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था और उसने अपेक्षित अनुमतियाँ जारी कीं। जाहिर है, इस तरह की मंजूरी के पास खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं थे क्योंकि वे किसी भी कानून के बल से रहित थे। एल. आई. ए., कोटा का पट्टेदार राज्य सरकार थी। जब इस मामले में पट्टेदार, आर. आई. आई. सी. ओ. की शक्तियों का प्रयोग करने का तात्पर्य रखने वाली संस्था, इस तरह से कार्य करने के लिए आवश्यक कानूनी स्थिति के बिना ऐसा करती है, तो प्रतिवादी संख्या 1 इन गलत कार्यों के लाभार्थी के रूप में, अपने पक्ष में किसी भी वैध अपेक्षा या प्रतिभूति की मांग नहीं कर सकता है। लोकहितक पर्यवेक्षण प्रतिज्ञात्मक अवरोध के आह्वान के विरुद्ध वीटो के रूप में कार्य करैत अछि। प्रत्यर्थी संख्या 1 पूरक पट्टा विलेखों को जारी रखने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। [पारस 93 और 96] [304-डी-एफ; 305-एफ]

निष्कर्ष

7.1 . प्रत्यर्थी संख्या 1 और आर. आई. आई. सी. ओ. के बीच हस्ताक्षरित पूरक पट्टे अस्थिर हैं। आर. आई. आई. सी. ओ. के पास नहीं था

इन समझौतों में प्रवेश करने का अधिकार, क्योंकि एल. आई. ए., कोटा में भूमि जे. के. एस. एल. के साथ हस्ताक्षरित पहले पट्टे से लेकर वर्तमान तिथि तक निर्बाध रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में रही। प्रत्यर्थी संख्या 1 भी इस तथ्य से अवगत था जैसा कि 7 हस्तांतरण पट्टे में प्रवेश करने से स्पष्ट होता है।

जे. के. एस. एल. के अधीन आने के बाद 2007 में कलेक्टर, कोटा के साथ समझौता किया। [पैरा 104] [307-ई-एफ] 7.2 . जेकेएसएल के साथ पट्टों को 1959 के नियमों के तहत निष्पादित किया गया था जो लागू रहे और कभी भी कोई अधिकार नहीं था

आर. आई. आई. सी. ओ. में निहित है कि उसने एल. आई. ए., कोटा में भूखंडों के रूपांतरण और उप-विभाजन के लिए अनुमति जारी की है और प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ पूरक पट्टा विलेखों पर हस्ताक्षर किए हैं। आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा लिए गए निर्णयों को दरकिनार करने या आदेश को रद्द करने का निर्देश देने में अपीलार्थियों की कार्रवाई में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं है।

2018 के पूरक पट्टे। इसलिए, हम पूरक विलेखों को रद्द करने और अनुमोदनों को रद्द करने का समर्थन करते हैं।

भूमि का रूपांतरण और भूखंडों का उप-विभाजन। [पैरा 105] [307-एफएच]

1959 के नियमों के तहत भूमि के उपयोग और परिचर अनुमोदन। राज्य सरकार इस तरह के [2023] 7 एस. सी. आर. पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी।

लोक हित में और 1959 के नियमों के अनुसार प्रस्ताव। अपीलकर्ता संघों के संबंध में, इस पर विचार नहीं किया जाता है

जे. के. एस. एल. के कर्मचारियों के बकाया के लिए श्रमिक संघों द्वारा की गई मांगों में प्रवेश करने के लिए इस न्यायालय द्वारा समीचीन। अपीलकर्ता संघों द्वारा प्रार्थनाओं की सामग्री पर कोई विचार व्यक्त नहीं किए गए हैं, और उनके लिए उचित सरकार और न्यायिक मंचों से कानून के तहत अपने उपचार की मांग करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। [पैरा 107,106] [308-ए-सी]

7.4 . समग्र निष्कर्षों का सारांश निम्नलिखित में दिया गया हैः

बिन्दुः

A. एक निर्बाध और निरंतरता रही है

बी. जेकेएसएल के साथ पट्टा, और उसके बाद जेकेएसएल और/या प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सभी पट्टों पर 1959 के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। नियम। पट्टा की शर्तें स्पष्ट रूप से 1959 के नियमों के अनुपालन में हैं;

ग. एल. आई. ए., कोटा में भूमि को सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 के तहत आर. आई. आई. सी. ओ. को कभी हस्तांतरित नहीं किया गया था। राज्य

सरकार ने हमेशा स्वामित्व और स्वामित्व बनाए रखा है क्षेत्र;

डी. 1959 के नियमों के नियम 11 ए के तहत पट्टे के आधार पर आर. आई. आई. सी. ओ. को कभी भी भूमि आवंटित नहीं की गई थी। इस प्रकार, RIICO कभी नहीं था

ई. किसी भी मामले में, 1959 के नियमों के नियम 11 ए का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नियम 11 ए और 12 के लागू होने के बाद पट्टे के आधार पर आरआईआईसीओ को भूमि का एक स्पष्ट आवंटन होना था। आर. आई. आई. सी. ओ. के पक्ष में ऐसा कोई स्पष्ट आवंटन कभी नहीं किया गया था। च. 1979 के नियम वैधानिक प्रकृति के नहीं हैं। 1959 के नियमों के नियम 12 में 1979 के नियमों का संदर्भ, सहमत नहीं है।

पूर्व को कोई वैधानिक मान्यता; विशंभर प्रसाद v.

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

G. इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। अनुमति देने के लिए पूरा आधार

भूखंडों के भूमि उपखंड का रूपांतरण, 1979 के नियमों के तहत आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा एल. आई. ए., कोटा के पट्टेदार के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति की गलत धारणा पर किया गया था। आर. आई. आई. सी. ओ. को कभी भी भूमि पर कोई पट्टा अधिकार नहीं दिया गया था। जब किसी पक्ष द्वारा प्राप्त लाभ का आधार स्वयं अमान्य हो जाता है, तो पक्ष को सुनवाई का मौका देने का कोई सवाल ही नहीं है।

एच. राज्य सरकार जारी करने के लिए सक्षम थी

I. राजस्थान व्यापार नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि उप-समिति ने इसे रद्द करने की सिफारिश की थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 को अनुमतियाँ/अनुमोदन पूरे मंत्रिपरिषद के लिए और उसकी ओर से कार्य कर रहे थे। इसलिए, व्यवसाय के नियमों का पालन किया गया;

जे. कोई वैध अपेक्षा या वचन नहीं था

विरोध जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के लाभ के लिए काम कर सकता है, क्योंकि, एक बार फिर, इस तरह का कोई बचाव नहीं किया जा सकता है

आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा शक्तियों का गलत उपयोग जो केवल एल. आई. ए., कोटा, जो कि राज्य सरकार है, के सही पट्टेदार के पास निहित है। इसके अलावा, लोक हित इन दोनों सिद्धांतों को पछाड़ देता है, और जब समाज के बड़े हित शामिल होते हैं तो किसी निजी पक्ष की सहायता के लिए नहीं आ सकता है।

के. अपीलकर्ता संघों और कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता है

कानून के अनुसार अपने उपचारों को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त सरकार और विभिन्न न्यायिक मंचों से संपर्क करें।

राजस्थान राज्य और आर. आई. आई. सी. ओ. की अपीलें हैं -

तदनुसार अनुमति दी गई; जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.07.2021 के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया है। नतीजतन, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है, सिवाय दी गई स्वतंत्रता के। [परिच्छेद 104,108 और 109] [308-डी-एच; 309-ए-एच; 310 ए-बी]

एम. जी. पंडके और अन्य। वी. नगर परिषद, हिंगनघाट,

जिला. वर्धा और Ors.1993 पूरक (1) SCC 708: [1992] 1

पूरक। एस. सी. आर. 464 और सच्चिदानंद पांडे बनाम।

का राज्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल और अन्य। (1987) 2 एससीसी 295: [1987] 2 एससीआर 223-प्रतिष्ठित।

राजगोपाला नायडू बनाम। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, मद्रास और अन्य। (1964) 7 एस. सी. आर. 1; कालभारती विज्ञापन वी. हेमंत विमलनाथ नरीचनिया और अन्य।

निगम, दिल्ली और अन्य। 1981 (3) एससीसी 431: [1981] 3 एस. सी. आर. 864; वैश्य डिग्री की कार्यकारी समिति कॉलेज वी। लक्ष्मी नारायण 1976 (2) एस. सी. सी. 58 [1976] 2 एस. सी. आर. 1006; भारत संघ बनाम। पी. के. रॉय (1968) 2 एससीआर 186; ए. के. क्राईपाक बनाम भारत संघ (1969) 2 एससीसी 262: [1970] 1 एस. सी. आर. 457; गुलाबराव केशवराव पाटिल और अन्य। वी. गुजरात राज्य (1996) 2 एससीसी 26: [1995] 6 पूरक। एस. सी. आर. 97; लालाराम और अन्य। बनाम जयपुर विकास

प्राधिकरण और ओआरएस। (2016) 11 एससीसी 31: [2015] 14 एस. सी. आर. 403; बन्नारी अम्मान शुगर लिमिटेड बनाम. वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य। (2005) 1 एससीसी 625: [2004] 6 पूरक। एस. सी. आर. 264; भारतीय खाद्य निगम बनाम। कामधेनू

पशु आहार उद्योग (1993) 1 एस. सी. सी. 71: [1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. 322-संदर्भित।

बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। एआरएफएटी पेट्रोकेमिका पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

मामला कानून संदर्भ

[1978] 2 एससीआर 272

पैरा

31

संदर्भित किया गया है

[1969] 1 एससीआर 387

संदर्भित किया गया है

पैरा

32

[1969] 2 एससीआर 706

संदर्भित किया गया है

पैरा

32

[1975] 3 एससीआर 619

संदर्भित किया गया है

पैरा

32

[1979] 2 एससीआर 641

पैरा

32

संदर्भित किया गया है

[2011] 11 एससीआर 1094

पैरा

33

संदर्भित किया गया है

[2010] 5 एससीआर 1081

पैरा

33

संदर्भित किया गया है

(1964) 7 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

33

[2010] 10 एससीआर 971

पैरा

33

संदर्भित किया गया है

[1981] 2 एससीआर 533

संदर्भित किया गया है

पैरा

33

[1987] 2 एससीआर 223 डी

बुझा दिया गया

पैरा

34

[1985] 3 पूरक। एससीआर 909

संदर्भित किया गया है

पैरा

34

[1981] 3 एससीआर 864

पैरा

62

संदर्भित किया गया है

[1976] 2 एससीआर 1006

संदर्भित किया गया है

पैरा

63

[1992] 1 पूरक। एससीआर 464

प्रतिष्ठित

पैरा

65

(1968) 2 एससीआर 186

पैरा

72

संदर्भित किया गया है

[1970] 1 एससीआर 457

संदर्भित किया गया है

पैरा

73

[1981] 1 एससीआर 746

उस पर भरोसा करें

पैरा

76

[1991] 1 एससीआर 845

उस पर भरोसा करें

पैरा

77

[1995] 6 पूरक। एससीआर 97

संदर्भित किया गया है

पैरा

85

[2015] 14 एससीआर 403

पैरा

86

संदर्भित किया गया है

[2004] 6 पूरक। एससीआर 264

संदर्भित किया गया है

पैरा

91

[1992] 2 पूरक। एससीआर 322

संदर्भित किया गया है

पैरा

92

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2

2023 का

उच्च न्यायालय के 20.07.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 [2023] 7 एस. सी. आर. के डी. बी. सी. डब्ल्यू. पी. No.3410 में जयपुर में राजस्थान के लिए न्यायपालिका।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के साथ 2023

की सिविल अपील No.2965,2964,2966 और 2967।

दुष्यंत दवे, डॉ. मनीष सिंघवी, मुकुल रोहतगी, आत्माराम एन. एस. नाडकर्णी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री निलोफर खान, अंजुम परवेज, खुशी मोहम्मद, योगेश कुमार शर्मा, संदीप कुमार झा, अशोक बसोया, सुश्री श्रुति जोस, रामेश्वर प्रसाद गोयल, उदय गुप्ता, सुश्री शिवानी एम. लाल, सुश्री सनम सिंह, एस. एस. सिसोदिया, एम. के. त्रिपाठी, हरीश दासन, राजीव रंजन, राजीव कुमार गुप्ता, हीरेन दासन, अर्पित प्रकाश, सुश्री शुभांगी अग्रवाल, विवेक जैन, सिद्धांत बक्शी, अंकुर सहगल, श्रीमती सुचित्रा कुंभट, अभिनव जैन, रजत जैन, सुश्री हनी कुंभट, साल्वाडोर संतोष रेबेलो, सुश्री आरजू पॉल, आरजू पॉल, सुश्री दीप्ति आर्य, सुश्री मनीषा गुप्ता, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलों का यह समूह राजस्थान के उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा पारित दिनांक 20.07.2021 के फैसले से उत्पन्न होता है।

विकास और निवेश निगम लिमिटेड ("आर. आई. आई. सी. ओ".) को राजस्थान के कोटा में औद्योगिक भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई अनुमतियों और अनुमोदनों की एक श्रृंखला को रद्द करने के लिए अलग कर दिया गया था। 3. संबंधित एसएलपी में हमारे सामने अलग-अलग अपीलार्थी हैं। इनमें राजस्थान राज्य (इसके बाद, "राजस्थान राज्य") शामिल है।

या "राज्य सरकार"), आर. आई. आई. सी. ओ., और विभिन्न श्रमिक संघ (इसके बाद, "अपीलकर्ता संघ")। जैसा कि राजस्थान राज्य और आर. आई. आई. सी. ओ. दोनों द्वारा मांगी गई राहत की प्रकृति और प्रकार, अपीलकर्ता संघों की तुलना में थोड़ा अलग है, हम राजस्थान राज्य और आर. आई. आई. सी. ओ. (सामूहिक रूप से, "अपीलकर्ता") को अलग से संबोधित करेंगे, ताकि इस अंतर को बनाए रखा जा सके।

अपीलार्थी संघों की तुलना में उनके द्वारा मांगी गई राहतों के बीच।

ए. तथ्य

4. यह विवाद राजस्थान राज्य द्वारा जिले के माध्यम से लगभग 271.39 एकड़ भूमि के आवंटन से उत्पन्न होता है।

कलेक्टर, कोटा, बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (एल. आई. ए., कोटा)

बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

12.09.1958 पर जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड ("जे. के. एस. एल".) को भेजें। आबंटन के बाद, कोटा के कलेक्टर द्वारा जेकेएसएल के साथ एक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया और क्षेत्र में अपनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने की अनुमति दी गई थी।

जेकेएसएल को अगले दशकों में उसी क्षेत्र के संबंध में नए पट्टा विलेखों के निष्पादन के माध्यम से संपत्ति के प्रतिधारण की सुविधा प्रदान की गई, जब पहले के पट्टे में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई थी।

5. शुरू में पहला आवंटन किए जाने के ठीक बाद, राज्य ने

सरकार ने राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 100 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और राजस्थान औद्योगिक क्षेत्रों को तैयार किया। राज्य भर में उद्यमियों को भूमि के आवंटन और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को विनियमित करने के लिए आवंटन नियम, 1959 ("1959 नियम")। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 100 नीचे दी गई है:

" 100. औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भूमि की बिक्री राज्य सरकार भूमि की बिक्री को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है

औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में और एक वार्षिक लागू भी कर सकते हैं

ऐसी भूमि का मूल्यांकन, जहाँ भी आवश्यक हो।

6. इसी तरह, 1959 के नियमों के नियम 2,8 और 9 भी कुछ प्रासंगिक हैं और उन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 2. वह अवधि जिसके लिए भूमि आवंटित की जा सकती है। - औद्योगिक क्षेत्र में भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा-धारक आधार पर क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है।

(अ)

राज्य में कहीं भी बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित करने के लिए,

राज्य सरकार द्वारा उद्योग विभाग में और बड़े पैमाने पर पर्यटन इकाई के मामले में, आवंटन

सरकार द्वारा राजस्व विभाग में किया जाए

और

अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए -

(ख)

जयपुर जिले में, उद्योग निदेशक द्वारा,

((i)

राजस्थान जयपुर ने प्रदान किया कि पर्यटन के मामले में इकाई का आवंटन सरकार द्वारा किया जाएगा।

राजस्व विभाग में, और

संबंधित कलेक्टर द्वारा किसी अन्य जिले में।

((ख)

(ख) आई. टी. उद्योगों की स्थापना के लिए सरकारी भूमि होगी -

राज्य सरकार द्वारा राजस्व में आबंटित सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की सिफारिश पर विभाग।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((ग)

खंड (ए) के तहत भूमि का सभी आवंटन एक के भीतर किया जाएगा 60 दिनों की अवधि और खंड (बी) के तहत 30 दिनों की अवधि के भीतर

पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दिन

फॉर्म-बी में। यदि आवेदक पूरा आवेदन जमा करते हैं एकल खिड़की प्रणाली पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यह होगा

राजस्थान उद्यमों के प्रावधानों के अनुसार निपटाया गया

एकल खिड़की सक्षम और मंजूरी नियम, 2011।

बशर्ते कि राज्य में कहीं भी सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र और संबंधित गतिविधियों की स्थापना के उद्देश्य से भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग में 10 साल की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है।

5 साल की अवधि के लिए।

XXX

XXX

XXX

8. भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। – (1) औद्योगिक उद्देश्यों के लिए दी गई भूमि का उपयोग कारखाना परिसर और ऐसे अन्य आवासीय निर्माण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

क्वार्टर जो उस उद्योग में लगे लोगों के लिए आवश्यक हैं। ऐसे किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसका उद्देश्य इसे स्थापित करने के लिए अनुमत उद्योग के अलावा एक वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में उपयोग करना हो। बशर्ते कि राज्य सरकार, उस उद्योग के अलावा अन्य उद्योग की स्थापना के लिए पट्टेदार के आवेदन पर, जिसके लिए उद्योग दिया गया था, ऐसे उद्योग की स्थापना के लिए अनुमति दे सकती है। लेकिन इन नियमों के तहत आवंटित सरकारी भूमि के मामले में, पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए ऐसी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) श्रम कॉलोनी के निर्माण की अनुमति यदि आवश्यक हो तो उद्योग की स्थापना के समय दी जाएगी।

(3) उद्योगपति 200 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

कारखाना परिसर की पहली मंजिल पर अपने आवासीय उद्देश्य के लिए मीटर।

पट्टे पर दी गई भूमि पर सीमित स्वामित्व है जब तक कि पट्टा बना रहता है और उसे केवल इस उद्देश्य के लिए असाइनमेंट का अधिकार होगा - उद्योग के विकास के लिए या पट्टेदार या किसी अन्य हंभर प्रसाद द्वारा लिए गए ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखने के लिए ऋण लेना।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

एक ही प्रबंधन के स्वामित्व वाला उद्योग। पट्टेदार को भूमि बेचने का कोई अधिकार नहीं होगाः

बशर्ते कि भूमि को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता है

((i)

केवल भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम के पक्ष में,

राजस्थान वित्त निगम, आई. डी. बी. आई., आई. सी. आई. सी. आई., एल. आई. सी., आई. आर. बी. आई., एच. डी. एफ. सी., एस. आई. डी. बी. आई., एक्ज़िम बैंक, सहकारी बैंक और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिनियम या अनुसूचित बैंक या निजी ऋण देने वाली एजेंसियों में परिभाषित कोई भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान।

यह सुनिश्चित करने के अधीन कि पट्टेदार ने सभी को साफ़ कर दिया है

पट्टेदार और पट्टेदार का बकाया राज्य सरकार के पक्ष में पहला शुल्क बनाता है और दूसरा -

वित्तपोषण निकाय या निकाय।

((ख)

बशर्ते कि एक बार भूमि का उपयोग करने के लिए

जिस उद्देश्य के लिए इसे नियम 7 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवंटित किया गया था, पट्टेदार, आवंटन प्राधिकरण की अनुमति से पूरी भूमि में अपने अधिकार या हित को हस्तांतरित कर सकता है, इसलिए

निम्नलिखित शर्तों पर पट्टे पर दिया गयाः

इन नियमों के तहत आवंटित सरकारी भूमि के मामले में,

(अ)

वह नियम 3 ए के तहत लिए गए आवंटन मूल्य में कटौती करने के बाद भूमि के मौजूदा बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान करेगा और हस्तांतरणकर्ता अतिरिक्त मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान करेगा।
नियम 5 में उल्लिखित वार्षिक पट्टा भूमि की राशि और पट्टा की अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

(ख)

के तहत आवंटित परिवर्तित खतेदारी भूमि के मामले में

औद्योगिक उद्देश्य के लिए इन नियमों के तहत हस्तांतरणकर्ता वार्षिक पट्टे के किराए की 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा।

नियम 5 में उल्लिखित और पट्टे की अन्य शर्तें

अपरिवर्तित रहें।

(आई. ए.) बशर्ते कि अनुमति देने के बाद यदि हस्तांतरणकर्ता पट्टा विलेख को निष्पादित करने में विफल रहा है और आवंटन प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित भूमि को आगे हस्तांतरित कर दिया है, तो इस तरह के हस्तांतरण को भुगतान पर आवंटन प्राधिकरण द्वारा नियमित किया जा सकता है। प्रत्येक हस्तांतरण के लिए Rs.3000/- का जुर्माना। पट्टे की शेष अवधि के लिए पट्टा विलेख ऐसे हस्तांतरणकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया जा सकता है जिसे पट्टे की शेष अवधि के लिए ऐसे हस्तांतरणकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया जा सकता है।

अंतरिती ऐसे हस्तांतरण पर नियम 5 में उल्लिखित वार्षिक पट्टा किराए की 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

यह भी प्रावधान करें कि यदि किसी औद्योगिक भूखंड को किसी भी उद्देश्य के लिए विभाजित या उप-विभाजित करने का प्रस्ताव है, तो राजस्व में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति

यह भी प्रावधान करें कि यदि कोई औद्योगिक भूखंड राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना विभाजित या उप-विभाजित किया जाता है, तो पट्टेदार एक प्रति के साथ आवंटन प्राधिकरण को विभाजन या उप-विभाजन की अनुमति के लिए आवेदन करेगा। Rs.3000/- की राशि जमा करने वाले चालान का। राज्य के पूर्व अनुमोदन के साथ आवंटन प्राधिकरण

सरकार, विभाजन या उप-विभाजन को नियमित कर सकती है।

यह भी प्रावधान करें कि, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बीमार इकाई के मामले में, पट्टेदार राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, पट्टे पर दी गई भूमि में अपना अधिकार या ब्याज हस्तांतरित कर सकता है।

उपरोक्त परंतुक के तहत निम्नलिखित शर्तों पर विभाजित किया गयाः

(अ)

वित्तीय संस्थानों/बैंक से वह एन. ओ. सी. होगा प्राप्त की गई, यदि भूमि गिरवी रखी गई है।

कि पट्टे की शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(ख)

कि हस्तांतरणकर्ता अतिरिक्त 100 प्रतिशत भुगतान करेगा

((ग)

पट्टे पर दी गई भूमि में अधिकार या ब्याज के हस्तांतरण की तारीख से लागू आनुपातिक वार्षिक पट्टे के किराए की अतिरिक्त राशि।

कि हस्तांतरणकर्ता भूमि का उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिए करेगा

((घ)

केवल उद्देश्य।

कि इनके तहत आवंटित सरकारी भूमि के मामले में

(ई)

नियमों के अनुसार, हस्तांतरणकर्ता नियम 3 ए के तहत लिए गए आवंटन मूल्य में कटौती करने के बाद भूमि के मौजूदा बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान करेगा।

बशर्ते कि उपरोक्त परंतुक के तहत हस्तांतरण की कोई अनुमति सरकारी भूमि के मामले में तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि इकाई को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) द्वारा बीमार घोषित नहीं किया जाता है।

बशर्ते कि किसी भी प्रकार के संदेह के मामले में आवंटन प्राधिकरण मामले को राज्य को भेजेगा।

राजस्व विभाग में सरकार जिसका निर्णय अंतिम होगा।

हंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम के विकासकर्ता

उद्यम समूह, अनुमोदित योजना के अनुसार, उनका स्थानांतरण कर सकते हैं।

पूरी भूमि में अधिकार या ब्याज, इस प्रकार पट्टे पर दिया गया

हस्तांतरणकर्ता वार्षिक राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा। इस तरह के हस्तांतरण पर नियम 5 में उल्लिखित पट्टा किराया।

7. 11.08.1967 का पहला पट्टा विलेख जो शर्तों को नियंत्रित करता था

जे. के. एस. एल. को भूमि के आवंटन की शर्तें, अन्य बातों के अलावा,गिरती परिस्थितियाँः

" XXX

XXX

XXX

अब यह उद्योग गवाहों का अनुसरण करता हैः

..... (iv) पट्टेदार नायलॉन उद्योग के उक्त भूखंड पर स्थापित होगा।

जिसके लिए पट्टेदार द्वारा एक अवधि के भीतर उसे भूमि पट्टे पर दी गई है

कब्जे पर बात करने की तारीख से दो साल

भूमि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और ऐसा करने में उसकी विफलता के मामले में

उक्त भूखंड पट्टेदार को वापस कर दिया जाएगा जब तक कि दो साल की अवधि

वैध आधारों पर पट्टेदार द्वारा विस्तारित।

v) पट्टेदार उक्त पर स्थापना, निर्माण, निर्माण और निर्माण करेगा।

भूमि का भूखंड, केवल ऐसी इमारतें, शेड और संरचनाएं जो हैं

उपरोक्त उद्योग की स्थापना के लिए उसके द्वारा आवश्यक और इस तरह के भी अन्य आवासीय क्वार्टर जैसे घड़ी और वार्ड क्वार्टर

उक्त कारक में लगे हुए या लगे हुए लोगों के लिए आवश्यक है।

vi) पट्टेदार किसी भी संरचना का निर्माण या निर्माण नहीं करने के लिए सहमत है या भूमि के उक्त भूखंड पर या उसके किसी भाग पर जो

उपरोक्त उद्योगों के लिए जिनके लिए उक्त भूखंड पट्टे पर दिया गया है। पट्टेदार के लिए।

जैसा कि पट्टे से स्पष्ट है, एन. डी. के आवंटन के पीछे का उद्देश्य एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए था और किसी अन्य उपयोग की अनुमति नहीं थी। जेकेएसएल और जिला कलेक्टर के बीच निष्पादित समान पट्टे

परि-सामग्री खंड।

8. जबकि उपरोक्त पट्टे अस्तित्व में थे, राजस्थान

औद्योगिक और खनिज विकास निगम लिमिटेड ("आरएसआईएमडीसी")

राज्य भर में विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शामिल किया गया था। निगम को बाद में दो संस्थाओं में विभाजित कर दिया गया, जिसमें आर. आई. आई. सी. ओ. इसके प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था। आर. आई. आई. सी. ओ. की गतिविधियों को विनियमित करना। जिन भूमि पर इसका नियंत्रण होगा, उसका आर. आई. आई. सी. ओ. निपटान

भूमि नियम, 1979 ("1979 नियम"), कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ("एओए") के अनुच्छेद 93 (xv) के तहत जारी किए गए थे। इन नियमों ने एक ऐसा तंत्र प्रदान किया जिसके द्वारा आर. आई. आई. सी. ओ. विभिन्न प्रकार की मंजूरी दे सकता है।

और औद्योगिक भूमि और उनके उपयोग के संबंध में अनुमतियाँ। आई. डी. 1 पर, राज्य सरकार द्वारा अपने क्षेत्र के भीतर सभी औद्योगिक भूमि आर. आई. आई. सी. ओ. को आवंटित करने का आदेश पारित किया गया था। इस प्रकार, निगम, उस समय से, राज्य सरकार की देखरेख में क्षेत्रों के आगे के विकास की देखरेख में कदम रखें। इसमें एल. आई. ए., कोटा शामिल है या नहीं, यह पक्षों के बीच विवाद का विषय है। उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक ने

कोटा ने 28.09.1979 पर एक आदेश भी जारी किया, जिसके अनुसार 18.09.1979 के सरकारी निर्णय के अनुपालन में कई औद्योगिक क्षेत्रों को आरएसआईएमडीसी को हस्तांतरित किया जाएगा। एल. आई. ए., कोटा को सूचीबद्ध किया गया था

उक्त संचार में आर. एस. आई. एम. डी. सी. को सौंपे जाने वाले क्षेत्र।

9. सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 और संयुक्त निदेशक का

दिनांकित आदेश 28.09.1979, पुनरुत्पादन का आश्वासन देता हैः

" राजस्थान सरकार

उद्योग समूह-2 विभाग

सं. पी.-4 56/उद्योग/1/79 जयपुर, दिनांकः 18.9.79

आदेश दें

यह निर्णय दिनांक 18.09.1979 की बैठक में लिया गया है।

राजस्थान राज्य स्तरीय योजना और विकास समन्वय

समिति ने कहा कि राजस्थान के सभी औद्योगिक क्षेत्र केवल राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनन के माध्यम से विकसित

विकास निगम। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्र

राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनन को सौंपा जाए

विकास निगम लिमिटेड, जयपुर डब्ल्यू. ई. एफ. 01.10.1979।

इसलिए, राज्य सरकार इसके द्वारा स्थानांतरण का आदेश जारी करती है

विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों को सौंपना

राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनन विकास के लिए उद्योग विभाग निगम लिमिटेड, जयपुर डब्ल्यू. ई. एफ. 01.10.1979 "।

एक्स -

----- एक्स

-एक्स. हंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

" संयुक्त निदेशक का कार्यालय, जिला औद्योगिक केंद्र, कोटा

तारीखः 28.09.1979

आदेश दें

राज्य सरकार के आदेश सं। उद्योग

(समूह-I) विभाग, ए. पी. 4 (56) उद्योग/1/79 दिनांक 18.09.1979

और निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर डी. ओ. पत्र

No.F.2 (182) 9A/2305 दिनांक 21.09.1979, निम्नलिखित औद्योगिक

औद्योगिक और खनन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर 28.09.1979 (दोपहर):

1. बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र, कोटा

2. लघु औद्योगिक क्षेत्र, कोटा

3. लखवा औद्योगिक क्षेत्र, कोटा

4. नान्ता औद्योगिक क्षेत्र, कोटा "

एक्स -

-एक्स -

--एक्स

10. 1979 के नियमों की सामग्री, जिसके तहत आर. आई. आई. सी. ओ.

इसे आवंटित औद्योगिक क्षेत्रों के संदर्भ में इसकी गतिविधियों को बाहर निकालना, जो हैं

हमारे उद्देश्यों के लिए कथन इस स्तर पर भी नोट किया जा सकता हैः

" 20 - ए. प्रबंध निदेशक के पास पूर्ण अधिकार होंगे - निम्नलिखित पर ध्यान देंः

1. औद्योगिक क्षेत्रों की रूपरेखा योजना को मंजूरी और परिवर्तन /

विषय हैं। 2. किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी भूमि की स्थिति में परिवर्तन जैसे

औद्योगिक भूमि से खुली भूमि, सेवा भूमि में रूपांतरण,

वाणिज्यिक भूमि, आवासीय भूमि, खुली भूमि से परिवर्तित

औद्योगिक भूमि, वाणिज्यिक भूमि, आवासीय भूमि, सेवा भूमि,

सेवा भूमि से औद्योगिक, खुले, वाणिज्यिक में रूपांतरण,

आवासीय और अन्य उद्देश्यों आदि के लिए, और इसके विपरीत। 20 - बी. वरिष्ठ डी. जी. एम./एस. आर. एम./आर. एम. निम्न के लिए अधिकृत हैं:

((i) भूखंडों का उप-विभाजन। ((ii) भूखंडों का पुनर्गठन।

(iii)।

-सी.

XXX

XXX

XXX

) निम्नलिखित सवारों/स्थितियों का पालन किया जाएगा।

भूमि उपयोग में बदलाव पर विचार करना:

आवंटित भूखंडों के भूमि उपयोग में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

(i)

आवासीय उद्देश्य के लिए। खाली औद्योगिक भूखंड के भूमि उपयोग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

(ख)

अनुमति दी गई। दूसरे शब्दों में, औद्योगिक भूखंड के आवंटी

जिन्होंने उद्योग स्थापित नहीं किया है, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। गैर-औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन। हालांकि,

आंशिक खाली उप-विभाजित भूखंड के भूमि उपयोग में परिवर्तन

इस शर्त के अधीन अनुमति दी जाए कि पट्टाधारक अधिकार

उप-विभाजित भूखंड के आबंटित द्वारा आयोजित किए जाते हैं एकीकृत भूखंड।

आवंटित संस्थागत भूखंडों के भूमि उपयोग में कोई बदलाव नहीं होगा।

iii)

के लिए समर्पित संस्थागत क्षेत्रों में अनुमति दी जाए

किसी भी

अन्य उद्देश्य।

(iv)

के तहत आवंटित भूखंडों के भूमि उपयोग में कोई बदलाव नहीं आर. आई. आई. सी. ओ. निपटान के नियम 3 (ई) और 3 (डब्ल्यू) के प्रावधान

भूमि नियम, 1979 की अनुमति दी जाएगी। गैर-औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित भूखंड के भूमि उपयोग में परिवर्तन

v)

के भुगतान के अधीन खाली भूखंड के लिए अनुमति दी जाएगी

15 % आबंटन की प्रचलित दर अतिरिक्त के रूप में

शुल्क लेते हैं। वाणिज्यिक/भूमि उपयोग के लिए आवंटित भूखंडों का परिवर्तन

vi)

इस नियम के तहत अनुमति प्राप्त संस्थागत उद्देश्य होंगे - केवल सड़कों पर स्थित भूखंडों के लिए माना जाता है

18.00 mtr के रास्ते का अधिकार। और ऊपर (कुल सड़क चौड़ाई)।

तथापि, भूमि उपयोग रूपांतरण मामलों में जहां

24 मीटर की न्यूनतम सड़क चौड़ाई का मानदंड। या ऊपर है

भवन विनियमों/मापदंडों में निर्दिष्ट तब

मामलों पर विचार करते समय भी ऐसा ही देखा जाएगा

भूमि उपयोग रूपांतरण।

vii)

.....

बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

11. सरकार के बाद भी। 18.09.1979 दिनांकित आदेश, जेकेएसएल ने सीधे जिला कलेक्टर, कोटा के साथ सौदा करना जारी रखा। एल. आई. ए., कोटा में जे. के. एस. एल. द्वारा भूमि के उपयोग का विस्तार करने वाले एक अन्य पट्टे पर 06.10.1982 में हस्ताक्षर किए गए थे।

कलेक्टर और जेकेएसएल के बीच, न कि आर. आई. आई. सी. ओ. के बीच। इसी अवधि में,

1959 के नियमों में संशोधन किया गया ताकि ऐसे प्रावधान लागू किए जा सकें जो आर. आई. आई. सी. ओ. को औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटन को प्रभावी बना सकें और फिर 1979 के नियमों के तहत कंपनी को इन भूमि का प्रशासन करने में सुविधा प्रदान कर सकें। प्रासंगिक

23.12.1983 पर अंतःस्थापित नियम 11 ए के उपखंड और 13.07.1982 में जोड़े गए नियम 12 इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं:

" 11 - ए. राजस्थान राज्य औद्योगिक को भूमि का आवंटन

विकास और निवेश निगम लिमिटेड या राजस्थान

पर्यटन विकास निगम

निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और विकास के लिए विकास निगमः (i) भूमि का आवंटन
लीज होल्ड के आधार पर एक अवधि के लिए किया जाएगा।

99 वर्षों से;

((ख)

सरकारी आवंटन के लिए लिया जाने वाला प्रीमियम

औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि आसपास की कृषि भूमि के एक ही वर्ग के प्रचलित बाजार मूल्य के बराबर होगी और उसी के अनुसार राजस्थान नहर में उपनिवेशीकरण आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी।

परियोजना कॉलोनी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में संबंधित कलेक्टर द्वारा

क्षेत्रः
बशर्ते कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास से आवंटन के लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और

निवेश निगम जहाँ राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास द्वारा भूमि खरीदी गई है और निवेश निगम या इसके निगमन के बाद राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम के लिए अधिग्रहित और मुआवजे का भुगतान राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश द्वारा किया जाता है।

निगम।

(iii)

( ) 3 ((iv)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश

निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन विकास [2023] 7 एस. सी. आर.

निगम] पट्टे पर दी गई भूमि या उसके हिस्से को उप-पट्टे पर दे सकता है,

आवश्यक कल्याण सहित औद्योगिक उद्देश्यों के लिए और

और रत्न विकास निगम जिनके पास जमीन है आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा पहले से ही 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया है, उप

पट्टेदार अर्थात डी. जी. डी. सी. आगे उपखंडित कर सकता है और शर्तें और

इस प्रकार के नियमों में निहित शर्तें और अन्य प्रावधान

जहाँ तक उनका संबंध आर. आई. आई. सी. ओ. से है, उत्परिवर्तन लागू होंगे।

डी. जी. डी. सी. को भी मानो विचाराधीन भूमि राज्य सरकार और नियम 11-ए आई. बी. आई. डी. द्वारा उन्हें पट्टे पर दी गई हो।

बशर्ते कि जहां भूमि आवंटित की गई थी और परिवर्तित की गई थी

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और

निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन

विकास निगम] इसके निगमन के बाद

औद्योगिक उद्देश्य लेकिन भूमि का उपयोग आवश्यक कल्याण के लिए किया जाता था

और सहायक सेवाओं के लिए, इस तरह का आवंटन [XXX] होगा

औद्योगिक उद्देश्य के लिए माना जाता है।

) राजस्थान राज्य औद्योगिक का उप-पट्टेदार

विकास और निवेश निगम लिमिटेड इसके अलावा उप-पट्टे पर दी गई भूमि या उसके हिस्से को ऐसे नियमों और शर्तों पर उप-पट्टा दें जिन पर दोनों देशों के बीच आपसी सहमति हो।

ऐसा उप-पट्टेदार और बाद वाला उप-पट्टेदार। उप-पट्टेदार पर लागू नियम और शर्तें भी परिवर्तनशील होंगी।

उत्परिवर्तन ऐसे बाद के उप-पट्टेदार पर लागू होते हैं।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन विकास] निगम] ऐसा पट्टा किराया और अन्य वसूल कर सकता है।

भूमि के संबंध में उसके द्वारा निर्धारित किए जाने वाले शुल्क

इसके द्वारा उप-पट्टे पर दिया गया; राजस्थान राज्य द्वारा उप-पट्टों की अवधि

[या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] इसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन किसी भी मामले में 99 वर्ष से अधिक नहीं होगा। मामला;

जमीन सरकार को मुफ्त में वापस कर दी जाएगी।

बोझ और किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और हंभर प्रसाद बनाम।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन

विकास निगम] या इसके उप-पट्टेदारों में से कोई भी इसका उपयोग औद्योगिक (आवश्यक सहित) के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है। कल्याण और सहायक सेवाएँ], या किसी का उल्लंघन करना

पट्टा या उप-पट्टा की अन्य शर्त;

(viii) राजस्थान राज्य औद्योगिक के उप-पट्टेदार

विकास और निवेश निगम लिमिटेड [या

राजस्थान पर्यटन विकास निगम इन नियमों में निर्धारित अन्य सभी नियमों और शर्तों और किसी भी अन्य अनुरूप नियमों द्वारा शासित होता रहेगा, जो इस संबंध में जारी किए जा सकते हैं या आदेश जारी किए जा सकते हैं।

राज्य सरकार।

12. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड या राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा भूमि का आवंटन। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड जयपुर या राजस्थान पर्यटन विकास

निगम को तदनुसार आवंटन करने का अधिकार होगा।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम भूमि निपटान नियम, 1979 [या इस उद्देश्य के लिए आर. आई. आई. सी. ओ. और आर. टी. डी. सी. द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य नियम] के साथ राज्य द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को खाली भूखंडों का

जिन उद्यमियों को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार भूखंड पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, और आवंटित भूखंडों के संबंध में कोई परिणामी या अवशिष्ट कार्रवाई करने के लिए उद्यमी।

बशर्ते कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड या राजस्थान पर्यटन विकास निगम को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित भूखंडों/भूमि के संबंध में भूमि में अधिकारों या ब्याज के हस्तांतरण के लिए पट्टेदार को लिखित अनुमति देने का अधिकार होगा और उक्त निगम को हस्तांतरित किया जाएगाः

बशर्ते कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड या [2023] 7 एस. सी. आर. द्वारा भूखंडों/भूमि में अधिकारों या ब्याज के हस्तांतरण के लिए दी गई कोई अनुमति या कार्रवाई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्थान पर्यटन विकास निगम। 13-07-1982 के बाद

उक्त निगम को हस्तांतरित किया जाना वैध माना जाएगा। इस नियम के पहले प्रावधान के तहत।

12. इन संशोधनों की पृष्ठभूमि में भ्रम पैदा हुआ

क्या 1959 के नियमों के नियम 11 ए और 12 होंगे

केबल संभावित या पूर्वव्यापी रूप से। इस संदर्भ में एक स्पष्टीकरण

जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा दिनांकित एक पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया5.1986 . कलेक्टर इस संदर्भ में जमा राशि का उल्लेख कर रहे थे

किराया और विचाराधीन किराया किसे जाना चाहिएः

" अतः इस संबंध में मार्गदर्शन करें कि उपर्युक्त

अधिसूचना दिनांक 13-07-1982, आवंटित भूमि का पट्टा किराया आदि। कारखाने में आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा जमा किया जाएगा या में जमा किया जाएगा

पूर्ववर्ती तहसील अपने आप में एक राज्य की वस्तु है। कृपया इसमें मार्गदर्शन भेजें। जल्द से जल्द ध्यान दें। जब तक निर्देश प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक निर्णय लिया जा चुका है।

पट्टे की राशि तहसील में जमा करने के लिए ली गई। की फोटोकॉपी

इस संबंध में मेसर्स जेके सिंथेटिक से भी फॉर्म पत्र भेजा जा रहा है।

हस्ताक्षर

जिला कलेक्टर,

कोटा

संख्याः - एफ-8 (198) राजस्व/4435-38

डी. 15-05-86 "

· एक्स-- -

--एक्स

एक्स----

13. इसके जवाब में राज्य द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी

23.05.1987 पर टिप्पणी, 1959 के नियमों के नियम 12 को स्पष्ट करते हुए,

13.07.1982 पर, पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा और पट्टा किराया

विभिन्न विलेखों से संबंधित आइटम राज्य का विषय बने रहेंगे।

" राजस्थान सरकार

राजस्व (समूह-4) विभाग

क्रम संख्या 2 (242) राजस्थान/3/86 जयपुर,

तिथि

23.05.1987

भेजा गयाः - जिला कलेक्टर, कोटा।

मेसर्स जे. के. सिंथेटिक लिमिटेड, कोटा को भूमि आवंटन। संदर्भः - आपका 4434 दिनांकित पत्र 15-05-1986।

बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

साहब,

उपरोक्त विषय के अनुसार, यह लिखा गया है कि अधिसूचना

इस विभाग का दिनांक 13-07-1982 लागू नहीं किया गया है।

पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ और पहले के मामलों में पट्टे की राशि किराया आदि तहसील में राज्य की वस्तु के रूप में जमा किया जाना चाहिए।

आपकी वफादारी से

कटारा

उप सरकारी सचिव "

----- एक्स

एक्स----

· एक्स----

14. ऐसा प्रतीत होता है कि इससे जो भी संदेह, यदि कोई हो, दूर हो जाता है और स्पष्ट हो जाता है

स्पष्ट रूप से कि 1959 के नियमों में संशोधन, जिनमें से नियम 11 ए और 12 हमारे लिए ध्यान में रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, संभावित रूप से लागू थे। 1959 के तहत पट्टे पर दी गई भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण

नियम, जाहिर तौर पर आर. आई. आई. सी. ओ. को नहीं सौंपे गए थे। यह समझ एक सरकारी परिपत्र दिनांक 1 में व्यक्त की गई थी जो इंगित करता है कि राजस्व रिकॉर्ड से पता चलता है कि भूमि का स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इसके अलावा, इस संबंध में दस्तावेज जिला उद्योग केंद्र द्वारा रखे जाएंगे, न कि आर. आई. आई. सी. ओ.:

" राजस्थान सरकार

उद्योग (समूह-1) विभाग

1. निर्देशक

उद्योग विभाग

जयपुर, राजस्थान

2. सभी जिला कलेक्टर

3. सभी महाप्रबंधक

जिला उद्योग केंद्र

क्रम संख्या 1 (75) उद्योग/1/94 जयपुर, दिनांक 12 जनवरी, 1995

1. धारा 92 के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए आरक्षित भूमि

राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवंटित भूमि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 सभी अभिलेख

जिला औद्योगिक केंद्र के पास रखा जाएगा। वर्तमान में फाइलें

आर. आई. आई. सी. ओ. के साथ भी वापस लिया जाना चाहिए और जिले के पास रखा जाना चाहिए।

औद्योगिक केंद्र। इन सभी मामलों में शर्तों का अनुपालन पट्टा विलेख और उसी की निगरानी के तहत होना चाहिए

जिला औद्योगिक केंद्र का पर्यवेक्षण।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके तहत आवंटित भूमि के लिए पट्टा विलेखों पर हस्ताक्षर करने से पहले

2 .

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959

भूमि उपयोग और स्वामित्व में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

राजस्व अभिलेख और तभी भूमि आवंटित की जानी चाहिए।

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के तहत।

पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे दर्ज किया जाना चाहिए।

3 .

राजस्व अभिलेखों और उससे संबंधित फाइलों में होना चाहिए

जिला उद्योग केंद्र के पास रखा गया।

4 .

राजस्थान औद्योगिक के तहत आवंटित भूमि का पट्टा विलेख क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 का निष्पादन जिला द्वारा किया जाना है।

कलेक्टर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र। के रूप में

जिला कलेक्टर/प्रबंध निदेशक को कार्रवाई शुरू करनी होगी

पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन के मामलों में, सामान्य

निदेशक, जिला के ध्यान में किसी भी या सभी उल्लंघनों को लाना। उद्योग केंद्र और जिला कलेक्टर।

ईमान

दारी से,

विशेष सचिव उद्योग "

-एक्स

एक्स -

· एक्स -

15. आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा स्वयं एक परिपत्र, 27.01.1995 पर, आर. आई. आई. सी. ओ. का अपना दिया गया है।

द्वारा जारी परिपत्र की विषय-वस्तु और अर्थ का ढोंग

12.01.1995 पर राजस्थान सरकार के विभाग का प्रयास करें। यह.

इस स्थिति के साथ कि 1959 के नियमों के तहत जिन भूमि के लिए आवंटन में ढील दी गई थी, उनसे संबंधित फाइलों को बरकरार रखा जाएगा

ई राज्य सरकार न कि निगमः

" राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश

निगम लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 सीनियर आईपीआई/पी-3 (24) 47/95

तारीखः - 27-01-1995

वृत्ताकार

उपः - राजस्थान औद्योगिक के अंतर्गत भूमि के संबंध में कार्यवाही क्षेत्र आवंटन नियम, 1959।

निगम के औद्योगिक क्षेत्रों में (और उन औद्योगिक क्षेत्रों में)

जिन क्षेत्रों को बाद में विभाग से स्थानांतरित कर दिया गया था

निगम को उद्योग) पट्टा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिशंभर प्रसाद बनाम।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

निगम के भूमि निपटान नियम। कुछ ऐसे मामले (विशेष रूप से भीलवाड़ा में) ध्यान में आया है कि किस भूमि आवंटन में

राज्य स्तर या जिला स्तर पर औद्योगिक इकाइयाँ निम्नानुसार की जाती थीं -

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 और जिसका

जिला कलेक्टर (उद्योग) द्वारा पट्टा विलेख भी निष्पादित किया गया था। लेकिन उनकी फाइलों को निगम के इकाई कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया

कुछ ऐसे मामलों में इकाई कार्यालय द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी।

उपरोक्त संदर्भ में, राज्य सरकार ने हाल ही में जारी किया है परिपत्र दिनांक 12-01-1995, जिसकी एक प्रति संलग्न की जा रही है

आपकी जानकारी। इससे यह स्पष्ट होगा कि राजस्थान के तहत

औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 जिला उद्योग केंद्र / कलेक्टर (उद्योग) को लेने का अधिकार और जिम्मेदारी होगी।

पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई। अगर आप

इस संबंध में कोई भी दस्तावेज विचाराधीन हैं, कृपया उन्हें जिला उद्योग केंद्र को वापस कर दें।

संलग्न परिपत्र दिनांकित 12-01-1995।

नक़ल करें:

1. सभी इकाई कार्यालय जानकारी के लिए।

2. आर. आई. आई. सी. ओ. (मुख्यालय) के अधिकारी सूचना के लिए

(एस एस चतुर्वेदी)

सलाह कार (इन्फ्रा) "

----- एक्स

एक्स -

--एक्स -

16. इस पृष्ठभूमि में, जे. के. एस. एल. ने अपना संचालन जारी रखा।

(" बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एस. आई. सी. ए.) के तहत 02.04.1998 पर बी. आई. एफ. आर.)। जेकेएसएल के एक बीमार कंपनी के रूप में वर्गीकरण के बाद, मामले को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण ("एएआईएफआर") को भेजा गया था। इस दौरान, जेकेएसएल ने अपने संचालन की कोटा इकाई को बेचने की अपनी योजना के हिस्से के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

3] 7 एस. सी. आर. की धारा 18

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. आई. सी. ए. 1 कंपनी के पुनरुद्धार के लिए कुछ उपायों की परिकल्पना करता है जो कठिन समय में गिर गई है और जिसे "बीमार" कंपनी घोषित किया गया है।

17. के स्वामित्व वाली कुछ इकाइयों के अलग होने की संभावना

जे. के. एस. एल. कंपनी के सुधार को प्रभावी बनाने के लिए पसंदीदा रणनीति बन गई। प्रतिवादी संख्या 1 इन इकाइयों को संभालने के लिए पसंदीदा इकाई के रूप में उभरा और जेकेएसएल के पूर्व मजदूरों के बकाया के हिस्से का भुगतान करने के साथ-साथ उन्हें प्रतिवादी संख्या 1 के तहत रोजगार की पेशकश करने के लिए जेकेएसएल और दो श्रमिक संघों को शामिल करते हुए, 09.10.2002 और 22.10.2002 पर दो त्रिपक्षीय समझौते भी किए। 09.10.2002 दिनांकित समझौते के प्रासंगिक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

" IV. शर्तें और शर्तें

XXX

XXX

XXX

1 18. योजनाओं की तैयारी और मंजूरी (1) जहां किसी बीमार औद्योगिक कंपनी के संबंध में धारा 17 की उप-धारा (3) के तहत आदेश दिया जाता है, आदेश में निर्दिष्ट संचालन एजेंसी निम्नलिखित तैयार करेगी:

यथासंभव शीघ्रता से और सामान्य रूप से ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसी कंपनी के संबंध में एक योजना जो निम्नलिखित उपायों में से किसी एक या अधिक के लिए प्रावधान करती है, अर्थात्:

[(क) बीमार औद्योगिक कंपनी का वित्तीय पुनर्निर्माण;]

(ख) बीमार औद्योगिक कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन करके या उसके अधिग्रहण द्वारा बीमार औद्योगिक कंपनी का उचित प्रबंधन;

[(ग) (i) बीमार औद्योगिक कंपनी का किसी अन्य कंपनी के साथ, या (ii) बीमार औद्योगिक कंपनी के साथ किसी अन्य कंपनी का एकीकरण; (इसके बाद इस धारा में, उपखंड (i) के मामले में, दूसरी कंपनी, और उपखंड (ii) के मामले में, बीमार औद्योगिक कंपनी, जिसे "हस्तांतरणकर्ता कंपनी" के रूप में संदर्भित किया गया है;

(घ) रोगी के किसी औद्योगिक उपक्रम के किसी भाग या पूरे हिस्से की बिक्री या पट्टा

औद्योगिक कंपनी; [(दा) कानून के अनुसार प्रबंधकीय कर्मियों, पर्यवेक्षी कर्मचारियों और कामगारों को युक्तिसंगत बनाना;] (ङ) ऐसे अन्य निवारक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपाय जो उचित हों;

(च) ऐसे आनुषंगिक, परिणामी या पूरक उपाय जो खंड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट उपायों के संबंध में या उनके प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

(6(क) जहां कोई स्वीकृत योजना किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति के पक्ष में बीमार औद्योगिक कंपनी की किसी संपत्ति या दायित्व के हस्तांतरण का प्रावधान करती है या जहां ऐसी योजना किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति की किसी संपत्ति या दायित्व को बीमार औद्योगिक कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित करने का प्रावधान करती है, तो स्वीकृत योजना या उसके किसी प्रावधान के संचालन में आने की तारीख से योजना के आधार पर और उसमें प्रदान की गई सीमा तक, संपत्ति को हस्तांतरित किया जाएगा और निहित किया जाएगा, और दायित्व ऐसी अन्य कंपनी या व्यक्ति या, जैसा भी मामला हो, बीमार औद्योगिक कंपनी का दायित्व बन जाएगा। बिशंभर प्रसाद बनाम।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

2. इस बात पर भी सहमति बनी है कि एपीपीएल सभी देनदारियों को अपने हाथ में ले लेगा सर पदमपत रिसर्च के कामगारों/कर्मचारियों से संबंधित

केंद्र, जैसा कि अनुबंध बी के अनुसार निर्धारित किया गया है, भले ही एस. पी. आर. सी.

इकाई एपीपीएल को हस्तांतरित नहीं की जाएगी और जेकेएसएल द्वारा बरकरार रखी जाएगी।

3. ए. पी. पी. एल. कोटा परिसर का संचालन इसी नाम से करेगी और अरफत पेट्रोकेमिकल प्रा. लि. की शैली लिमिटेड (एपीपीएल) एक नई कंपनी के रूप में

और नए नियोक्ता। वे अपने नियुक्ति पत्र जारी करेंगे

उपयुक्तता के अधीन चरणबद्ध तरीके से आवश्यकताओं के अनुसार और

जिसमें रोजगार की शर्तें आदि शामिल हैं। के तहत रोजगार का बकाया

जेकेएसएल को पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में निपटाया जाएगा जैसा कि संक्षेप में कहा गया है।

संलग्नक-ए।

XXX "

XXX

XXX

समझौते के शेष भाग में कई खंड हैं जो इस प्रकार हैं -

जे. के. एस. एल. के स्वामित्व वाली निष्क्रिय इकाइयों के विघटन के बाद शुरू होने वाले प्रतिवादी संख्या 1 के संचालन में श्रमिकों के अवशोषण को आगे बढ़ाना। 22.10.2002 के दूसरे समझौते में भी इसी तरह के प्रावधान थे।

18. आखिरकार, एएआईएफआर ने जेकेएसएल के लिए एक पुनर्वास योजना को मंजूरी दी

23.01.2003 पर। इस योजना ने जेकेएसएल, प्रतिवादी संख्या 1 और विभिन्न श्रमिक संघों द्वारा किए गए त्रिपक्षीय समझौतों/समझौतों को संदर्भित और मान्य किया। यह नोट किया गया कि कोटा में औद्योगिक संचालन को पुनर्जीवित करने के लिए उन समझौतों के तहत अपने दायित्व के साथ-साथ उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा श्रमिकों की देनदारियों को लिया गया था। एक संयुक्त उद्यम और शेयरधारक समझौते (इसके बाद, "जेवी") पर हस्ताक्षर किए गए। प्रत्यर्थी संख्या 1 और जे. के. एस. एल. के बीच 13.05.2003 पर, जिसने एल. आई. ए., कोटा पर बकाया देनदारियों के साथ-साथ मजदूरों के बकाया के निर्वहन के लिए जे. के. एस. एल. के दायित्व को मजबूत किया। ए. ए. आई. एफ. आर. योजना को 07.01.2005 पर अंतिम रूप दिया गया था, और इसमें एक दायित्व शामिल था

जे. के. एस. एल. श्रमिक संघों के साथ पहले के त्रिपक्षीय समझौतों का सम्मान करने के लिए उत्तरदाता संख्या 1। पुनर्वास योजना के एक हिस्से में एल. आई. ए., कोटा में जे. के. एस. एल. से दूर और प्रतिवादी संख्या 1 को 227.15 एकड़ भूमि देना शामिल था।

19. उत्तरदाता संख्या 1, उपरोक्त संयुक्त उद्यम के भाग के रूप में

स्वयं और जे. के. एस. एल. ने एल. आई. ए., कोटा पर पट्टे को जे. के. एस. एल. से दूर और खुद को स्थानांतरित करने पर राज्य सरकार के साथ समन्वय करना जारी रखा। इस आशय का एक पत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा राज्य सरकार को 07.01.2006 पर भेजा गया था, जिसमें एल. आई. ए., [2023] 7 एस. सी. आर. पर पट्टे का सीमांकन और हस्तांतरण करने की मांग की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल ए. ए. आई. एफ. आर. योजना के आलोक में उत्तरदाता संख्या 1 को। द.

इस पत्र का चींटी भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" ..... यह आपके स्वयं के साथ मिलने का संदर्भ है।

04/01/2006 जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड, कोटा की लीज होल्ड भूमि को मेसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल को द्विभाजन और हस्तांतरण के संबंध में प्रा. लिमिटेड.

हम आपसे शीघ्र मंजूरी के लिए अनुरोध करते हैं।

(ग) 2 भागों में दिनांकित पट्टा विलेख के विभाजन के लिए

- एस. पी. आर. सी. से संबंधित 37.16 एकड़ का एक आच्छादन क्षेत्र जो है

हस्तांतरित नहीं किया जाएगा क्योंकि यह उसी के नाम पर जारी रहेगा जेकेएसएल और दूसरा शेष भूमि के लिए।

(घ) बची हुई सभी भूमि एपीपीएल को हस्तांतरित करने की अनुमति।

उपरोक्त 37.16 एकड़ को छोड़कर।

हम एक बार फिर आपसे आपके अच्छे होने का अनुरोध करते हैं।

उपरोक्त मामले में अनुमोदन "।

20. ए. ए. आई. एफ. आर. की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार

कलेक्टर 7 नए पट्टा विलेखों को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़े

उत्तरदाता संख्या 1 के पक्ष में तिथि। 7 कार्यों पर हस्ताक्षर किए गए

. 2007 , सामूहिक रूप से भूमि पर पट्टा सौंप दिया गया

1, निम्नलिखित खंडों में:

1 सेंट डीडः स्थापना के लिए 48.40 एकड़ का भूखंड संख्या 5A

(i)

नायलॉन का पौधा और कॉलोनी;

2 एन डी डीडः अनुसंधान एवं विकास के संचालन के लिए 7.15 एकड़ का भूखंड संख्या 5 बी

(ख)

ऐक्रेलिक फाइबर पर;

3 आर डी डीडः नायलॉन की स्थापना के लिए 14.45 एकड़ का भूखंड संख्या 5C

iii.

टायर और तार संयंत्र;

4 द डीडः प्लॉट संख्या। 16 , 17 , & स्थापना के लिए 30.56 एकड़ का D

(iv)

एक पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर संयंत्र;

5 द डीडः प्लॉट संख्या। 23-30 , ए-सी, 70.66 एकड़ के लिए

v)

सी. डी. पी. एच सड़कों का निर्माण;

6 द डीडः प्लॉट संख्या। 19-2126, 16 एकड़ का बी, 32 बी, 33,34 और एफ,

vi)

एक अन्य ऐक्रेलिक/स्टेपल फाइबर संयंत्र स्थापित करने के लिए;

7 द डीडः प्लॉट संख्या। 19-2129.77 का A, 22,31,32A और F1

vii)

सिंथेटिक स्टेपल फाइबर संयंत्र स्थापित करने के लिए एकड़।

बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

पट्टा विलेखों की शर्तें काफी हद तक समान सामग्री थीं। इन नए पट्टों में से प्रत्येक में निहित प्रासंगिक भाग

प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए भूमि, और हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक, निम्नानुसार हैं:

" अब इस उद्योग के गवाह इस प्रकार हैं:

(iii) कि पट्टेदार भूखंड पर केवल ऐसी इमारतों, शेडों और संरचनाओं की स्थापना, निर्माण, निर्माण और निर्माण करेगा जो उसके लिए उपरोक्त उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक हैं और ऐसे अन्य आवासीय क्वार्टर भी जो उनके लिए आवश्यक हैं: लगे हुए या होने के लिए

उक्त कारखाने में कार्यरत।

((iv) पट्टेदार भूमि के उक्त भूखंड पर या उसके किसी हिस्से पर, जिसका उद्देश्य हो सकता है, किसी भी संरचना या भवन का निर्माण या निर्माण नहीं करने के लिए सहमत होता है। इसका उपयोग उपरोक्त उद्योग संवर्धन के अलावा एक वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में करना या जिसका उक्त भूखंड

पट्टेदार को पट्टे पर दिया गया है।

दस्तावेजों की इस श्रृंखला से जो स्पष्ट है वह सर्वोपरि है।

भूमि का उपयोग उसके विशिष्ट इच्छित उद्देश्य के लिए करना और किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक संरचनाओं को स्थापित करने के लिए उस औद्योगिक उद्देश्य से कोई विचलन नहीं होना। जेकेएसएल से प्रतिवादी नंबर 1 में हाथ बदलने के बावजूद पट्टे के पीछे का समग्र उद्देश्य अपरिवर्तित रहा।

21. ए. ए. आई. एफ. आर. योजना में विभिन्न आवश्यकताएँ थीं -

उत्तरदाता संख्या 1 को पूरा करने के लिए अनिवार्य किया गया था। इनमें उस स्थल पर औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार शामिल था जो जेकेएसएल अब संचालित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय स्थिति में नहीं था। इसके अलावा, जैसा कि योजना द्वारा आवश्यक भी था, प्रतिवादी संख्या 1, जेकेएसएल और श्रमिक संघों के बीच उपरोक्त त्रिपक्षीय निपटान समझौतों को प्रभावी बनाया जाना था। निपटान समझौतों ने श्रमिकों को देय मुआवजे को रुपये निर्धारित किया। 40.42 करोड़, और यह भी परिकल्पना की गई कि विचाराधीन श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों में रोजगार मिलेगा, जिसका प्रबंधन अब से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया जाएगा। ए. ए. आई. एफ. आर. योजना के प्रासंगिक भाग पुनरुत्पादन योग्य हैं:

9.1 जे. के. एस. एल. ने व्यापक प्रयास के बाद अरफत समूह की पहचान की है। बोस्टन स्थित परामर्श कंपनी मेसर्स एक्सेस इंटरनेशनल (एक्सेस) की मदद से कंपनी द्वारा की गई खोज।

9.2 कोटा इकाइयों की व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निपटान चल रहे श्रम विवादों के समाधान और श्रम देनदारियों के निपटारे के बिना संभव या व्यावहारिक नहीं था। पुनरुद्धार के लिए एक महत्वपूर्ण विचार संभावित खरीदार द्वारा श्रम दायित्व की धारणा थी क्योंकि श्रमिकों का बकाया बहुत अधिक था और उसी पुनरुद्धार के निपटान के बिना संभव नहीं था। इसलिए, प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए। कम्पनी द्वारा एक्सेस के परामर्श से क्वांटम प्रस्ताव संख्या के आधार पर उनका विश्लेषण करने का निर्णय लिया गया था। पुनः आरंभ की जा रही इकाइयों की कुल संख्या। सृजित की जा रही नौकरियों और श्रम विवादों और धारणाओं के समाधान के संबंध में उच्च अधिकारियों की इच्छा

श्रम देनदारियों का "।

22. ए. ए. आई. एफ. आर. योजना के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 1 ने शुरू में ऐक्रेलिक फाइबर के निर्माण के लिए एक इकाई को फिर से शुरू किया। शेष 6 इकाइयाँ कोमा में रह गईं। दुर्भाग्य से, एकमात्र इकाई जो थी ऑपरेशन की केवल एक संक्षिप्त अवधि के बाद और हस्तांतरण पट्टा विलेखों के ठीक 6 महीने बाद, अक्टूबर, 2007 में कायाकल्प को एक कथित आग का सामना करना पड़ा।

हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कारखाना बंद हो गया। नतीजतन, एल. आई. ए., कोटा में औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने का समग्र उद्देश्य विफल हो गया। इसका परिणाम मुख्य रूप से मुकदमेबाजी का एक दशक था।

ए. ए. आई. एफ. आर. में विचार के अनुसार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने में उत्तरदाता की विफलता के संबंध में श्रमिक संघों और प्रतिवादी संख्या 1 को शामिल करना। योजना।

23. कर्मचारियों ने अपने बकाया की वसूली करने और पुनर्वास योजना को लागू करने के अपने प्रयास में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, बी. आई. एफ. आर. और ए. ए. आई. एफ. आर. सहित कई मंचों के समक्ष कार्यवाही शुरू की। इन मुकदमों में से एक था ए. ए. आई. एफ. आर. द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को जारी किए गए निर्देशों के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष दायर एस. एल. पी. और परिणामी समीक्षा याचिकाएँ। निर्देश श्रमिकों के पक्ष में और पुनर्वास योजना को आगे बढ़ाने के लिए थे जिसे ए. ए. आई. एफ. आर. ने पहले मंजूरी दी थी। हालाँकि, अपील में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एएआईएफआर का प्रतिवादी संख्या 1 पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह एस. आई. सी. ए. के तहत एक "बीमार कंपनी" नहीं थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। अपीलकर्ता संघों और अन्य लोगों द्वारा एस. एल. पी. को इस न्यायालय द्वारा 18.11.2016 पर खारिज कर दिया गया था, और बाद की समीक्षा याचिकाओं को भी क्रमशः 17.08.2017 और 06.03.2018 पर खारिज कर दिया गया था, यह पुष्टि करते हुए कि प्रतिवादी संख्या 1 को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान में रखते हुए कि ए. ए. आई. एफ. आर. योजना को निष्पादित किया जाना चाहिए। व्यक्तियों या श्रमिकों के समूहों द्वारा की गई कुछ अन्य कार्यवाहियां विभिन्न बिशंभर प्रसाद बनाम में लंबित हैं।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

मंच और हमारे उद्देश्यों के लिए पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। 18.11.2016² पर SLP को खारिज करने के आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

" 12. इन अपीलों की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा कई तर्क उठाए गए हैं जिन्हें हमने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि वे इन अपीलों में विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। हम अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत बी. आई. एफ. आर. के अधिकार क्षेत्र पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। यह है।

के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बी. आई. एफ. आर. के लिए खुला स्वीकृत योजना और उपयुक्त निर्देश पारित करें "।

24. प्रतिवादी नंबर 1 और विभिन्न श्रमिक संघों के बीच कानूनी संघर्ष के बीच, उत्तरदाता ने एक प्रयास किया

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एल. आई. ए., कोटा में किफायती आवास योजना विकसित की गई। यह आवेदन एक बार फिर किया गया था

जिला कलेक्टर, कोटा। इस समय तक, क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ी थीं। हालाँकि, जन आवास योजना के तहत विचार किए जाने वाला यह आवेदन असफल रहा।

25. इसके बाद, एल. आई. ए., कोटा से संबंधित मामलों पर एक दशक से अधिक समय तक सीधे कलेक्टर के साथ काम करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 1

अंततः पट्टे के तहत उसके कब्जे वाली भूमि के 23 प्रतिशत तक भूमि उपयोग को औद्योगिक से वाणिज्यिक में बदलने की मांग की गई। लेकिन यह प्रस्ताव कलेक्टर के बजाय आर. आई. आई. सी. ओ. को प्रस्तुत किया गया था।

उत्तरदाता संख्या 1 ने 2007 में पट्टा विलेखों के निष्पादन या जन आवास योजना के लिए पहले जिला कलेक्टर के साथ संपर्क करने के बाद अब आर. आई. आई. सी. ओ. के साथ समन्वय करने के लिए अपनी स्थिति को स्थानांतरित कर दिया। इन प्रस्तावों का उद्देश्य 1979 के नियमों के तहत भूमि के उप-विभाजन और परिवर्तन को प्रभावी बनाना था। भूमि नियोजन द्वारा प्रस्तावों पर विचार किया गया था।

आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा 03.10.2018 पर गठित समिति और उप-विभाजन और रूपांतरण के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई, जैसा कि आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा 05.10.2018 पर जारी बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है। इसके एक दिन बाद,

06.10.2018 , राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई और आदर्श आचार संहिता लागू हुई। बुनियादी ढांचा आर. आई. आई. सी. ओ. की विकास समिति ने 08.10.2018 पर इसका अनुसरण किया और इस संबंध में अपनी मंजूरी जारी की।

26. प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, आर. आई. आई. सी. ओ. और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पूरक पट्टा समझौतों को निष्पादित किया गया।

22.11.2018 . भूखंडों के विलय के लिए एक अन्य पूरक विलेख पर भी इन पक्षों के बीच 13.12.2018 पर हस्ताक्षर किए गए थे। बाद में धर्मांतरण 2 सी. ए. नं. 8597-8599 2010 से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2018 में सरकार बदलने के बाद जांच के दायरे में आया

राजस्थान चुनाव। नवनिर्वाचित मंत्रिपरिषद ने चुनाव से पहले 6 महीने की अवधि में पूर्ववर्ती सत्तारूढ़ सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के लिए 01.01.2019 पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया। जब यह आंतरिक विचार सामने आ रहा था, तब आर. आई. आई. सी. ओ. ने अपने इकाई कार्यालयों को भूमि के उपयोग के रूपांतरण के लिए अनुमति देना बंद करने का निर्देश दिया।

27.05.2019 पर 1979 के नियमों के नियम 20 (c), अगली सूचना तक। हालाँकि, आर. आई. आई. सी. ओ. की कोटा शाखा ने 05.07.2019 पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुरोध के अनुसार एल. आई. ए., कोटा के उप-विभाजन की अनुमति देने के लिए आगे बढ़े। द.

गलती तब स्पष्ट हुई जब उप-मंडल को मंजूरी दी गई, जिससे कोटा में कार्यालय द्वारा निकासी आदेश जारी करने की आवश्यकता हो गई।

27. इस बीच, राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडल समिति द्वारा आंतरिक विचार-विमर्श को 03.08.2019 तक बढ़ा दिया गया, जब समिति ने सभी अनुमतियों और मंजूरियों को रद्द करने का संकल्प लिया

28. राज्य सरकार ने आर. आई. आई. सी. ओ. को आर. आई. आई. सी. ओ. के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 138 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्रदान की गई मंजूरी को रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए। आर. आई. आई. सी. ओ. ने 11.10.2019 पर आदेश जारी किए और

14.10.2019 , अंततः भूमि के रूपांतरण की अनुमति को रद्द करने के साथ-साथ उन पूरक पट्टों को भी रद्द करना जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर रह रहे थे।

29. प्रतिवादी संख्या 1 इन कार्यों से व्यथित था और उसने राज्य सरकार के साथ-साथ आर. आई. आई. सी. ओ. को विभिन्न अभ्यावेदन दिए।

भूमि पर अपने पट्टे और अधिकार को बहाल करने की मांग करना। आखिरकार, इसने अपने पट्टे को रद्द करने और भूमि के उपयोग के रूपांतरण की अनुमति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उठाए गए तर्कों में शामिल थेः

(क) आर. आई. आई. सी. ओ. के ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 138 में वैधानिक बल नहीं था और कोई तीसरा पक्ष इसके तहत किए गए निर्णयों या जारी किए गए निर्देशों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो सकता था;

(बी) भले ही अनुच्छेद 138 में वैधानिक बल था, जिस तरह से प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई मंजूरी और अनुमतियों को रद्द कर दिया गया था और अलग कर दिया गया था, वह मनमाना, अनुचित था और

संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के कारण असंवैधानिक; विशंभर प्रसाद बनाम।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

(ग) प्रत्यर्थी नं. 1 को कारणदर्शक नोटिस भी जारी नहीं किया गया था और न ही उसे अपना बचाव करने का मौका दिया गया था। इस प्रकार, रद्द करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था
आवंटन;

(घ) 1979 के नियमों के तहत प्रक्रिया का पालन करना पड़ा, क्योंकि एल. आई. ए., कोटा को 18.09.1979 आदेश के तहत आर. आई. आई. सी. ओ. को स्थानांतरित कर दिया गया था।

30. राज्य सरकार और उसके अधिकारियों ने इस आधार पर याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताई कि ए. ओ. ए. का अनुच्छेद 138

आर. आई. आई. सी. ओ. की प्रकृति वैधानिक नहीं थी और इसलिए, इस संबंध में एक रिट दायर नहीं की जा सकी। भूमि के आवंटन और रूपांतरण की अनुमति को रद्द करने का बचाव करते हुए इस आधार पर और विवाद उठाए गए कि यह निर्णय आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में लिया गया था जो उस अवधि के दौरान प्रभावी हुई थी जब आर. आई. आई. सी. ओ. की भूमि योजना समिति और अवसंरचना विकास समिति ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को 23 प्रतिशत भूमि को वाणिज्यिक उपयोग में बदलने की अनुमति देने का निर्णय लिया था। 31. जबकि मामला शुरू में एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था, उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने स्थानांतरित करने का फैसला किया

उनकी अध्यक्षता में एक खंड पीठ को फाइल करें। विभिन्न अपीलार्थी संघ जो कार्यान्वयन न होने से व्यथित थे

ए. ए. आई. एफ. आर. योजना को कार्यवाही में शामिल किया गया। अंततः डिवीजन बेंच ने विस्तृत दलीलें सुनीं और विवादित याचिका को पारित कर दिया।

निर्णय, प्रत्यर्थी संख्या 1 की स्थिति से सहमत। इसमें कहा गयाः

सवाल यह है कि क्या आर. आई. आई. सी. ओ. को इसके तहत निर्देशित किया जा सकता है

(i)

ए. ओ. ए. का अनुच्छेद 138 कार्रवाई करने के लिए जो हो सकता है किसी तीसरे पक्ष के मौलिक अधिकारों को निरस्त करना महत्वपूर्ण था। इसके लिए डिवीजन बेंच को निर्णय लेने की आवश्यकता थी

एकल न्यायाधीश के बजाय विवाद;

(ख)

राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय

प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमि के आवंटन को रद्द करने के लिए आर. आई. आई. सी. ओ. उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना था, और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट बनाए रखने योग्य था।

इस उपाय के खिलाफ;

सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979, सभी आवंटित किया गया

iii)

राजस्थान राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों को उनके विकास की देखरेख और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आर. आई. आई. सी. ओ.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

इस बिंदु के बाद से इन भूमि के संबंध में जो भी कार्रवाई की गई, वह 1979 के नियमों के तहत होनी चाहिए। इन नियमों को रद्द करते हुए राज्य सरकार और उसके अधिकारियों ने इन नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की थी।

पूरक पट्टे और रूपांतरण;

एल. आई. ए., कोटा के लिए मास्टर प्लान के तहत भूमि के रूपांतरण की अनुमति थी। आर. आई. आई. सी. ओ., जो अब इन भूमि का प्रभारी था, के पास 1979 के नियमों के तहत मास्टर प्लान के साथ पढ़ने का अधिकार था कि यदि आवश्यक और उचित समझा जाए तो भूमि के रूपांतरण की अनुमति दी जाए। मंत्रिमंडल समिति द्वारा 03.08.2019 पर अपने निष्कर्ष के लिए कोई कारण नहीं दिया गया था कि पट्टों को रद्द करने की आवश्यकता है। मोहिंदर सिंह गिल बनाम में उच्चतम न्यायालय। मुख्य चुनाव अधिकारी 3 ने निर्धारित किया था कि कुछ कार्यों के पीछे के कारणों को अंतिम निर्णय में ही शामिल किया जाना था और बाद में इसके माध्यम से पूरक नहीं किया जा सकता था।

शपथ पत्र। सरकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है

लिए गए निर्णयों को निरस्त करने के लिए अनुमेय उत्प्रेरक

पिछली सरकार में। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 को पूरे विचार-विमर्श के बारे में अंधेरे में रखा गया था और उसके पास इस मामले की वकालत करने के लिए कोई मंच नहीं था कि आवंटन क्यों किया गया।

और भूमि का रूपांतरण कानूनी रूप से सही था;

यह दावा कि भूमि को औद्योगिक उपयोग से वाणिज्यिक उपयोग में बदलने की अनुमति ने मॉडल का उल्लंघन किया है

आचार संहिता संदिग्ध थी, क्योंकि इस आधार पर इसी तरह की कोई अन्य मंजूरी नहीं दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को विशेष रूप से अलग किया गया था और

इस व्यवस्था को अस्वीकार करना; श्रमिक संघ बहस के दौरान उपस्थित होने में विफल रहे और उनकी दलीलों पर विचार नहीं किया जा सका

इसके परिणामस्वरूप।

सी 405।

हंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

नतीजतन, उच्च न्यायालय ने मंत्रिमंडल के फैसले को रद्द कर दिया

समिति और आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा एक नंबर 1 को आवंटन रद्द करने के लिए उठाए गए कदम। अपीलकर्ता संघ, आर. आई. आई. सी. ओ. और राज्य, मामलों के इस समूह में अपील करने के लिए हमारे सामने आए हैं।

B. तर्क

32. हमने विद्वान वरिष्ठ वकीलों से प्रस्तुतियाँ सुनी हैं,

दुष्यंत दवे और डॉ. मनीष सिंघवी क्रमशः थान और आर. आई. आई. सी. ओ. का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने खामियों को इंगित करने की कोशिश की

निम्नलिखित तर्कों के माध्यम से विवादित निर्णयः

एल. आई. ए., कोटा में प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित भूमि, हमेशा

(i)

राज्य सरकार के साथ बने रहे और 18.09.1979 दिनांकित आदेश के बावजूद कभी भी RIICO को आवंटित नहीं किया गया।

वर्षों से संकेत मिलता है कि यह इस तथ्य से भी अवगत था। इसलिए, आर. आई. आई. सी. ओ. के पास भूमि के उपयोग को बदलने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के प्रस्ताव पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं था। औद्योगिक से वाणिज्यिक;

जब पट्टे का नया सेट प्रत्यर्थी के साथ निष्पादित किया गया था

(ख)

नंबर 1 ए. ए. आई. एफ. आर. योजना और जे. के. एस. एल. के लिए पुनर्वास योजना के अनुसार, समझौतों पर जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। आर. आई. आई. सी. ओ. इस प्रक्रिया में शामिल नहीं था।

वास्तव में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पूरे समय इस तरह से काम किया था जिससे जिला कलेक्टर और राज्य को मान्यता मिली।

राजस्व अधिकारी हमेशा विषय-क्षेत्र के मामलों का प्रबंधन करते थे।

विचाराधीन भूमि को 1959 के माध्यम से विनियमित किया जाना था

iii)

1979 के नियमों के बजाय नियम। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर. आई. आई. सी. ओ. और प्रत्यर्थी संख्या 1 पहले ही इसके माध्यम से स्वीकार कर चुके थे।

दशकों से उनका आचरण, कि राज्य सरकार ने एल. आई. ए., कोटा पर नियंत्रण बनाए रखा। इसलिए, केवल राजस्थान राज्य जिला कलेक्टर, कोटा के माध्यम से, न कि आर. आई. आई. सी. ओ., भूमि के रूपांतरण और पूरक पट्टा विलेखों के निष्पादन के प्रस्ताव पर विचार कर सकता था। 1979 के नियमों के नियम 12 में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई थी कि

अंतःस्थापित प्रावधान केवल उन पट्टों पर लागू होंगे जिन पर संभावित रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। इस उदाहरण में, जेकेएसएल के पास [2023] 7 एस. सी. आर. थे।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

एल. आई. ए., कोटा में पहले से ही क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है

1959 के नियम;

1959 के नियमों के नियम 8 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विचाराधीन भूमि का उपयोग औद्योगिक विकास के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह केवल राज्य सरकार के स्पष्ट प्राधिकरण के साथ है कि उपयोग कर सकते हैं

बदला जाए। 1959 के नियमों के नियम 9 में कहा गया है कि भूखंडों के उपखंड की मांग करते समय भी सरकार की अनुमति ली जानी चाहिए। इसलिए, इस प्रक्रिया का पालन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना था यदि वह भूमि और संबंधित उपखंड के उपयोग में परिवर्तन चाहता था।

आर. आई. आई. सी. ओ. ने कभी भी प्रत्यर्थी संख्या 1 से पट्टा किराया या सेवा शुल्क की कोई मांग नहीं की है। श्रृंखला से दस्तावेज़ और संचार, जैसा कि पहले से ही पुनः प्रस्तुत किया गया है

इससे पहले, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन भूमि पर अधिकार और अधिकार क्षेत्र की अपनी कमी के बारे में आर. आई. आई. सी. ओ. की भी यही राय थी। जमीन राज्य के पास रह गई।

हर समय सरकार;

प्रत्यर्थी संख्या 1 एल. आई. ए., कोटा में औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहा था। ए. ए. आई. एफ. आर. द्वारा पुनर्वास योजना की अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं किया गया था और एस. आई. सी. ए. के अनुसार, इसका परिणाम यह था

डिफ़ॉल्ट रूप से कंपनी का समापन होना था;

एएआईएफआर योजना के साथ-साथ आदर्श आचार संहिता, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है और कोटा क्षेत्र के औद्योगिक विकास में बाधा आती है; नई सरकार को पिछले शासक वर्ग के फैसलों की जांच करने का अधिकार था, जैसा कि इस न्यायालय ने कृष्ण बल्लव सहाय और अन्य मामलों में माना था। वी. जांच आयोग और अन्य। इसके अलावा, आर. आई. आई. सी. ओ. के ए. ओ. ए. का अनुच्छेद 138

आर 387।

बी. एच. ए. आर. प्रसाद बनाम एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

स्पष्ट रूप से राजस्थान राज्य को कुछ उपायों को पूरा करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति दी गई। इसमें पूरक पट्टा विलेख को रद्द करना शामिल था।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ और अलग रखने के साथ

भूमि के उपयोग को परिवर्तित करने की अनुमति। अनुच्छेद 138 के समान खंड लगभग हर सरकारी नियंत्रित संस्था के अनुच्छेद/ज्ञापन में निहित है, और

भारतीय उर्वरक निगम के प्रबंधन में बरकरार रखा गया v. उनके कर्मचारी और बाद में एक द्वारा पुष्टि की गई

सुखदेव सिंह और अन्य में संविधान पीठ। वी. भगत राम & Ors.6;

एक तर्क के रूप में, भले ही भूमि को दिनांकित 18.09.1979 के आदेश के अनुसार RIICO को आवंटित किया गया था और निगम एल. आई. ए., कोटा की तुलना में अनुमोदन और अनुमति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी था, राजस्थान राज्य द्वारा जारी निर्देशों में अभी भी कोई कमजोरी नहीं थी।

ए. ओ. ए के अनुच्छेद 138 के तहत। राज्य सरकार

आर. आई. आई. सी. ओ. को जनहित में अपने आदेशों के अनुसार कार्य करने का आदेश देने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार बनाए रखा;

आर. आई. आई. सी. ओ. ने बाद में भूमि के उपयोग के संदर्भ में किसी भी रूपांतरण की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया था। यह

राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के बाद विचार-विमर्श किया गया। इस प्रकृति के किसी भी और धर्मांतरण को रोकने का अंतिम निर्णय राज्य सरकार और राज्य भर के सभी आर. आई. आई. सी. ओ. इकाई कार्यालयों को 05.07.2019 पर जारी किया गया था। इसके बाद, इस उद्देश्य के लिए भूमि को वाणिज्यिक उपयोग में बदलने और भूखंड के उप-विभाजन के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई अनुमतियों को 22.07.2019 पर वापस ले लिया गया और

25.07.2019 , क्रमशः। पूरक पट्टा विलेख था

फिर 11.10.2019 पर रद्द कर दिया गया;

सरकार द्वारा नीति में बदलाव के खिलाफ 1959 के नियमों या यहां तक कि उस मामले के लिए 1979 के नियमों में कहीं भी कोई गारंटी नहीं है। सरकार के लिए बदलती वास्तविकताओं के अनुसार कार्य करने की पूरी तरह से अनुमति है, खासकर जब सार्वजनिक संपत्ति का स्पष्ट मामला हो।

आर 706।

2421 .

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

निजी लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है, पूर्ववर्ती कार्यकारी प्राधिकरणों और प्रबंधन की मिलीभगत से

रीको; कानून के खिलाफ रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा भूमि पर खर्च किया गया धन नहीं होगा।

एल. आई. ए., कोटा के लिए मास्टर प्लान के उल्लंघन को मान्य करें। योजना में स्पष्ट रूप से एक विशुद्ध रूप से औद्योगिक क्षेत्र पर विचार किया गया था जिसे प्रतिवादी संख्या 1 की इच्छा से कमजोर कर दिया गया था

इसके बजाय वाणिज्यिक उद्यम स्थापित करें।

प्रत्यर्थी संख्या 1 जमीन पर किए गए सटीक निवेश को ठोस शब्दों में दिखाने में विफल रहा था। भूमि के रूपांतरण की अनुमति देने वाले पहले के निर्णय की बहाली की मांग करने का इसका न्यायसंगत अधिकार नहीं था। अभिलेखों से प्रमाणित। भले ही इस तरह के दावे में कुछ योग्यता थी, यह न्यायालय मोतीलाल पदमपत बनाम में। उत्तर प्रदेश राज्य ने फैसला सुनाया था कि सार्वजनिक हित और बाध्यकारी प्रावधानों का पर्यवेक्षण करके बहिष्कार को ओवरराइड किया जाएगा।

कानून और/या नियम;

राजस्थान उच्च न्यायालय, 1952 के नियमों के तहत तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा एकल न्यायाधीश से खंड पीठ में मामले का स्थानांतरण अनुचित और अनियमित था। इस प्रक्रियात्मक आधार पर भी,

विवादित निर्णय अस्थिर था।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकीलों, श्री मुकुल रोहतगी एन. एस. नाडकर्णी ने राजस्थान राज्य और आर. आई. आई. सी. ओ. की दलीलों को खारिज कर दिया है।

विंग शर्तें: -

मंत्रिमंडल समिति का दिनांक 03.08.2019 का निर्णय केवल प्रतिवादी संख्या 1 को बाहर करने और पूर्ववर्ती सरकार के शासन के दौरान RIICO द्वारा दी गई अनुमतियों/अनुमोदन को रद्द करने के लिए लिया गया था। रद्द करने के कारण कभी भी प्रदान नहीं किए गए थे और न ही फाइल या अंतिम निर्णय में मौजूद हैं। रद्द करने का आधार कभी नहीं था

बाद में भी उल्लेख किया गया। अंततः उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत सभी कारण केवल बाद के विचार थे, जैसे कि:

सी 409।

बी. एच. ए. आर. प्रसाद बनाम एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

क) आदर्श आचार संहिता लागू है;

ख) उपयोग परिवर्तन के भूखंडों का उप-विभाजन आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा नहीं दिया जा सकता था और निगम के पास भूमि हस्तांतरण करने की क्षमता नहीं थी। ग) अनुमति देने की शक्ति केवल कलेक्टर के पास थी।

आदर्श आचार संहिता अप्रासंगिक है, क्योंकि भूमि को वाणिज्यिक में बदलने के लिए आवेदन और अनुमति

उप-विभाजन के लिए, अगस्त 2018 में दाखिल किया गया था, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले। बीच-बीच में कई

उसी भूमि योजना समिति और अवसंरचना विकास समिति द्वारा लिए गए अन्य निर्णय जिनमें से किसी को भी रद्द नहीं किया गया था। भूमि योजना समिति के संबंध में भी, इसी अवधि के दौरान कई अन्य प्रस्तावों पर विचार किया गया और उन्हें मंजूरी दी गई जब प्रतिवादी संख्या 1 का आवेदन लंबित था। लगभग 70 मामले थे।

सितंबर 2018 में अनुमोदित, साथ ही दिसंबर 2018 में, उत्तरदाता संख्या 1 के अलावा। इनमें से कोई नहीं

बाद में अपीलार्थियों द्वारा रद्द कर दिया गया, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह शुद्ध मनमानेपन का कार्य है और आदर्श आचार संहिता पर उठाए गए तर्क एक लंगड़े बहाने के अलावा और कुछ नहीं हैं;

धर्मांतरण के 30 अन्य उदाहरण हैं जिनमें आर. आई. आई. सी. ओ. ने अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य किया है।

1996 से 2019 तक। इनमें से 30 में से 3 मामले एल. आई. ए., कोटा से हैं। इन तीन मामलों में प्रतिवादी के विपरीत भूमि के 100% को वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तित करना शामिल था। नंबर 1 जिसने केवल 23 प्रतिशत के रूपांतरण की मांग की। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खड़ी की गई आवासीय कॉलोनियों पर राज्य द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। इसके अलावा, हाल ही में 2022 में, आर. आई. आई. सी. ओ. पट्टे के किराए और सेवा की मांग कर रहा है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 से आरोप, स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए कि वह प्रभारी है;

कलेक्टर ने केवल उत्तरदाता संख्या 1 के साथ 2007 के प्रारंभिक हस्तांतरण पट्टा विलेखों पर हस्ताक्षर किए थे क्योंकि विचाराधीन पट्टा विलेख नए पट्टे नहीं थे, बल्कि पट्टे के लिए निष्पादित किए गए थे।

जेकेएसएल के पक्ष में पहले से मौजूद पट्टे की शेष अवधि। ए. ए. आई. एफ. आर. योजना ने सहमति [2023] 7 एस. सी. आर. को संदर्भित किया।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

राज्य सरकार की ओर से, जिसके कारण कलेक्टर की भागीदारी भी आवश्यक हो गई। यही एकमात्र कारण था कि 2007 के कार्यों को कलेक्टर के साथ निष्पादित किया गया था न कि आर. आई. आई. सी. ओ. के साथ।

यह बहुत स्पष्ट है कि एल. आई. ए., कोटा में भूमि को आर. आई. आई. सी. ओ. को हस्तांतरित और आवंटित किया गया था और निगम को एकमात्र प्राधिकरण माना जाता था, यहां तक कि राज्य सरकार द्वारा भी, जो भूमि से निपटने में सक्षम थी। राज्य सरकार द्वारा दिनांकित 18.09.1979 आदेश में कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों का हस्तांतरण किया जाना है, जिसके अनुसार उद्योग के संयुक्त निदेशक ने एक आदेश द्वारा 28.09.1979 पर RIICO को भूमि आवंटित की।

राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 100 के तहत, राज्य सरकार ने 1959 के नियम बनाए थे, जो राज्य भर में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन और इन क्षेत्रों पर पट्टे के अनुदान को नियंत्रित करने के लिए थे। 1959 के नियमों में उद्देश्यपूर्ण तरीके से नियम 11 ए और अन्य को शामिल करके संशोधन किया गया था। 12. नियम 11 ए में कहा गया है कि औद्योगिक विकास के लिए आर. आई. आई. सी. ओ. को औद्योगिक भूमि आवंटित की जानी है, और नियम 12 के तहत, कंपनी को विकास के लिए विभिन्न उद्यमियों को पट्टे के माध्यम से भूमि वितरित करने का अधिकार है। इसलिए, आर. आई. आई. सी. ओ. को आबंटन एक वैधानिक आबंटन है।

राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम और 1959 के नियमों द्वारा मान्य; प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा दिए गए अनुमोदनों के अनुसार कार्य किया और इसलिए, अपीलार्थी अब प्रतिज्ञात्मक रोक और वैध के सिद्धांतों से बंधे हैं।

अपेक्षाएँ। उत्तरदाता नंबर 1 ने लगभग रु।

137.75 एल. आई. ए., कोटा में करोड़ रुपये और अपीलकर्ता संघों के श्रम बकाया का भी भुगतान किया है, जैसा कि त्रिपक्षीय निपटान समझौतों में सहमति हुई है।

चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इस धारणा पर कार्रवाई की है कि आर. आई. आई. सी. ओ. ने भूमि के रूपांतरण और भूखंडों के उप-विभाजन को वैध रूप से मंजूरी दी थी, इसलिए बाद में रद्द करने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रतिज्ञात्मक रोक प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में पूरी तरह से लागू होती है, और अपीलार्थियों द्वारा उद्धृत मोतीलाल पदमपत (सुप्रा) निर्णय, इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 की स्थिति के लिए फायदेमंद है; बी. एच. ए. आर. प्रसाद बनाम

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

सरकार। इस तरह का व्यवहार मनमाना, भेदभावपूर्ण और कानून में असमर्थनीय। तमिलनाडु राज्य बनाम में यह न्यायालय। श्याम सुंदर 3 ने अभिनिर्धारित किया था कि राज्य के किसी साधन में ऐसा कोई मामला नहीं हो सकता है जिसमें वह स्वयं राज्य द्वारा अपनाई गई स्थिति के विपरीत अभिवचन करे। कुछ परियोजनाओं के संबंध में अपनाई गई नीतियों में बदलती सरकारों के अनुसार बदलाव नहीं होना चाहिए। किसी राज्य के शासन के मामले में या पूर्व निर्णय द्वारा लिए गए निर्णय के निष्पादन के साथ

स्थापना, जब विचाराधीन निर्णय में राजनीतिक दर्शन शामिल नहीं होता है, तो सफल सरकार की आवश्यकता होती है

शासन एक सतत प्रक्रिया है और इसके तहत संविधान के अनुसार, किसी भी सरकार के पास पिछली सरकार के फैसलों की जांच करने, उन्हें दरकिनार करने और उन्हें वापस लेने के लिए समीक्षा की कोई सामान्य शक्ति उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी '

कृष्ण बल्लव सहाय (सुप्रा) पर भी निर्भरता है गलत स्थान पर रखा गया क्योंकि उस मामले में एक जांच की जा रही थी

सरकारी अधिकारियों/मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर आयोजित किया गया। इन तथ्यों का पता चलने के बाद ही सरकार ने पहले के सत्तारूढ़ दल के फैसले को पलट दिया। वर्तमान में परिदृश्य में, ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है और न ही कोई जांच की गई है।

अपीलार्थी इन नियमों का पालन करने के लिए भी बाध्य थे -

उनकी नीतियों को लागू करते समय संविधान के अनुच्छेद 166 (3) के तहत बनाया गया कार्य, जिसे एक बार फिर पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। नियमों के नियम 5 में कहा गया है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हुए, विभिन्न मंत्रियों को सरकार का कार्य आवंटित करेंगे और उनके पोर्टफोलियो को विशिष्ट विभाग सौंपेंगे। नियम 9

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

पूरक पट्टा विलेख को रद्द करने और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्देश दिया। अनुच्छेदों में ऐसे खंड आम तौर पर कंपनी की नीति निर्धारित करने के लिए हैं और ऐसे निर्णय लेने के लिए नहीं हैं जो तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। ये मामले ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 138 के तहत आर. आई. आई. सी. ओ. को आदेश जारी करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किया जाना असहयोगी है।

जैसा कि उन मामलों में तथ्यों को इनडोर के साथ निपटाया गया था

विचाराधीन निगमों का प्रबंधन। वर्तमान मामले में की गई कार्रवाई आर. आई. आई. सी. ओ. के आंतरिक मामले से संबंधित नहीं है, बल्कि वैध रूप से प्राप्त की गई कार्रवाई को निरस्त करने से संबंधित है।

अनुमतियाँ और निहित अधिकार जो अर्जित हुए थे

प्रतिवादी नं. 1. 1979 के नियमों के तहत रद्द करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया पहले से ही प्रदान की गई है, जिसकी आवश्यकता थी

यदि इस तरह के कठोर कदम उठाए जाने हैं तो उनका पालन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को इस संबंध में आर. आई. आई. सी. ओ. को निर्देश जारी करने के लिए बेलगाम और निरंकुश शक्तियां नहीं दी जा सकती हैं। कानून के तहत किसी भी प्रक्रिया पर ध्यान दिए बिना इसका उपयोग किया जा सकता है। राज्य सरकार ने

इस कथित शक्ति का दुरुपयोग किया, जिसके होने का यह दावा करता है

हमेशा इसमें निहित;

यह न्यायालय पहले ही बी. राजगोपाला नायडू बनाम मामले में निर्णय दे चुका है।

राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, मद्रास और Ors.10

सीसी 374।

आर 1.

बी. एच. ए. आर. प्रसाद बनाम एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

कि आर. आई. आई. सी. ओ. के ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 138 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग विशिष्ट संस्थाओं के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए अपीलीय शक्तियों के रूप में नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रावधान नहीं हैं।

पहले के निर्णयों को रद्द करने के लिए एक कार्टे ब्लैंच प्राधिकरण प्रदान करें

तिरछे और अनिर्दिष्ट कारणों से आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा लिया गया।

इसके अलावा, इस तरह की कार्रवाई में द्वेष का स्पष्ट प्रमाण है कानून, जैसा कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कलाभारती विज्ञापन v में वर्णित है। हेमंत

विमलनाथ नरीचनिया & Ors.[11];

18.09.1979 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था

भाषा, कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों को आर. आई. आई. सी. ओ. को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इसमें एल. आई. ए., कोटा शामिल था। यह निर्णय संयुक्त निदेशक द्वारा 28.09.1979 पर प्रभावी किया गया था और जिस क्षेत्र पर प्रतिवादी संख्या 1 ने पट्टा बनाए रखा था, वह आर. आई. आई. सी. ओ. के नियंत्रण में आ गया था। 1979 के नियमों को उसी वर्ष लागू किया गया था, और इसका उद्देश्य प्रदान करना था

दिशा-निर्देश जिनके आधार पर आर. आई. आई. सी. ओ. अपने कार्यों को पूरा करेगा, जिसमें उप-विभाजन की अनुमति, परिवर्तन शामिल हैं।

भूमि उपयोग और औद्योगिक क्षेत्रों का आवंटन। वास्तव में, राज्य सरकार ने उसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पड़ोसी भूमि के संबंध में दायर 2021 की एसएलपी (सिविल) संख्या 8552 में एक रुख अपनाया है, जिसके तहत वह ऐसी भूमि का आरआईआईसीओ को हस्तांतरण पहले ही स्वीकार कर चुकी है।

इसने स्वीकार किया है कि आर. आई. आई. सी. ओ. ने राज्य सरकार के स्थान पर कदम रखा है और निगम प्रदान करता है ऐसी सेवाएँ जो उसके द्वारा प्रबंधित क्षेत्रों में किसी नागरिक निकाय या नगर निगम के समान हों। यही कारण है कि 1959 के नियमों में नियम 12 को विशेष रूप से जोड़ा गया था, ताकि राज्य सरकार के पास जो भी शक्तियां होतीं, उन्हें आर. आई. आई. सी. ओ. को भी दिया जा सके। इसलिए निगम कदम बढ़ाता है

सरकार की;

इसके अलावा, जैसा कि 1979 के नियमों का उल्लेख नियम 12 में 1959 के नियमों में किया गया था, 1979 के नियमों को विशेष रूप से उनमें शामिल किया गया था। 1979 के नियमों को न केवल वैधानिक रूप दिया गया था 1959 के नियमों में इस उल्लेख के आधार पर मान्यता, लेकिन इसके अतिरिक्त, 1979 के नियमों के तहत किए गए सभी आवंटन

वैधानिक समर्थन और मान्यता भी प्राप्त की;

सी 437।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

भरतपुर औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित इसी तरह के एक मामले में कलेक्टर द्वारा परफेक्ट को एक आवंटन किया गया था। मिट्टी के बर्तन। पट्टे में कहा गया है कि औद्योगिक उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, बाद में, औद्योगिक क्षेत्र को आर. आई. आई. सी. ओ. को स्थानांतरित कर दिया गया और

निगम ने उपखंड के लिए अनुमति दी और

परिणामस्वरूप पट्टा। इस मामले को राजस्थान राज्य की एक उच्च स्तरीय समिति के पास भेजा गया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव और महाधिवक्ता, प्रधान विधि सचिव, प्रधान सचिव

उद्योग और अन्य। समिति ने माना कि 1959 के नियमों के नियम 12 को शामिल करने के आधार पर, आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा की गई कार्रवाई वैध थी और कलेक्टर के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया जाना था। समिति के निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति के सदस्य उनकी राय थी कि आर. आई. आई. सी. ओ. निर्विवाद है

अधिकार क्षेत्र। उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों के मामले में

जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/विकसित किया गया था और दिनांकित आदेश के अनुसार आर. आई. आई. सी. ओ. को हस्तांतरित किया गया

18.09.1979 और बाद के संशोधन को ध्यान में रखते हुए

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र संशोधन नियम, 1959 नियम 12 को सम्मिलित करके अधिसूचना दिनांक 13.07.1982।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया था

समिति ने कहा कि कलेक्टर का 22.08.2019 दिनांकित आदेश

भरतपुर को अलग रखने की जरूरत है। इस उद्देश्य के लिए, RIICO

सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करनी चाहिए। में से राजस्थान के राजस्व विभाग में प्रा. सचिव,

मामले पर विचार करने के लिए राजस्व।

बैठक का समापन अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ हुआ।

एसडी /

(हुकुम सिंह राजपुरोहित)

सरकार के सचिव

& सदस्य सचिव "

--एक्स -

एक्स

-X BHAR प्रसाद v. एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

इससे पहले शपथ पर भी स्वीकार किया गया है

राज्य की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखितः क) आर. आई. आई. सी. ओ. ने 1979 के नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया

औद्योगिक भूखंडों के संबंध में। नियम स्वयं हैं

इन संदर्भों के आधार पर अर्जित वैधानिक बल वैधानिक विधानों/अधिनियमों में नियम। इसे देखते हुए, नहीं।

अन्य प्राधिकारी के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने में सक्षम होगा

1979 के नियमों के तहत विनियमित गतिविधियाँ;

आर. आई. आई. सी. ओ. का अपना अधिकार नियम 11 ए और 12 से प्राप्त होता है। 1959 के नियम, जिनके आधार पर राज्य सरकार

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई थी

निगम; (ग) आर. आई. आई. सी. ओ., एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में, उस तरीके से कार्य करने में सक्षम नहीं होता जिसमें वह करता है यदि स्पष्ट प्राधिकरण प्रदान नहीं किया गया होता।

भूमि के उपयोग में परिवर्तन की अनुमति दी गई थी

मास्टर प्लान। जैसा कि 1979 के नियम गुण द्वारा लागू थे। 18.09.1979 औद्योगिक भूमि को हस्तांतरित करने का आदेश

आर. आई. आई. सी. ओ., निगम का एकमात्र दायित्व यह सुनिश्चित करना था कि

भूमि के उपयोग का उप-विभाजन और परिवर्तन

गुरु के साथ पढ़े गए उक्त नियमों के अनुरूप था योजना बनाएँ। इसके अलावा, राजस्थान राज्य ने स्वयं 19.03.2003 पर एक परिपत्र जारी किया जिसमें औद्योगिक भूमि के रूपांतरण की अनुमति दी गई है।

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य उद्देश्यों में

मंदी का प्रकाश जो उस समय पकड़ में आया था;

जेकेएसएल से भूमि हस्तांतरण के लिए प्रारंभिक समझौता प्रत्यर्थी संख्या 1 पर कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, नहीं

क्योंकि राज्य सरकार के पास अभी भी नियंत्रण था, लेकिन

क्योंकि वे एस. आई. सी. ए. के तहत आवश्यकताएँ थीं और एएआईएफआर योजना। 1959 के नियमों के नियम 9 (iv) में एक पट्टेदार की आवश्यकता थी जिसे एस. आई. सी. ए. के तहत "बीमार कंपनी" घोषित किया गया था।

उस समय जे. के. एस. एल., राज्य से अनुमति लेने के लिए सरकार अपने पट्टा अधिकारों को किसी तीसरी संस्था को हस्तांतरित करे।

अनुमति जिले के माध्यम से प्रकट की गई थी कलेक्टर, कोटा, एएआईएफआर योजना के तत्वावधान में।

7 : 2018 का डी. बी. डब्ल्यू. पी. (सिविल) सं. 19102 ", रवींद्र शर्मा बनाम। डॉ. की स्थिति "। जोड़ें। श्री राजेन्द्र सिंह, डी. ए., जोधपुर द्वारा उत्तरदाताओं की ओर से शपथ पत्र।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

यह एक नया पट्टा नहीं था, बल्कि केवल एक विस्तार था वर्तमान पट्टा की पहले से मौजूद अवधि। इसलिए यह

प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं थी

नं. 1 कि राजस्थान राज्य ने नियंत्रण बनाए रखा

भूमि और केवल एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता थी जो थी

जेकेएसएल की स्थिति के कारण 1959 के नियमों के तहत पूरा किया जा रहा है

भूमि पर और आगे ले जाने के लिए संबंधित शक्ति इसके संबंध में उपाय, जैसे कि उपयोग का रूपांतरण और

भूखंडों का उप-विभाजन;

अपीलार्थियों द्वारा दिनांकित 12.01.1995 पत्र पर एक आधार के रूप में भरोसा किया गया इस बात का प्रमाण कि भूमि पर अधिकार राज्य द्वारा बरकरार रखा गया था

सरकार को बाद में एक दिनांकित पत्र द्वारा ओवरराइड किया गया था 31.03.1995 . इस पत्र के आधार पर, हस्तांतरित की गई फाइलें

भूमि को आर. आई. आई. सी. ओ. के पास रहने का निर्देश दिया गया था।

जन आवास योजना जिसके तहत उत्तरदाता

जिस तरह से यह एक स्वीकृति के रूप में कार्य करता है कि कलेक्टर और राज्य सरकार एल. आई. ए. में भूमि की प्रभारी थी,

कोटा। वास्तव में, कलेक्टर ने आर. आई. आई. सी. ओ. से राय मांगी थी। मामले में, स्पष्ट रूप से कलेक्टर के अपने विश्वास को दर्शाता है

कि निगम से सहमति लेने की आवश्यकता है;

कारण दर्शाओ नोटिस या अवसर की कमी

प्रत्यर्थी संख्या 1 का अपना बचाव करना अपीलार्थियों के लिए घातक है ' मामला। स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम। भारत संघ ने 1 3 बनाया था

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता को स्पष्ट करें

यहां तक कि प्रशासनिक निर्णयों के लिए भी। रद्द करने की प्रक्रिया

1979 के नियमों के नियम 24 (1) के तहत पहले से ही प्रदान किया गया था,

जिसका पालन करना पड़ता था। 1 4

€ 664 .

एल. एल. ए. टी. ओ. एन. को संबंधित वरिष्ठ डी. जी. एम./वरिष्ठ द्वारा आबंटित व्यक्ति को 45 दिनों का कारणदर्शक नोटिस जारी करने के बाद भूखंड आवंटन को रद्द करने का अधिकार होगा।इनमें से किसी भी नियम, पट्टा समझौते की शर्तों के उल्लंघन के लिए कृषि अधिकारी/क्षेत्रीय प्रबंधक। भूखंड रद्द करने की शक्तियां भूमि/भूखंड आवंटन की सभी श्रेणियों के लिए निहित होंगी, सिवाय भूमि के/नियम 3 (डब्ल्यू) के तहत।

बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

xiv) अपीलार्थी उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को प्रस्तुत करने के संबंध में निराधार आरोप लगा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ द रोस्टर होने के कारण एकल या खंड पीठ के समक्ष किसी भी मामले को सूचीबद्ध करने में सक्षम था। ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 138 को चुनौती देना सर्वोपरि सार्वजनिक महत्व का मुद्दा था, इसलिए मामले को उचित रूप से सामने रखा गया था।

एक डिवीजन बेंच।

XXV) ए. ए. आई. एफ. आर. योजना की विफलता के बारे में तर्क

वे अप्रासंगिक थे और मुद्दे से परे थे। इस न्यायालय ने श्रमिक संघों द्वारा दायर याचिकाओं के संदर्भ में अपने पहले के आदेश में पहले ही पुष्टि कर दी थी कि एस. आई. सी. ए. प्रतिवादी संख्या 1 पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यह एक "बीमार कंपनी" नहीं थी। विचाराधीन भूमि एएआईएफआर के हिस्से के रूप में प्राप्त की गई थी

नीलामी के माध्यम से योजना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि बी. आई. एफ. आर. या ए. ए. आई. एफ. आर. का स्वयं अधिकार क्षेत्र होगा

प्रतिवादी नं. 1.

XXVI) जहाँ तक अपीलकर्ता संघों द्वारा दायर एस. एल. पी. की बात है,

संबंधित, 17.08.2017 और 06.03.2018 पर सर्वोच्च न्यायालय के पहले के आदेशों ने उनकी समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया था

उस मुद्दे पर चुप रहो। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने श्रमिकों को ए. ए. आई. एफ. आर. योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान किया था और पुनर्वास योजना के संदर्भ में इसे आगे कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सका था।

34. विद्वान वरिष्ठ वकीलों, श्री दवे और डॉ. सिंघवी ने अपने पूर्ववर्ती सुझावों को दोहराने के अलावा अपने प्रत्युत्तर में निम्नलिखित खंडन दिएः

एक बार फिर तर्कः -

चुनाव के बाद नई सरकार का कार्य जारी है

(i)

पहले के सत्तारूढ़ दल के निर्णयों में कानूनी रूप से है

कारण दर्शाओ नोटिस में आबंटित व्यक्ति से कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि भूखंड आवंटन क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए, भूखंड का पट्टा विलेख समाप्त नहीं किया जाना चाहिए और भूखंड को कब्जे में नहीं लिया जाना चाहिए। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि उक्त चूक को केवल ब्याज/प्रतिधारण शुल्क के भुगतान या नियमों और शर्तों के उल्लंघन को हटाने पर ही माफ किया जाएगा।

नियमितीकरण। बकाया राशि जमा करने की प्रतिबद्धता के बिना, आवंटनकर्ता द्वारा विलंब/चूक को नियमित करने या नियमों और शर्तों के उल्लंघन को हटाने के लिए, भूखंड के पट्टा-विलेख को समाप्त करते हुए भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया जाना चाहिए।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

स्वीकार्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 रद्द करने के पीछे कथित दुर्भावनापूर्ण इरादे को साबित करने में विफल रहा था।

अनुपूरक पट्टा विलेख और भूमि के उपयोग के उप-विभाजन और रूपांतरण के लिए अनुमोदन को रद्द करना; निगम को निर्देश जारी करने के लिए आर. आई. आई. सी. ओ. के ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 138 के तहत प्रदान की गई शक्ति पर कोई रोक नहीं है। प्रदान किए जाने वाले कारणों की आवश्यकता के संदर्भ में, सच्चिदानंद में न्यायमूर्ति चिन्नाप्पा रेड्डी की राय

पांडे बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य "। यह रेखांकित किया गया कि निर्णय लेने से पहले की प्रक्रिया, विचार-विमर्श और बैठक के कार्यवृत्त को सुनिश्चित करते समय ध्यान में रखा जाएगा एक विशेष उपाय करने का कारण। प्रतिवादी संख्या 1 की स्थिति के विपरीत, अंतिम निर्णय के संप्रेषण में पूरे तर्क को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं थी;

आर. आई. आई. सी. ओ. एक कंपनी से ज्यादा कुछ नहीं है और 1979 के नियम इसके ए. ओ. ए. के तहत बनाए गए हैं। ये नियम वैधानिक आदेशों और आवश्यकताओं के अधीन हैं। 1979 के नियम आर. आई. आई. सी. ओ. के आंतरिक नियमों के एक समूह से अधिक कुछ नहीं हैं और राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधिनियमित 1959 के नियमों से तुलनीय नहीं हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम में यह न्यायालय। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और अन्य "। ऐसी कंपनियों के चरित्र और ए. ओ. ए. और आंतरिक के माध्यम से उनके व्यवसाय के संचालन पर जोर दिया है। अनुच्छेदों को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए नियम;

भूमि के उपयोग और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए 1959 के नियमों में नियम 11 ए उपयुक्त प्रावधान है। चूंकि विचाराधीन भूमि को कभी भी आर. आई. आई. सी. ओ. को हस्तांतरित नहीं किया गया था, इसलिए आर. आई. आई. सी. ओ. 1979 के नियमों के तहत बिल्कुल भी कार्य नहीं किया है। राज्य सरकार ने हमेशा 1959 के नियमों के तहत विषय भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण जारी रखा।

सी 295।सी 264।

बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

35. अपीलकर्ता संघों ने जेकेएसएल के पूर्व कर्मचारियों के अधिकारों के समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ भी दी हैं:

(i)

इसमें हमारे सामने एसएलपी शामिल हैं; अपीलकर्ता संघों ने ए. ए. आई. एफ. आर. योजना को स्वीकार कर लिया था

(ख)

केवल इस आधार पर कि एल. आई. ए., कोटा में औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू किया जाएगा। श्रमिकों पर एक लाख रुपये से अधिक का बकाया था। 250 करोड़ों का बकाया, जिसमें से वे केवल एक छोटा सा हिस्सा लेने के लिए सहमत हुए थे क्योंकि पुनर्वास योजना में इकाइयों को फिर से शुरू करने और उनके लिए परिणामी रोजगार की परिकल्पना की गई थी। चूंकि योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी और उत्तरदाता संख्या 1 उत्पादन को फिर से शुरू करने में असफल रहा था, इसलिए मजदूरों को

उन पर उनका पूरा बकाया बकाया था।

सी. विश्लेषण

36. हमारे सामने संपूर्ण और गहन प्रस्तुतियों की सहायता से, अब हम अपने सामने विवाद की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

सरकारी आदेश के अनुसार आर. आई. आई. सी. ओ. को हस्तांतरित किया गया 18.09.1979 ?

37. सभी पक्षों की ओर से उठाए गए तर्कों की पुनरावृत्ति से, हमारे निर्धारण के लिए पहला सवाल यह उठता है कि क्या एल. आई. ए., कोटा राज्य सरकार के निर्बाध प्रशासनिक नियंत्रण में बना रहा, या क्या इसे आर. आई. आई. सी. ओ. को स्थानांतरित कर दिया गया था। जवाब को उजागर करने के लिए, उन तथ्यों को दोहराना आवश्यक है जिन्हें पहले ही विस्तार से संदर्भित किया जा चुका है। मोटे तौर पर इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सरकारी भूमि वर्ष 1958 में जेकेएसएल को पट्टे के आधार पर आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन राज्य सरकार द्वारा अपनी औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, जिसे राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की शक्ति के साथ पढ़ा जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 100

राज्य सरकार को औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भूमि की बिक्री को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के साथ-साथ लागू करने की शक्ति प्रदान करता है।

अन्य शर्तें जैसे वार्षिक मूल्यांकन आदि। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए,

राज्य सरकार ने 1959 के नियम बनाए। भूमि का आवंटन [2023] 7 एस. सी. आर.

इस प्रकार, जेकेएसएल को सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, 1959 के नियमों के साथ पठित 1956 के अधिनियम के तहत विनियमित किया गया। भूमि के आवंटन की एक शाखा के रूप में, राज्य सरकार और जे. के. एस. एल. ने क्रमशः पट्टेदार और पट्टेदार के बीच एक द्विपक्षीय संबंध स्थापित किया। इस स्तर पर 1959 के नियमों के नियम 2 का उल्लेख करना फायदेमंद हो सकता है जिसमें यह प्रावधान है कि औद्योगिक क्षेत्र में भूमि को 99 वर्षों के लिए पट्टे के आधार पर आवंटित किया जा सकता है। नियम 4 में विचार किया गया है कि ऐसे प्रत्येक पट्टे को पट्टेदार के विकल्प पर 99 साल की आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

38. अब हम 1959 के नियमों के नियम 8 का विज्ञापन कर सकते हैं, जैसा कि पैरा 6 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो अनिवार्य करता है कि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए दी गई भूमि इसका उपयोग कारखाने के निर्माण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

परिसर और ऐसे अन्य आवासीय क्वार्टर जो उस उद्योग में लगे लोगों के लिए आवश्यक हैं। नियम 8 राज्य सरकार को उद्योग की स्थापना के लिए अनुमति देने का अधिकार देता है, इसके अलावा जिसके लिए भूमि शुरू में आवंटित की गई थी।

39. इस संदर्भ में, 1967 में जेकेएसएल के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा निष्पादित पहले पट्टा विलेख में निहित शर्तें हैं:

प्रासंगिक। इस पट्टे के तहत, पट्टेदार निर्धारित औद्योगिक उद्देश्य के लिए आवंटित भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य था, जिसमें विफल रहने पर भूमि "पट्टेदार को" वापस की जा सकती थी। इससे यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि 1967 का पहला औपचारिक पट्टा 1959 के नियमों के प्रावधानों के अनुरूप था।

40. राजस्थान राज्य और जे. के. एस. एल. के बीच पट्टेदार और पट्टेदार का संबंध तब तक निर्बाध रूप से जारी रहा जब तक जे. के. एस. एल. को 'बीमार' घोषित नहीं कर दिया गया।

एल. आई. ए., कोटा में भूमि के लिए श्रमिक संघों के साथ। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि न तो दिनांकित 9.10.2002 और 22.10.2002 त्रिपक्षीय समझौतों के तहत, और न ही दिनांकित स्वीकृत पुनर्वास योजना के तहत। 23.1.2003 , यथास्थिति, राज्य, जे. के. एस. एल. या प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच पट्टेदार और पट्टेदार का संबंध हमेशा बाधित रहा। राज्य और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच इस न्यायिक संबंध को और मजबूत किया गया जब राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर, कोटा के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में 7 नए पट्टा विलेख निष्पादित किए गए। विवरण.

इनमें से 7 पट्टों को इस आदेश के पैरा 20 में प्रदान किया गया है। यह प्रासंगिक है

यह उल्लेख करने के लिए कि 17.3.2007 पर निष्पादित इन नए पट्टा विलेख में निहित नियम और शर्तें मोटे तौर पर वही थीं जो शामिल की गई थीं

जबकि मूल रूप से जे. के. एस. एल. को विषय भूमि पट्टे पर दी गई थी।

बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

उद्योग विभाग द्वारा संचालित क्षेत्रों को राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनन विकास निगम लिमिटेड को सौंप दिया जाएगा। जयपुर डब्ल्यू. ई. एफ. 1.10.1979 "। उपरोक्त सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 के कथित अनुपालन में, संयुक्त निदेशक, जिला औद्योगिक केंद्र, कोटा ने 28.09.1979 पर एक आदेश जारी किया (पैरा 9 में भी पुनः प्रस्तुत किया गया है)

इस प्रकार "लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एरिया, कोटा" सहित कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को निगम को हस्तांतरित किया जाता है। 43. दिनांकित 18.09.1979 के सरकारी आदेश के दायरे और आयात के संबंध में पक्षों के बीच एक अंतहीन बहस है और

क्या यह एल. आई. ए. में जे. के. एस. एल. को आवंटित भूमि को प्रभावी बनाया गया था, कोटा। यह याद रखना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित नहीं हुआ था।

घटनास्थल पर उस समय जब विचाराधीन सरकारी आदेश पारित किया गया था।

44. सबसे पहले, हम इसके उद्देश्य और प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रस्ताव करते हैं।

सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979। जैसा कि हम कर सकते हैं

यह समझते हुए कि राजस्थान के सभी औद्योगिक क्षेत्रों को उन क्षेत्रों के "विकास" के उद्देश्य से आरएसआईएमडीसी को हस्तांतरित किया जाना था। औद्योगिक क्षेत्रों को केवल इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए सौंपा जाना था। में। दूसरे शब्दों में, आर. एस. आई. एम. डी. सी. को औद्योगिक क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण का कार्य सौंपा गया था जैसे "(ए)

सड़कों का निर्माण; (बी) बिजली की आपूर्ति; (सी) पानी की आपूर्ति; (डी) सीवरेज प्रणाली; (ई) औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए सभी संबंधित सुविधाएं आदि। आदि।

45. यहाँ यह समझना भी उतना ही प्रासंगिक है कि एक पट्टेदार नियम 3 के तहत आवंटित औद्योगिक भूमि के लिए विकास शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

1959 के नियम। आबंटियों पर विकास शुल्क लगाने के बाद, राज्य सरकार एक पट्टेदार के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य थी। क्या

ऐसी सेवाओं और सुविधाओं का विकास राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

जहाँ तक पट्टेदार-पट्टेदार के संबंध के निर्वाह का संबंध है, उसका अपना खर्च या उस उद्देश्य के लिए काम पर रखी गई एजेंसी के माध्यम से पूरी तरह से महत्वहीन है।

46. हम ऐसा इस स्पष्ट कारण से भी कहते हैं कि सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 में निहित अभिव्यक्ति 'सौंप दी गई' नहीं है।

और इसे राज्य सरकार से आर. एस. आई. एम. डी. सी. या आर. आई. आई. सी. ओ. को औद्योगिक भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जा सकता है। संयुक्त निदेशक द्वारा अपने आदेश 28.09.1979 में उपयोग किए गए "स्थानांतरण" शब्द को सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए जो

स्पष्ट रूप से कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों को सौंपना केवल विकास के उद्देश्यों के लिए था।

47. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अचल संपत्ति का स्वामित्व या स्वामित्व किसी कानून या अधिनियम के माध्यम से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ऐसे स्वामित्व अधिकारों को हस्तांतरित करने का एक वैध रूप से निष्पादित साधन। उसमें निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए जारी किए गए सर्वव्यापी प्रशासनिक आदेश को स्वामित्व के निहित हस्तांतरण के रूप में नहीं बढ़ाया जा सकता है। एल. आई. ए., कोटा के संबंध में आर. आई. आई. सी. ओ. में पट्टेदार के अधिकारों को निहित करने जैसे गैर-मौजूद परिणाम का अनुमान लगाने के लिए सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 के तहत कोई छिपा हुआ खजाना नहीं है।

जिसे वर्ष 1982 और 1983 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तदनुसार हम दोनों नियमों का बारीकी से विश्लेषण करने का प्रस्ताव करते हैं। 50. नियम 11 ए में कहा गया है कि आर. आई. आई. सी. ओ. और राजस्थान पर्यटन विकास निगम को भूमि आवंटित की जाएगी।

औद्योगिक क्षेत्रों को उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार विकसित करना। नियम में प्रावधान है कि भूमि का आवंटन आर. आई. आई. सी. ओ. को विशंभर प्रसाद v. पर किया जाएगा।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

पट्टे के आधार पर और आर. आई. आई. सी. ओ. सहमति पर भूमि को उप-पट्टे पर देने के लिए स्वतंत्र होगा।

नियम और शर्तें। आर. आई. आई. सी. ओ. को उसके द्वारा उप-पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में ऐसे पट्टा किराया और अन्य शुल्क लगाने और वसूल करने के लिए अधिकृत किया गया है जो उसके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। उप-पट्टों की अवधि नहीं होगी

99 वर्ष से अधिक। नियम 11 ए के खंड (viii) में उल्लेखनीय रूप से कहा गया है कि यदि आर. आई. आई. सी. ओ. या उसके उप-पट्टेदार औद्योगिक के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करते हैं, या पट्टे या उप-पट्टों की शर्त के अलावा किसी अन्य उद्देश्य का उल्लंघन करते हैं, तो भूमि सभी बाधाओं से मुक्त और बिना किसी मुआवजे के राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी। नियम 11 ए,

औद्योगिक उद्देश्यों के लिए सख्ती से उप-पट्टों को निष्पादित करने के लिए आगे प्राधिकरण के साथ 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर आर. आई. आई. सी. ओ. को भूमि के आवंटन पर विचार करता है। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से भूमि को सभी बाधाओं से मुक्त करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखे हैं यदि आर. आई. आई. सी. ओ. या इसके उप-पट्टेदार आवंटित भूमि का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए करने में विफल रहते हैं या किसी अन्य शर्त का उल्लंघन करते हैं। अभिव्यक्ति "होगी" का अर्थ है

भविष्य में आर. आई. आई. सी. ओ. को भूमि का आवंटन। नियम 11 ए उन भूमि के संबंध में आकर्षित नहीं है जो 23.12.1983 पर इस नियम को शामिल करने से पहले ही पट्टे पर दी जा चुकी थीं।

51. हमारे पास संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि नियम 11 ए, अपने आप में, प्रतिवादी संख्या 1 के कारण को आगे नहीं बढ़ाता है क्योंकि प्रतिवादी

नं. 1 ने केवल जेकेएसएल के स्थान पर कदम रखा है और वर्ष 2007 में राज्य सरकार द्वारा सीधे प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में पट्टा विलेखों का निष्पादन किया गया था, नियम 11 ए का सहारा लिए बिना, अर्थात् आरआईआईसीओ के माध्यम से। यदि यह पक्ष में नए पट्टा विलेखों के निष्पादन का मामला होता 2007 में आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1, यह आश्वस्त रूप से तर्क दिया जा सकता है कि इस तरह का आवंटन नियम 11 ए के तहत आर. आई. आई. सी. ओ. को दिए गए प्राधिकरण को आगे बढ़ाने के लिए था। तथ्य इस तरह की संभावना की पुष्टि नहीं करते हैं।

52. इसके अलावा, नियम 11 ए के सादे शब्दों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निगम के पास केवल उस भूमि पर प्रबंधकीय शक्ति हो सकती है जो इसे आवंटित किया गया। जैसा कि नियम 11 ए के तहत बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, आर. आई. आई. सी. ओ. को आवंटन विशुद्ध रूप से पट्टे के आधार पर किया जाता है, और स्वामित्व और स्वामित्व स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के पास रहता है। आर. आई. आई. सी. ओ. औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों में राज्य के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य सर्वोपरि शक्ति बना हुआ है

इस गतिशील और RIICO में इसके अधीन रहता है। 53. जहां तक नियम 12 (इस आदेश के पैरा 11 में पुनः प्रस्तुत) का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले

भाग नियम 11 ए का एक परिणाम है, अर्थात्, यदि राज्य सरकार के पास [2023] 7 एस. सी. आर.
है।

नियम 11 ए के तहत लीज होल्ड के आधार पर आर. आई. आई. सी. ओ. को आवंटित भूमि, उस मामले में, नियम 12 का यह खंड आर. आई. आई. सी. ओ. को "आवंटन करने" का अधिकार देता है।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को "खाली भूखंडों" के 1979 के नियमों के अनुसार और उक्त निगम को हस्तांतरित किया गया।

54. अधिक स्पष्ट करने के लिए, नियम 12 का पहला भाग आर. आई. आई. सी. ओ. को 1959 के नियमों के नियम 11 ए के तहत राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में उप-पट्टों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत करता है।

55. नियम 12 के दूसरे भाग में कहा गया है कि आर. आई. आई. सी. ओ. पट्टा विलेखों को निष्पादित करने, विकास शुल्क प्राप्त करने, पट्टा देने के लिए भी "अधिकृत" होगा।

उन उद्यमियों से किराया और अन्य देय राशि जिन्हें 1959 के नियमों के तहत भूखंड पहले ही आवंटित किए जा चुके थे। हमारी सुविचारित राय में, दूसरा भाग एक सक्षम प्रावधान है जिसके तहत आर. आई. आई. सी. ओ. को अधिकृत किया गया है

पट्टा विलेखों को निष्पादित करें या 1982 से पहले के आबंटियों के समूह से विकास शुल्क/पट्टा किराया और अन्य देय राशि का भुगतान करें। इस प्रावधान के एक स्पष्ट अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आर. आई. आई. सी. ओ. केवल उस मामले में पट्टा विलेखों को निष्पादित करेगा जहां भूमि मुख्य रूप से आवंटित की गई थी, लेकिन पट्टेदार और पट्टेदार या पट्टेदार और उप-पट्टेदार के बीच एक औपचारिक समझौता होना बाकी है।

निष्पादित किया। यदि भूमि का एक टुकड़ा पहले ही आवंटित किया जा चुका था और राज्य और ऐसे आबंटित व्यक्ति के बीच एक औपचारिक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, तो उसी पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में दूसरा पट्टा विलेख निष्पादित करने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं होता है। उस स्थिति में, केवल विकास शुल्क और पट्टा किराया आदि आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा उन कारणों से वसूल किए जाने हैं जो हमारे पास हैं। पहले से ही समझाया गया है, और जो केवल सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 के अनुसार RIICO द्वारा की जाने वाली विकास गतिविधियों के लिए एक लागत कारक है। नियम 12 का दूसरा भाग भी प्रतिवादी संख्या 1 के दावे को इन कारणों से मजबूत नहीं करता है किः

(क) जेकेएसएल के पक्ष में पट्टा विलेख पहले ही निष्पादित किए जा चुके थे

नियम 12 के लागू होने से पहले वर्ष 1967;

(ख) विवादित भूमि का कोई भी हिस्सा कभी भी आर. आई. आई. सी. ओ. को आवंटित नहीं किया गया था।

(ग) प्रतिवादी संख्या 1 जे. के. एस. एल. का विकल्प है और यही कारण है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नए पट्टा विलेख निष्पादित किए गए थे। केवल पहले से मौजूद पट्टे की शेष अवधि के लिए;

(घ) दोनों के बीच कोई स्वतंत्र पट्टेदार-पट्टेदार संबंध नहीं था।

राज्य सरकार और प्रत्यर्थी संख्या 1 को छोड़कर

उत्तरदाता संख्या 1 ने ए. ए. आई. एफ. आर. के आदेश के अनुसार जे. के. एस. एल. को प्रतिस्थापित किया; बिशंभर प्रसाद बनाम।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

जब 2007 में राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में हस्तांतरण पट्टा विलेख निष्पादित किए गए थे, न कि आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा;
(च) हमें सूचित किया जाता है कि 2007 के बाद के वर्षों के लिए उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा पट्टे का किराया भी जमा किया गया है।

तहसीलदार, कोटा, और आर. आई. आई. सी. ओ. के साथ नहीं; और

(छ) आर. आई. आई. सी. ओ. और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच पट्टेदार और उप-पट्टेदार के रूप में कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है।

राज्य सरकार।

56. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह था कि हस्तांतरण पट्टा विलेखों पर नियम की आवश्यकता के अनुसार हस्ताक्षर किए गए थे

9 (iv) 1959 के नियमों के अनुसार, जब पट्टा प्राप्त करने वाली संस्था को एक बीमार कंपनी घोषित किया जाता है, तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भूमि के हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। नियम 9 को पूरी तरह से इस आदेश के पैरा 6 में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

57. हम एक बार फिर इस समर्पण से विचलित नहीं हैं। अगर 1959 के नियम शुरू में भी लागू नहीं होते तो ऐसा नहीं होता।

नियम 9 (iv) का बिल्कुल भी पालन करने की आवश्यकता है। बल्कि, यह तथ्य कि इस प्रावधान का अनुपालन आवश्यक था, इस बात का पर्याप्त संकेत है कि प्रतिवादी संख्या 1 को पूरी तरह से पता था कि राज्य सरकार के पास एल. आई. ए., कोटा का स्वामित्व, स्वामित्व और नियंत्रण था। 58. ऐसा मानने के बाद, यह निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि राज्य और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच पट्टेदार और पट्टेदार का संबंध

आर. आई. आई. सी. ओ. हर समय वैध रूप से अस्तित्व में रहा है और आर. आई. आई. सी. ओ. को कभी भी सरकारी आदेश दिनांक आई. डी. 1 द्वारा या 1959 के नियमों के नियम 11 ए और 12 के तहत राज्य सरकार को पारित करने और एल. आई. ए., कोटा के संबंध में पट्टेदार की स्व-शैली की भूमिका ग्रहण करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। 1967 और 2007 से जेकेएसएल और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा विलेख,

क्रमशः, 1959 के नियमों के नियम 2 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किए गए थे, आर. आई. आई. सी. ओ. के पास अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था।

प्रत्यर्थी सं. 1 भूमि उपयोग को बदलने या उप-विभाजन की अनुमति देने के लिए

राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना भूखंड, जो 1959 के नियमों के नियम 8 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी अनुमति देने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी है। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण कानून में स्पष्ट रूप से गलत है और 1959 के नियमों के प्रावधानों के गलत निर्माण पर आधारित है जिसे पक्षों के बीच बाध्यकारी द्विपक्षीय अनुबंधों के साथ पढ़ा जाता है।

59. ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरह से निर्भर हैं

राज्य सरकार या आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा 1959 के नियमों के सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 या नियम 8,9,11 ए और 12 की समझ। विभिन्न मंचों के समक्ष उनके असंगत रुख के बावजूद

आर. आई. आई. सी. ओ. क्यू. एल. आई. ए., कोटा की स्थिति के संबंध में, हमने मुख्य रूप से उक्त सरकारी आदेश और 1959 के नियमों के स्पष्ट अध्ययन के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला है। हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि राज्य सरकार और आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा जारी पत्राचार/परिपत्र

बाद में, जिसे हमने इस निर्णय के पैराग्राफ 12 से 15 में पुनः प्रस्तुत और चर्चा की है, ऊपर निर्दिष्ट सरकारी आदेश और 1959 के नियम दोनों के हमारे निर्माण को स्पष्ट रूप से मजबूत करता है।

सी-2। क्या आर. आई. आई. सी. ओ. के 1979 के नियम वैधानिक प्रकृति के हैं?

60. आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा तैयार किए गए 1979 के नियम वैधानिक प्रकृति के हैं या नहीं, इस बारे में सवाल कमोबेश अकादमिक है क्योंकि भाग सी-I में हमारी धारणा को देखते हुए इन अपीलों का भाग्य इस मुद्दे पर निर्भर नहीं करता है। फिर भी, चूंकि उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर राय दी है, इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रस्ताव करते हैं ताकि राज्य प्राधिकरणों, आर. आई. आई. सी. ओ. या पट्टाधारकों के मन में कोई अनिश्चितता न रहे।

61. शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आर. आई. आई. सी. ओ. एक वैधानिक निकाय नहीं है। कंपनी को कंपनी अधिनियम के तहत अस्तित्व में लाया गया था,

1956 राजस्थान राज्य द्वारा, जिसके पास 100% शेयर हैं। एक अधिनियम द्वारा "अस्तित्व में लाई गई" कंपनियों और एक अधिनियम के तहत "बनाई गई" कंपनियों के बीच अंतर यह है कि एक कंपनी के तहत निगमित है।

कंपनी अधिनियम उक्त अधिनियम की रचना नहीं है, बल्कि यह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अस्तित्व में आया है।

62. यह एस. एस. धनोआ बनाम में आगे बताया गया था। नगर निगम, दिल्ली और अन्य "। जिसका आयोजन किया गया थाः

" 9. निगम, अपने व्यापक अर्थों में, एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के हकदार व्यक्तियों का कोई भी संघ हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से यह वह अर्थ नहीं है जिसमें इसका उपयोग किया गया है। विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम का अर्थ केवल एक निकाय हो सकता है।

निगमित जो अपने अस्तित्व के लिए, न कि केवल अपनी निगमित स्थिति के लिए, अधिनियम के लिए ऋणी है। उदाहरण के लिए, एक नगर पालिका, एक जिला परिषद या एक ग्राम पंचायत का अस्तित्व और दर्जा विधानमंडल के एक अधिनियम के कारण है। दूसरी ओर, एक

17 1981 (3) एससीसी 431।

बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

स्वयं को एक कंपनी में गठित करने वाले व्यक्तियों का संघ

कंपनी अधिनियम या समितियों के तहत एक सोसायटी के तहत

पंजीकरण अधिनियम का अस्तित्व विधायिका के अधिनियम के कारण नहीं है, बल्कि दलों के कार्यों के कारण है, हालांकि यह एक निकाय के रूप में अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

विधानमंडल के एक अधिनियम के लिए निगमित "।

63. हमारे संदर्भ में इस अंतर का महत्व था

संक्षिप्त में, वैष डिग्री कॉलेज की कार्यकारी समिति बनाम। लक्ष्मी नारायण 1 8 18: .

" 10 ..... दूसरे शब्दों में स्थिति यह प्रतीत होती है कि संबंधित संस्थान को अपने अस्तित्व के लिए एक क़ानून का ऋणी होना चाहिए जो इसकी शक्तियों का स्रोत होगा। ऐसे मामले में यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि यदि कोई क़ानून नहीं है, तो क्या संस्थान का कोई कानूनी अस्तित्व होगा। यदि उत्तर नकारात्मक है, तो निस्संदेह यह एक वैधानिक निकाय है, लेकिन यदि संस्थान का अपना एक अलग अस्तित्व है, बिना किसी संदर्भ के

कानून संबंधित है लेकिन केवल वैधानिक द्वारा शासित है

प्रावधानों के अनुसार इसे वैधानिक निकाय नहीं कहा जा सकता है।

64. हमारे पास, बहुत स्पष्ट रूप से, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी है। आर. आई. आई. सी. ओ. अपने अस्तित्व का श्रेय किसी क़ानून को नहीं देता है, बल्कि कंपनी अधिनियम के तहत बनाया गया है और इसके प्रावधानों के अधीन है। यह केवल कंपनी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है और इसके द्वारा नहीं बनाया गया है। 1979 के नियम, जिसमें वरिष्ठ वकील श्री रोहतगी ने तर्क दिया था कि एक "वैधानिक स्वाद" है, आर. आई. आई. सी. ओ. के ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 93 के अनुसार जारी किए गए थे। यह देखना मुश्किल है कि कैसे

"वैधानिक नियमों" का दर्जा उन विनियमों को दिया जा सकता है जो एक गैर-वैधानिक कंपनी के अनुच्छेदों के तहत अस्तित्व में लाए गए हैं। 65. उत्तरदाताओं ने एम. जी. पंडके और अन्य का हवाला दिया है। वी. नगर परिषद, हिंगनघाट, जि. वर्धा और ओआरएस "। उनका मामला बनाने के लिए

1979 के नियमों के वैधानिक होने के संबंध में। उस मामले में, महाराष्ट्र राज्य कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से "माध्यमिक विद्यालय संहिता" लेकर आया था। इसके बाद राज्य ने महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1965 और संबंधित महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विनियम, 1966 को लागू किया। बाद के भीतर, माध्यमिक विद्यालय संहिता का एक संदर्भ दिया गया था और यह था यह अनिवार्य है कि स्कूल विनियमन 19 (7) (xvi) के तहत संहिता का पालन करें। जब माध्यमिक विद्यालय संहिता और इसके उपनियमों के बीच संघर्ष होता है

18 1976 (2) एससीसी 58.

19 1993 पूरक (1) एस. सी. सी. 708।

असंतुष्ट नगर परिषद का उदय हुआ, इस न्यायालय को यह निर्धारित करना था

संहिता की स्थिति इस प्रकार रही और आगे चलकर यह निष्कर्ष निकलाः

" 12. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील ने उठाया है

उनके मामले के समर्थन में निम्नलिखित दलीलें:

1. महाराष्ट्र विनियमों का विनियम 19 (7) (xvi) जो एक वैधानिक विनियम है, नगर परिषद के लिए संहिता के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य बनाता है। संहिता अपने आप में गैर-वैधानिक हो सकती है लेकिन संहिता का पालन करने का आदेश महाराष्ट्र विनियमों के विनियम 19 (7) (xvi) से आता है जो अनिवार्य है। इस क्षेत्र पर वैधानिक-जनादेश, इसके विपरीत कोई उप-कानून के तहत संहिता द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

नगर परिषद द्वारा तैयार किया जा सकता है।

13. जब वर्ष 1963 में संहिता लागू की गई थी, तो अधिनियम और विनियम विदर्भ मंडल में लागू थे। अधिनियम और विनियमों के तहत सेवानिवृत्ति की आयु

60 वर्ष होने के कारण, संहिता ने महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु के रूप में 58 वर्ष निर्धारित करते हुए,

विदर्भ के शिक्षक उम्र बढ़ने पर सेवानिवृत्त होंगे

कोड। यह राज्य सरकार पर है कि वह संहिता को अपनी इच्छानुसार बनाए, लेकिन एक बार संहिता लागू हो जाने के बाद नगर परिषद को इसके प्रावधानों का पालन करना होगा। महाराष्ट्र विनियमों के विनियम 19 (7) (xvi) के अधिदेश के तहत हिंगनघाट। हम बिशंभर प्रसाद v में काफी बल देखते हैं।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

विद्वान वकील का तर्क। कोड तैयार किया गया है

सेवा की सुरक्षा, एकरूपता लाने के उद्देश्य से,

गैर-सरकारी कार्यों में दक्षता और अनुशासन

उच्च विद्यालय। इसे स्कूलों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। राज्य में विभिन्न नगर परिषदों द्वारा संचालित। इसमें कोई शक नहीं

यह सही करें कि नगर परिषदों के पास व्यवस्था बनाने की शक्ति है

महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, 1965 के तहत उप-कानून लेकिन

यदि क्षेत्र पहले से ही वैधानिक आदेश के तहत कब्जा कर लिया गया है

महाराष्ट्र विनियम, नगर परिषद नहीं कर सकते

फ्रेम बाय-इसके विपरीत कानून जो जनादेश प्रदान करते हैं

महाराष्ट्र विनियम निषेधात्मक। हमारा मानना है कि नगर परिषद हिंगनघाट ने अपना कदम आगे बढ़ाया है

उप-कानूनों के उप-कानून 4 को तैयार करने में अधिकार क्षेत्र। हम,

इसलिए, निर्देश दें कि अपीलार्थियों की सेवा की शर्तें विनियमन द्वारा लागू संहिता द्वारा शासित होगा

19 (7) (xvi) महाराष्ट्र विनियमों का। अलविदा-कानून 4

उप-कानून अपीलार्थियों पर लागू नहीं होंगे।

99

66. हम यह देखने में विफल हैं कि यह निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 की सहायता कैसे करता है।

महाराष्ट्र विनियमों में माध्यमिक विद्यालय संहिता का एक संदर्भ दिया गया था, लेकिन किसी भी समय इस बात का संकेत नहीं था कि संहिता को "वैधानिक" के रूप में नामित किया गया था। वास्तव में, संहिता का कानूनी बल इसे महाराष्ट्र विनियमों के विनियम 19 (7) (xvi) में संदर्भ द्वारा प्रदान किया गया था, जो प्रकृति में वैधानिक थे।

67. इसे किसी भी तरह से प्रस्ताव की पुष्टि करने के लिए अतिरंजित नहीं किया जा सकता है।

कि विधानों और सांविधिक नियमों में संदर्भ, एक "सांविधिक"

"स्वाद" उन नियमों के लिए जो इस तरह के चरित्र के नहीं हैं। वर्तमान मामले में, 1959 के नियमों के नियम 12 में केवल यह कहा गया है कि आर. आई. आई. सी. ओ. को आवंटित भूमि को निगम द्वारा उसके 1979 के अनुसार आगे निपटाया जाएगा।

नियम। सबसे अच्छा, यह आर. आई. आई. सी. ओ. पर अपने स्वयं के दिशानिर्देशों का पालन करने का दायित्व लगाता है, जिसे उसने अपने ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 93 के तहत जारी किया था। आर. आई. आई. सी. ओ. के लिए 1979 के नियमों का पालन करने की बाध्यता उसके अपने ए. ओ. ए. से उपजी है जिसके तहत वे नियम अस्तित्व में आए थे। किसी भी तरह से, क्या यह 1979 के नियमों को प्रकृति में वैधानिक बनाता है, जैसा कि एम. जी. पंडके (सुप्रा) में भी स्वीकार किया गया था।

68. इस प्रकार, यह हमारे लिए स्पष्ट है कि कोई भी वैधानिक बल इस पर बल नहीं देता है

1979 नियम और उन पर शासन करने का कोई सवाल ही नहीं है

विषय क्षेत्र।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. 3 क्या राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफलता ने आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा दी गई अनुमतियों/अनुमोदनों को रद्द करने के उसके निर्णय को दूषित कर दियाः उत्तरदाता नंबर 1?

69. प्रत्यर्थी संख्या 1, निगम को निर्देश जारी करने के लिए आर. आई. आई. सी. ओ. के ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 138 के उपयोग पर कड़ी आपत्ति जताते हुए

अपने स्वयं के पूर्वाग्रह के लिए छोड़ दिया। इस बात पर जोर दिया गया कि इन उपायों को करने के तरीके का पालन किया जाना चाहिए और प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके बारे में आगे विस्तार से बताया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 को कारण दर्शाएँ नोटिस देने में विफलता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से पालन न करना। 70. दोनों पक्षों ने आदेश में ही रद्द करने के पीछे के कारणों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता पर विवाद उठाया है। विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री दवे ने सच्चिदानंद पांडे (सुप्रा) के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि क्या कारण प्रदान किए गए थे, इस पर विचार करने में राज्य सरकार के भीतर आंतरिक विचार-विमर्श शामिल होगा, और यह केवल आदेश तक ही सीमित नहीं होगा। उनके द्वारा जिस सटीक अंश पर भरोसा किया गया था, वह इस प्रकार हैः

" 27. डॉ. सिंघवी ने हमारे सामने इस न्यायालय के जाने-माने फैसलों का हवाला देते हुए आग्रह किया कि सभी प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए एक प्रशासनिक निर्णय भी लिया जाना चाहिए। विचार और अप्रासंगिक विचारों को छोड़ना और यह कि एक आदेश के कारणों को क्रम में ही एक स्थान मिलना चाहिए और उन कारणों को बाद में नए द्वारा पूरक नहीं किया जा सकता है

एक शपथ पत्र के रूप में या अन्यथा कारण। द.

प्रस्तुतिकरण यह था कि न तो 7 जनवरी, 1981 के मंत्रिमंडल ज्ञापन और न ही 9 सितंबर, 1981 के मंत्रिमंडल ज्ञापन से पता चलता है कि प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा गया था। यह कहा गया था कि मंत्रिमंडल के किसी भी ज्ञापन में जो नहीं कहा गया था, उसे बाद में उन विचारों द्वारा पूरक नहीं किया जा सका जो निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के दिमाग में कभी मौजूद नहीं थे। हम सहमत नहीं हैं कि

डॉ. सिंघवी की प्रस्तुति। यह प्रस्ताव कि सभी प्रासंगिक बिशंभर प्रसाद को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

सभी अप्रासंगिक विचारों को छोड़ने पर एक पल के लिए भी संदेह नहीं किया जा सकता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रासंगिक विचारों को नजरअंदाज नहीं किया गया था और वास्तव में, थे

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ध्यान में रखा गया। यह उन मामलों में से एक नहीं है जहां पहले साक्ष्य एकत्र किया जाता है और बाद में एक सुबह निर्णय लिया जाता है और निर्णय को एक तर्कपूर्ण क्रम में शामिल किया जाता है। यह एक ऐसा मामला है जहां चर्चाओं को लंबे समय तक फैलाना आवश्यक है।

समय की अवधि। कई कारकों को स्वतंत्र रूप से और अलग से तौलना और विचार करना पड़ता है। यह एक ऐसा मामला है जहां निर्णय और निर्णयों के कारणों को केवल प्रस्ताव की शुरुआत से लेकर अंतिम निर्णय लेने तक की अवधि में फैली घटनाओं और परिस्थितियों के पूरे पाठ्यक्रम को देखकर एकत्र किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोहिंदर सिंह गिल के मामले के विपरीत जहां वह अदालत थी

एक सांविधिक पदाधिकारी द्वारा बनाए गए सांविधिक आदेश से निपटने के लिए, जिसे इसलिए आधारों को पूरक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी

इस आदेश के बाद के स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां न तो कोई वैधानिक कार्य है और न ही कोई वैधानिक कार्यपालक है।

लेन-देन शामिल है लेकिन एक वाणिज्यिक हालांकि सार्वजनिक है

चरित्र जिसे लंबे समय के बाद ही तय किया जा सकता है

सभी इच्छुक व्यक्तियों के साथ चर्चा, स्पष्टीकरण और परामर्श। मोहिंदर सिंह गिल के मामले का सिद्धांत नहीं है

यहाँ की तथ्यात्मक स्थिति के लिए आवेदन "।

71. सच्चिदानंद पांडे (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा प्रयुक्त तर्क से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि, यह उद्धरण नहीं हो सकता है वर्तमान मामले में अपीलार्थियों के लिए सहायक। निकाले गए मार्ग में "सभी इच्छुक व्यक्तियों के साथ परामर्श" को संदर्भित किया गया है और निर्णय के पहले भाग में इस बारे में पूरा विवरण दिया गया है कि किस क्षेत्र में एक होटल के निर्माण के संबंध में अभ्यावेदन और आपत्तियां भेजी गई थीं, विशेष रूप से पारिस्थितिकी और प्रवासी पक्षियों पर इसके प्रभाव के संदर्भ में। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, इस तथ्य के साथ कि विचार-विमर्श लगभग 2 वर्षों से चल रहा था, न्यायालय संतुष्ट था कि प्रासंगिक विचारों को उचित रूप से ध्यान में रखा गया था। दूसरी ओर, हमारे परिदृश्य में, मंत्रिमंडल समिति द्वारा लगभग 7 से 8 महीने तक चले विचार-विमर्श से यह संकेत नहीं मिलता है कि प्रतिवादी संख्या 1 को कभी सुना गया था या प्रक्रिया में शामिल किया गया था।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

72. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का महत्व, जिनमें से

इस मामले में सुनवाई पक्ष से संबंधित लोगों को इस न्यायालय द्वारा अतीत में कई बार हटाया जा चुका है। बहुत पीछे।

भारत संघ बनाम। पी. के. रॉय 2 ओ 20 न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 12 ..... लेकिन प्राकृतिक के सिद्धांत की सीमा और अनुप्रयोग

न्याय को कठोर जलडमरूमध्य में कैद नहीं किया जा सकता है। सूत्र। सिद्धांत का अनुप्रयोग इस पर निर्भर करता है कि

प्रशासनिक अधिकारिता की प्रकृति

व्यक्तियों के अधिकारों के चरित्र पर अधिकार

प्रभावित, कानून की योजना और नीति और अन्य विशेष मामले में प्रकट प्रासंगिक परिस्थितियाँ।

99

73. इसके अलावा, ए. के. क्राईपाक बनाम. भारत संघ 2 1 एक की प्रकृति

आरम्भिक शक्ति और कार्य करने के लिए राज्य पर निर्धारित दायित्व

उचित और उचित तरीके से समझाया गया थाः

" 13. एक प्रशासनिक शक्ति और के बीच विभाजन रेखा

एक अर्ध-न्यायिक शक्ति काफी कम है और धीरे-धीरे हो रही है।

मिटा दिया। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक शक्ति एक है

प्रशासनिक शक्ति या अर्ध-न्यायिक शक्ति

प्रदत्त शक्ति की प्रकृति को देखें, व्यक्ति या

जिन व्यक्तियों को यह प्रदान किया जाता है, कानून की रूपरेखा

उस शक्ति को प्रदान करते हुए, इसके परिणामस्वरूप परिणाम

उस शक्ति का प्रयोग और जिस तरीके से वह शक्ति है

प्रयोग किए जाने की उम्मीद है। हमारे संविधान के तहत

प्रशासन के पूरे क्षेत्र में कानून व्याप्त है। प्रत्येक

हमारे संविधान के तहत राज्य का अंग विनियमित है और

अपरिहार्य है कि प्रशासनिक निकायों का अधिकार क्षेत्र है तेजी से बढ़ रहा है। कानून के शासन की अवधारणा

यदि राज्य के साधन नहीं हैं तो अपनी जीवन शक्ति खो दें

मेले में अपने कार्यों का निर्वहन करने का कर्तव्य और सही तरीके से। न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता

सार न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की आवश्यकता के अलावा और कुछ नहीं है।

केवल एक न्यायसंगत और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित नहीं करने पर भी सुविधा प्रदान करने के लिए। में। हाल के वर्षों में अर्ध-न्यायिक शक्ति की अवधारणा रही है

8) 2 एससीआर 186।9) 2 एससीसी 262।

बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

एक आमूलचूल परिवर्तन से गुजर रहे हैं। क्या माना जाता था कुछ साल पहले की प्रशासनिक शक्ति पर अब विचार किया जा रहा है

एक अर्ध-न्यायिक शक्ति के रूप में "।

74. इस संदर्भ में, यह सच हो सकता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी रक्षा करने का अवसर देना शामिल था।

अधिकार। हालाँकि, सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण कारक यह है कि क्या कोई

कानूनी रूप से निहित 'अधिकार' जो कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अर्जित किया गया था, जिसे राज्य सरकार अपनी पीठ पीछे लूट नहीं सकती थी। हम पहले ही स्पष्ट रूप से यह मान चुके हैं कि आर. आई. आई. सी. ओ. को प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित औद्योगिक भूमि के रूपांतरण और उप-विभाजन की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था। हमने आगे यह राय दी है कि राज्य सरकार ने हमेशा पट्टेदार के रूप में अपने अधिकार को बरकरार रखा है और 1959 के नियमों के ढांचे के भीतर प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसी अनुमति देने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी थी। अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह होगा कि आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा प्रयोग की गई स्व-शैली की शक्ति, कानून में किसी भी मंजूरी के बिना थी; इसमें अंतर्निहित क्षमता का अभाव था और आर. आई. आई. सी. ओ. ने एल. आई. ए., कोटा के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा दी गई अनुमतियाँ कोई अधिकार प्रदान नहीं करती थीं।

आर. आई. आई. सी. ओ. और प्रतिवादी संख्या 1 और कुछ नहीं बल्कि क्रूर व्यक्ति हैं। 75. इन निष्कर्षों के सामने, सवाल यह उठता है कि क्या उत्तरदाता संख्या 1, जिसने आर. आई. आई. सी. ओ. के निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

कानून में किसी भी प्राधिकरण के बिना प्रक्रिया और सुरक्षित लाभ, हो सकता है सुनवाई के अवसर से वंचित होने की शिकायत करने की अनुमति। हमारा मानना है कि ऑडी ऑल्ट्रेम्पार्टेम का सिद्धांत एक खाली औपचारिकता नहीं होनी चाहिए और न ही एक अनिवार्य अनुष्ठान होना चाहिए जिसे हमेशा किया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल समिति के समक्ष विचार के लिए जो प्रमुख मुद्दा उठा वह एल. आई. ए., कोटा के संबंध में आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा ग्रहण की गई शक्ति की वैधता से संबंधित था, न कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 को दी गई अनुमतियाँ किसी औचित्य या वैधता से ग्रस्त थीं। यह सच है कि इस मुद्दे को राजनीतिक स्वाद के साथ उठाया गया था, लेकिन अंततः अंतिम समाधान आर. आई. आई. सी. ओ. के अधिकार की कमी के इर्द-गिर्द केंद्रित था। हमें नहीं लगता कि प्रतिवादी संख्या 1 कैबिनेट समिति को उनके विचारों के गठन में कोई सहायता प्रदान कर सकता है। किसी भी मामले में, हमने दस्तावेजों और वैधानिक नियमों के पूरे सरगम का गहन विश्लेषण किया है, और एक दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह राज्य सरकार [2023] 7 एस. सी. आर. थी।

केवल जो आवश्यक अनुमतियाँ देने के लिए सक्षम था

1959 के नियमों के तहत प्रतिवादी संख्या 1, और 1979 के नियमों के तहत अपनी शक्तियों के कथित प्रयोग में आर. आई. आई. सी. ओ. नहीं। हमारी हिस्सेदारी केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में लिए गए निर्णयों तक ही सीमित नहीं है, और इसमें अन्य सभी समान रूप से रखे गए पट्टाधारकों को शामिल किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार को गर्म और ठंडा करने और/या चुनने और चुनने के आधार पर तदर्थ निर्णय लेने का कोई विवेकाधिकार नहीं होगा। एकमात्र अपवाद ऐसे मामले में हो सकता है जहां 1959 के नियमों के नियम 11 ए के तहत आर. आई. आई. सी. ओ. को भूमि स्पष्ट रूप से पट्टे पर दी गई हो और आर. आई. आई. सी. ओ. ने उक्त नियम के खंड (viii) के तहत परिकल्पित योजना के अनुसार उसी भूमि को उप-पट्टे पर दिया हो।

76. हम इस स्तर पर एस. एल. कपूर बनाम में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। जगमोहन & Ors.22 जहाँ गैर-पालन

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को माफ नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी निम्नलिखित आधार पर माफ कर दिया गया थाः

" 17. इस सवाल के साथ यह सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या प्राकृतिक न्याय का पालन करने में विफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्राकृतिक न्याय के पालन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्वीकार किए गए या निर्विवाद तथ्य खुद बोलते हैं।

जहाँ स्वीकृत या निर्विवाद तथ्यों पर केवल एक

निष्कर्ष निकालना संभव है और कानून के तहत केवल एक दंड की अनुमति है, न्यायालय प्राकृतिक न्याय के पालन के लिए मजबूर करने के लिए अपनी रिट जारी नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं कि वह गैर-कानूनी निर्णय को मंजूरी देता है। प्राकृतिक न्याय का पालन लेकिन क्योंकि न्यायालय निरर्थक रिट जारी नहीं करते हैं। लेकिन अन्य स्थितियों में लागू करना एक हानिकारक सिद्धांत होगा जहां निष्कर्ष विवादास्पद हैं, हालांकि,

थोड़ा, और दंड विवेकाधीन हैं। "

77. इस बिंदु पर आगे की पुष्टि के में पाई जाती है।

बालासुब्रमण्यम (पूर्व। कैप्टन.) वी. तमिलनाडु राज्य 2,3:

" 9 ..... इस उच्च न्यायालय ने हमारी राय में सही निर्णय दिया है कि 16 नवंबर, 1976 और 15 जून, 1977 के आदेशों में निहित निर्देश सामान्य नियमों के नियम 35 में निहित प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अमान्य थे। चूंकि उक्त आदेश अमान्य थे, इसलिए याचिकाकर्ता उक्त आदेशों के आधार पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं करेंगे और इसलिए,

22 (1980) 4 एससीसी 379।

23 (1991) 2 एससीसी 708।

बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

उन्हें पहले सुनवाई का अवसर देने का सवाल

3 मार्च, 1980 का आदेश पारित करना।

78. ये निर्णय हमारे इस निष्कर्ष को मजबूत करते हैं कि जो कदम उठाए गए हैं वे स्वयं दूषित हैं, वे प्राकृतिक सिद्धांतों का आधार नहीं बन सकते हैं।

न्याय लागू किया जाए। पूरक पट्टा विलेखों पर आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा बिना किसी अधिकार के हस्ताक्षर किए गए थे। इसी तरह इसमें भूमि के उपयोग को वाणिज्यिक में बदलने की अनुमति देने और भूखंड को उप-विभाजित करने की अनुमति देने की क्षमता का अभाव था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 1 के किसी भी कानूनी रूप से निहित अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है और इसके पास आर. आई. आई. सी. ओ. और राज्य सरकार के बीच सख्ती से किसी मामले में सुनवाई का अवसर लेने का कोई वैध आधार नहीं है।

सी. 4 क्या राज्य सरकार आर. आई. आई. सी. ओ. के ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 138 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग रद्द करने के लिए कर सकती थी?

79. यह पहले ही नोट किया जा चुका है कि आर. आई. आई. सी. ओ. कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। रीको,

कंपनी अधिनियम की वैधानिक आवश्यकताओं के सम्मान में, अपने स्वयं के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (ए. ओ. ए.) तैयार किए हैं। इन अनुच्छेदों का अनुच्छेद 138 इस प्रकार हैः

" 138. राज्यपाल के निर्देश और निर्देश।

इनमें से किसी भी अनुच्छेद में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे निर्देश या निर्देश जारी कर सकती है जो वह कंपनी या उसके निदेशकों के व्यवसाय के संचालन के मामलों के संबंध में आवश्यक समझे और उसी तरह से भिन्न हो सकते हैं और ऐसे किसी भी निर्देश या निर्देश को रद्द कर सकते हैं। निदेशक इसका विधिवत पालन करेंगे और देंगे।

इस प्रकार जारी निदेशक निर्देश का तत्काल प्रभाव।

80. यह आम जानकारी की बात है कि इस प्रकृति के खंड हमेशा अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और/के ए. ओ. ए. में शामिल किए जाते हैं।

या राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण वाले निगम। राज्य सरकार एकमात्र निवेशक होने के नाते, इसकी प्रमुख शक्तियों को आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा अपने ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 138 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है। यह ध्यान रखना उचित है कि अनुच्छेद 138 एक अबाधित खंड के साथ खुलता है और इस प्रकार, इस प्रावधान के तहत निर्देश जारी करने के लिए राज्य सरकार को दी गई शक्ति को कम नहीं किया जा सकता है और यह अनुच्छेदों के भीतर किसी अन्य प्रावधान के अधीन नहीं है। अनुच्छेद 138 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार

(2023) 7 एस. सी. आर. के मामलों के संबंध में ऐसे निर्देश या निर्देश जारी करना।

कंपनी या उसके निदेशकों के व्यवसाय का संचालन। अनुच्छेद 138 राज्य सरकार को "ऐसे किसी भी निर्देश या निर्देश को बदलने और रद्द करने" का भी अधिकार देता है। निदेशक सरकारी निर्देशों/निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

81. वर्तमान मामले में राज्य सरकार ने आरआईआईसीओ को निर्देश दिया है

भूमि के उपयोग के रूपांतरण, भूखंडों के उप-विभाजन और प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित पूरक पट्टा विलेखों के लिए अपनी अनुमति को वापस लेना। आर. आई. आई. सी. ओ. के ये सभी कार्य उसके व्यावसायिक मामलों से संबंधित थे। चूंकि आर. आई. आई. सी. ओ. ने ये निर्णय अपनी शक्तियों से अधिक और पूरी तरह से लिए हैं।

ए. ओ. ए. का अनुच्छेद 138 इसे अपने व्यावसायिक मामलों के संचालन में आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा लिए गए निर्णयों को पूर्ववत करने और रद्द करने में सक्षम बनाता है, जो राज्य सरकार को जनहित या संघर्ष में अपमानजनक लग सकता है। अपनी नीति के साथ। राज्य सरकार को अनुच्छेद 138 का सहारा लेने का अधिकार है, जहां उसे लगता है कि आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा व्यावसायिक मामलों का संचालन एक प्रमुख हितधारक के रूप में राज्य के हित के लिए हानिकारक है।

सी. 5 क्या व्यापार के नियमों का पालन नहीं किया गया था?

82. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यह आग्रह करने के लिए व्यवसाय के नियमों पर बहुत अधिक भरोसा किया है कि उसमें प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने में विफलता होगी इससे सरकार का निर्णय अमान्य हो जाता है। एम. आर. एफ. (सुप्रा) में इस अदालत के पहले के फैसले को इस तर्क के समर्थन में उद्धृत किया गया था। मामले के इस पहलू को संबोधित करने वाले निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 67 ..... इस मामले में, हमें अनुच्छेद के तहत गोवा के राज्यपाल द्वारा बनाए गए व्यापार नियमों के संदर्भ में इस मुद्दे पर अपीलार्थियों की दलीलों की जांच करने की आवश्यकता है।

166 (3) भारत का संविधान।

68. गोवा सरकार के व्यापार नियमों के नियम 7 (2) में कहा गया है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव जिस पर उक्त नियम के तहत वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता हो, लेकिन जिसमें वित्त विभाग सहमत न हो, तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि मंत्रिपरिषद ने उस आशय का निर्णय नहीं लिया हो। इस नियम के शब्द महाराष्ट्र के व्यापार नियमों के नियम 9 के प्रावधानों से अलग हैं।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

और इसे गोवा सरकार के व्यापार नियमों के नियम 3 के प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि सरकार का कार्य इस प्रकार किया जाएगा - व्यापार नियमों के अनुसार। इसके नियम 7 (2) के तहत वित्त विभाग की सहमति एक शर्त है।

पूर्ववर्ती।

69. इसी तरह व्यापार नियमों के नियम 6 में कहा गया है कि राज्यपाल के नाम पर किसी भी विभाग द्वारा पारित सभी कार्यकारी आदेशों या शक्ति का प्रयोग करते हुए किए गए अनुबंध के लिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी।

राज्यपाल या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है, चाहे ऐसे आदेश या अनुबंध किसी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा उसके प्रभार वाले विभाग से संबंधित मामले पर अधिकृत किए गए हों या मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा के परिणामस्वरूप या

अन्यथा। इस नियम के अनुसार राज्य के राज्यपाल के नाम पर किसी भी विभाग से जारी किए गए कार्यकारी आदेश के बारे में मंत्रिपरिषद को पता होना चाहिए ताकि उसे पूरा किया जा सके।

मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी।

70. इसके अलावा व्यापार नियमों के नियम 7 में यह अपेक्षा की गई है कि कोई भी विभाग वित्त विभाग की सहमति के बिना कोई भी आदेश जारी नहीं करेगा जिसमें राजस्व का कोई त्याग शामिल हो या जिसमें व्यय शामिल हो जिसके लिए विनियोग अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है या जिसमें भूमि का कोई अनुदान या राजस्व या रियायत, अनुदान, पट्टा या लाइसेंस शामिल है जो खनिजों या वन अधिकारों या पानी, बिजली या किसी भी सुगमता या विशेषाधिकार के अधिकारों के संबंध में है या अन्यथा इसका वित्तीय प्रभाव पड़ता है, चाहे उसमें व्यय शामिल हो या नहीं।

71.गोवा सरकार के व्यापार नियमों के नियम 7,3 और 6 के प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष अटूट होगा कि कोई भी प्रस्ताव जिसे राज्य सरकार के निर्णय में परिवर्तित किए जाने की संभावना है, जिसमें व्यय या राजस्व का परित्याग शामिल है, जिसके लिए विनियोग अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है या कोई मुद्दा जिसमें रियायत शामिल है या अन्यथा जिसका राज्य पर वित्तीय प्रभाव है, उसे [2023] 7 एस. सी. आर. के बाद ही संसाधित किया जाना आवश्यक है।

वित्त विभाग की सहमति और केवल प्रभारी मंत्री के स्तर पर अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है।

83. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नाडकर्णी ने इस बात पर जोर दिया है कि

व्यवसाय नियमों की अनुसूची I, जिसके तहत आर. आई. आई. सी. ओ. से संबंधित मामलों को उद्योग विभाग द्वारा संबोधित किया जाएगा। विस्तार से, उद्योग मंत्री आर. आई. आई. सी. ओ. के कामकाज को प्रभावित करने वाले निर्णयों को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार नोडल प्राधिकरण होंगे। चूंकि उद्योग मंत्री को मंत्रिमंडल समिति में शामिल नहीं किया गया था और अंतिम निर्णय लेते समय शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उनकी अनुपस्थिति 03.08.2019 पर लिए गए निर्णय को दूषित करती है।

84. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दिए गए व्यावसायिक राहत नियमों के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

" भाग-II व्यवसाय का स्थान और निपटान

4. सरकार का कार्य पहली अनुसूची में निर्दिष्ट सचिवालय विभागों में किया जाएगा और उन विभागों के बीच वर्गीकृत और वितरित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया गया है।

वहाँ नीचे।

7. राज्यपाल को दी गई सभी सलाहों के लिए और इन नियमों के अनुसार राज्यपाल के नाम से जारी किए गए सभी कार्यकारी आदेशों के लिए भी परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी, चाहे ऐसी सलाह दी गई हो या ऐसे आदेश किसी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा अपने पोर्टफोलियो से संबंधित मामले पर या परिषद की बैठक में चर्चा के परिणामस्वरूप अधिकृत किए गए हों।

उसकी समिति या फिर चाहे जो भी हो।
9. नियम 7 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी विभाग का प्रभारी मंत्री या प्रभारी राज्य मंत्री मुख्य रूप से संबंधित व्यवसाय के निपटारे के लिए जिम्मेदार होगा।

उस विभाग को "।

85. हालाँकि, हम प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रखी गई दलीलों से सहमत होने में असमर्थ हैं। हमें ऐसा लगता है कि व्यापार के नियमों में

काफी हद तक अनुपालन किया गया। पिछली सरकार के दौरान आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के लिए पूरे मंत्रिमंडल को आई. डी. 1 पर बुलाया गया था। इनमें पूरक पट्टे और विशंभर प्रसाद बनाम शामिल थे।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 को संबद्ध अनुमतियाँ। मंत्रिमंडल, जिसमें उद्योग मंत्री भी शामिल थे, ने इन कथित अनियमितताओं की जांच के लिए तीन उप-समितियों का गठन किया।

एक अंतर-विभागीय समिति के साथ। उद्योग मंत्री से आर. आई. आई. सी. ओ. से संबंधित प्रत्येक व्यक्तिगत मामले को देखने की अपेक्षा नहीं की जाती है क्योंकि इससे सरकार का पूरा काम-काज अव्यवहारिक हो जाएगा। जिस अनुच्छेद 166 (3) के तहत कार्य के नियम बनाए गए हैं, उसके पीछे का इरादा इस न्यायालय द्वारा गुलाबराव केशवराव पाटिल और अन्य मामलों में संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया गया है। वी. गुजरात राज्य 24:

" 7 ..... अनुच्छेद 166 (1) और (2) में स्पष्ट रूप से सभी कार्यकारी कार्रवाई के प्रमाणीकरण की परिकल्पना की गई है और इसे राज्यपाल के नाम पर लिया जाना व्यक्त किया जाएगा और राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किया जाएगा। अनुच्छेद 166 (3) के तहत, राज्यपाल को राज्य सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक लेन-देन के लिए नियम बनाने और उनके बीच आवंटन के लिए अधिकृत किया गया है।
उक्त कार्य के मंत्री, जहाँ तक कि यह ऐसा कार्य नहीं है जिसके संबंध में राज्यपाल द्वारा या उसके अधीन है।

संविधान को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है।

86. लालाराम और ओआरएस में एक और निर्णय। बनाम जयपुर

विकास प्राधिकरण और अन्य। 25 निम्नलिखित भी निर्धारित किया गयाः

" 104 ..... इस प्रकार, अनुच्छेद 166 (3) के मामलों के अधिक सुविधाजनक लेनदेन के लिए व्यवसाय के नियमों के निर्माण को अनिवार्य करता है।

सरकार ने। खंड (1) उसके अनुरूप की गई कार्यकारी कार्रवाई की अभिव्यक्ति के तरीके को निर्धारित करता है और

खंड (2) परिणामी आदेशों और उपकरणों के प्रमाणीकरण के तरीके को निर्धारित करता है। शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद को सौंपी गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 166 (3) के तहत बनाए गए कार्य नियम, मंत्रियों के बीच आवंटन द्वारा सरकार के मामलों के सुविधाजनक लेनदेन के लिए थे।

प्रशासन में उनकी सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करता है

राज्य का शासन। कार्यपालिका की यह योजना

कार्य करना, निश्चित रूप से इस प्रकार, के साथ संगत है

उसके संबंध में संवैधानिक आदेश, इस्पात का प्रतिरूपण

राज्य तंत्र का ढांचा "।

24 (1996) 2 एससीसी 26. 25 (2016) 11 एससीसी 31.

23] 7 एस सी आर।

व्यवसाय के नियमों में इस भावना का भी समावेश है, जिसमें यह मंत्रिपरिषद द्वारा सामूहिक शासन की वकालत करता है राज्यपाल को की गई सिफारिशें। परिषद सामूहिक रूप से थी

आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा किए गए कार्यों सहित पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए उप-समितियों का गठन करने के निर्णय में शामिल।

89. एम. आर. एफ. (सुप्रा) में निर्णय ने गोवा के व्यापार नियमों के निर्माण के आधार पर अपना अंतिम निष्कर्ष तैयार किया और केवल

नियमों की व्याख्या करने के बाद, आसुत वित्त विभाग से हस्ताक्षर की प्रकृति अनिवार्य थी। हमारे मामले में, उद्योग मंत्री की ओर से हस्ताक्षर पर दिए गए प्राधिकरण से स्पष्ट है

01.01.2019 पूर्ववर्ती सरकार और आर. आई. आई. सी. ओ. के निर्णयों पर गौर करने के लिए उप-समिति को। इसलिए, वर्तमान मामले में व्यापार के नियमों के पीछे की भावना का पालन किया गया है।

90. हम एक बार फिर इस बात पर जोर देते हैं कि विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं की जांच के लिए समितियों का गठन करना मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय था। आर. आई. आई. सी. ओ. और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में गैर-मौजूद शक्तियों के कथित दुरुपयोग की जांच करने के लिए अधिकृत विशिष्ट समिति, संपूर्ण समिति की रचना थी।

उद्योग मंत्री सहित परिषद। इस संदर्भ में उप-समिति के कार्यों को मंत्री द्वारा पूरी तरह से मान्य और समर्थित किया गया था। और बाकी परिषद। इस प्रकार, यह मानना मुश्किल है कि राज्य सरकार ने अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान कार्य नियमों का पालन नहीं किया है।

सी. 6 वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत है और

प्रोमिसरी एस्टोपेल प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में आवेदन करता है? 91. इस संबंध में एक अतिरिक्त बिंदु सिद्धांतों की अप्रयोज्यता है।

बाधा और वैध अपेक्षाओं का। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रासंगिक क्यों नहीं होंगे, इस पर हमारे विश्लेषण के अनुरूप, ये बचाव, बिशंभर प्रसाद बनाम।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

इसी तरह, आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा पारित अवैध कार्यों या आदेशों के बल पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कोई सरकारी कार्रवाई या आदेश नहीं है जो किसी भी स्थिति को जन्म दे सके।

वैध अपेक्षाएँ। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा पूरक पट्टा विलेख का निष्पादन, भूमि और उपखंड के उपयोग को परिवर्तित करने के लिए उसके पक्ष में परिचर अनुमतियों के साथ, उनके बीच की गई कार्रवाई है। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कई अवसरों पर वैध अपेक्षाओं की रूपरेखा निर्धारित की है, साथ ही उन परिदृश्यों पर टिप्पणी की है जहां वे लागू नहीं होते हैं। बन्नारी अम्मान शुगर लिमिटेड बनाम. वाणिज्यिक कर अधिकारी और Ors.26 की राय थी किः

" 8 ..... आम तौर पर यह सहमति है कि 'वैध अपेक्षा' आवेदक को न्यायिक समीक्षा के लिए पर्याप्त अधिकार देती है और

कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत ज्यादातर किसी निर्णय से पहले निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार तक सीमित होना, जिसके परिणामस्वरूप किसी वादे को अस्वीकार किया जाता है या किसी वचन को वापस लिया जाता है। यह सिद्धांत प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे राहत का दावा करने की गुंजाइश नहीं देता है क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट अधिकार शामिल नहीं है। इस तरह की वैध अपेक्षा के संरक्षण के लिए अपेक्षा की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है जहां एक प्रमुख सार्वजनिक हित अन्यथा की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, जहां किसी व्यक्ति की वैध अपेक्षा एक विशेष निर्णय लेने से पूरी नहीं होती है, तो निर्णय निर्माता को कुछ ओवरराइडिंग दिखाकर ऐसी अपेक्षा के इनकार को उचित ठहराना चाहिए। जनहित "।

92. भारतीय खाद्य निगम बनाम। कामधेनू पशु चारा उद्योग 27, इस न्यायालय ने यह भी नोट किया कि वैध अपेक्षाएं नहीं हो सकती हैं

स्वयं रक्षात्मक अधिकारों को जन्म देते हैं, लेकिन केवल मध्यस्थ निर्णय लेने के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं जो इन हितों को ध्यान में नहीं रखता है। न्यायालय ने रेखांकित कियाः

" 8. ऐसी स्थिति में एक नागरिक की केवल उचित या वैध अपेक्षा, अपने आप में लागू करने योग्य अधिकार को अलग नहीं कर सकती है, लेकिन इस पर विचार करने और इसे उचित महत्व देने में विफलता निर्णय को मनमाना बना सकती है, और इस तरह एक वैध अपेक्षा पर उचित विचार करने की आवश्यकता इसका हिस्सा है।

26 (2005) 1 एससीसी 625। 27 (1993) 1 एससीसी 71।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गैर-मनमानेपन का सिद्धांत, कानून के शासन का एक आवश्यक सहवर्ती। प्रत्येक वैध अपेक्षा एक प्रासंगिक कारक है जिसके लिए एक निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित विचार की आवश्यकता होती है। क्या दावेदार की अपेक्षा उचित है

या संदर्भ में वैध प्रत्येक मामले में तथ्य का सवाल है। जब भी प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसका निर्धारण दावेदार की धारणा के अनुसार नहीं बल्कि व्यापक सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य अधिक महत्वपूर्ण विचार दावेदार की वैध अपेक्षा से अधिक हो सकते हैं। इस तरह से किए गए सार्वजनिक प्राधिकरण के एक प्रामाणिक निर्णय से संतुष्ट होगा गैर-मनमानेपन की आवश्यकता और न्यायिक जांच का सामना करना। वैध अपेक्षा का सिद्धांत कानून के शासन में आत्मसात हो जाता है और इस तरह से और इस हद तक हमारी कानूनी प्रणाली में काम करता है।

93. कानून के इस समावेशन से, हमारे लिए यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कोई वैध अपेक्षा उत्पन्न नहीं हो सकती थी। राज्य द्वारा कोई अंतर्निहित या स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था

सरकार ने भूमि के रूपांतरण के लिए अपने अनुरोध के पक्ष में, न ही भूखंडों के उप-विभाजन के लिए। आर. आई. आई. सी. ओ. ने पूरी तरह से असमर्थनीय तरीके से पट्टेदार की भूमिका को बिना किसी अधिकार के संभाला और आवश्यक अनुमतियाँ जारी कीं। जाहिर है, इस तरह की मंजूरी के पास खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं थे क्योंकि वे किसी भी कानून के बल से रहित थे। एल. आई. ए., कोटा का पट्टेदार राज्य सरकार थी। जब इकाई प्रयोग करने का इरादा रखती है

वचन अपने पक्ष में रोकता है। 94. इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (सुप्रा) के मामले में इस अदालत ने कहा था कि अन्य प्रमुख सार्वजनिक हित इस मामले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

उच्चतम, प्रतिवादी संख्या 1 जैसी निजी संस्था के उद्देश्य औद्योगिक के पीछे के बड़े सार्वजनिक हित से अधिक नहीं हो सकते हैं। भूमि का विकास। प्रत्यर्थी संख्या 1 को 1959 के नियमों की अवहेलना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो भूमि पर लागू होते हैं और जो औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग को अनिवार्य करते हैं, बशर्ते कि -

राज्य सरकार द्वारा अनुमत परिवर्तन।

बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

95. इसी तर्क पर, अपीलार्थियों के खिलाफ काम करने वाला कोई वचन-भंग नहीं हो सकता है। इस संबंध में, इस द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

मोतीलाल पदमपत (सुप्रा) में दरबार पुनरुत्पादन के योग्य हैः

यदि सरकार को वादे को पूरा करने की आवश्यकता होती है, तो न्यायालय को एक नागरिक से किए गए वादे को पूरा करने में सरकार में सार्वजनिक हित को संतुलित करना होगा, जिसने नागरिक को उस पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है और इसके बाद यदि वादा किया जाता है तो पद और सार्वजनिक हित प्रभावित होने की संभावना है

सरकार द्वारा किए जाने की आवश्यकता थी और

यह निर्धारित करें कि इक्विटी किस तरफ है। सरकार के लिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि जनहित की आवश्यकता है कि सरकार को इस कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

वादा या कि सार्वजनिक हित को नुकसान होगा यदि

सरकार को इसका सम्मान करना आवश्यक था।

96. इसलिए, सार्वजनिक हित का पर्यवेक्षण, जैसा कि हम पहले ही ऊपर विस्तार से बता चुके हैं, वचन बहिष्कार के आह्वान के खिलाफ वीटो के रूप में कार्य करता है। इन आधारों पर भी, प्रत्यर्थी संख्या 1 पूरक पट्टा विलेखों को जारी रखने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

97. हमारा निष्कर्ष, निर्विवाद रूप से, यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 किसी भी वैध अपेक्षा या वचन उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता है। पूरक पट्टा विलेख और संबंधित अनुमतियों को आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा निष्पादित किया गया था, जिसके पास ऐसा करने का कोई अधिकार और शक्ति नहीं थी। एल. आई. ए., कोटा में भूमि का उपयोग राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए औद्योगिक उद्देश्यों के लिए या किसी भी संशोधित उद्देश्य के लिए, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में अनुमति दी जा सकती है, इसके साथ संयुक्त रूप से हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी [2023] 7 एस. सी. आर.

नं. 1 के पास पूरक पट्टा विलेखों को रद्द करने के खिलाफ कोई और वैध बचाव नहीं है।

सी. 7 क्या अपीलार्थी संघ राहत के हकदार हैं?

98. एक मुद्दा जो हमारे विचार के लिए बचा है वह अपीलार्थी संघों के संबंध में है। हम हितों के प्रति ग्रहणशील और संवेदनशील हैं। इस संबंध में श्रमिकों की संख्या, विशेष रूप से यह देखते हुए कि एएआईएफआर योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी लागू नहीं हुआ है। अपीलकर्ता संघों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों द्वारा हमें सूचित किया गया है कि 2007 के हस्तांतरण पट्टा विलेखों को चुनौती देने वाली एक पूर्व याचिका, जिसके तहत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को सौंपी गई थी, अभी भी राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। स्वाभाविक रूप से, इस कार्यवाही का प्रभाव बाद में होने वाली हर चीज के संबंध में एक झटका होगा, यदि उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करना था कि स्थानांतरण पट्टे अमान्य थे।

99. इसके बावजूद, हमारे पास इस मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है, और हमारे लिए ऐसा करना अनुचित होगा।

कोई भी मामला, विशेष रूप से जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो।

इस प्रकार, उच्च न्यायालय श्रमिकों की याचिका पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा, जो राज्य सरकार, आर. आई. आई. सी. ओ. और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विवाद के संदर्भ में इस निर्णय में हमने जो कुछ भी माना है, उससे अप्रभावित है। उसी सांस में, हम विभिन्न मंचों के समक्ष व्यक्तिगत श्रमिकों द्वारा दायर अन्य याचिकाओं पर टिप्पणी करने से भी बचते हैं। ये कार्यवाही जारी रह सकती हैं और अंततः कानून के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है।

100. हम ध्यान देते हैं कि जे. के. एस. एल. के बीच त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हुए 21 साल बीतने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 1

और 2002 में श्रमिक संघों, और 2007 में हस्तांतरण पट्टा विलेखों पर हस्ताक्षर किए जाने के 16 वर्षों के बाद, एल. आई. ए., कोटा निष्क्रिय रहा है। क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन को फिर से शुरू करने का उद्देश्य, जैसा कि ए. ए. आई. एफ. आर. पुनर्वास योजना द्वारा परिकल्पित है और 2002 की बस्तियों के आधार पर आवश्यक है, पहुंच से बाहर है। इससे जेकेएसएल के पूर्व कर्मचारियों को होने वाले नुकसान के साथ-साथ राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को कम करके नहीं आंका जा सकता है। जबकि हम ए. ए. आई. एफ. आर. योजना के कार्यान्वयन का निर्देश या आदेश देने की स्थिति में नहीं हैं, हम इस न्यायालय के पहले के आदेशों को याद करते हैं जिन्होंने श्रमिक संघों की एस. एल. पी. को खारिज कर दिया था, और बाद में आई. डी. 1 और आई. डी. 2 पर समीक्षा याचिकाओं को, लेकिन इस नोट के साथ कि पुनर्वास योजना को लागू किया जाना चाहिए।

बिशंभर प्रसाद बनाम। एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

101. यह देखते हुए कि उच्चतम न्यायालय के पहले के आदेशों में पहले ही कहा जा चुका है कि प्रतिवादी संख्या 1 एक बीमार औद्योगिक कंपनी नहीं है और यह निर्णय समीक्षा याचिकाओं को खारिज करने के साथ अंतिम हो गया है, अब एस. आई. सी. ए. में वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि, हम इस जटिल मुद्दे का एक व्यवहार्य समाधान खोजने के महत्व पर फिर से जोर देते हैं।

102. हम ए. ए. आई. एफ. आर. योजना के कार्यान्वयन के संबंध में इस न्यायालय द्वारा की गई पिछली टिप्पणियों को दोहराते हैं। इसका उद्देश्य

2007 के मूल हस्तांतरण पट्टा विलेख जिन पर हस्ताक्षर किए गए थे

1959 के नियमों के तहत भूमि के उपयोग में बदलाव के अधीन औद्योगिक विकास के लिए भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए।

103. हालाँकि, साथ ही, अपीलकर्ता संघों के लिए हमारी सहानुभूति के संदर्भ में किसी भी ठोस राहत में परिवर्तित नहीं हो सकती है

बकाया जो वे चाहते हैं। हम इस संदर्भ में उनकी प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिए उचित स्थिति में नहीं हैं। इसके बजाय, हम अपीलकर्ता संघों को कानून द्वारा अनुमत उपयुक्त सरकार और अन्य मंचों से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ताकि वे अपने-अपने बकाया की मांग कर सकें। हम एक बार फिर स्पष्ट करते हैं कि हमने इस खंड के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

विवाद।

D. निष्कर्ष

104. हमारा अंतिम विश्लेषण यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और आर. आई. आई. सी. ओ. के बीच हस्ताक्षरित पूरक पट्टे अस्थिर हैं। RIICO ने किया इन समझौतों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एल. आई. ए., कोटा में भूमि राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण में रही।

जेकेएसएल के साथ हस्ताक्षरित पहले पट्टे से लेकर वर्तमान तिथि तक सरकार निर्बाध रूप से काम कर रही है। प्रत्यर्थी संख्या 1 भी इस तथ्य से अवगत था

जे. के. एस. एल. में कदम रखने के बाद 2007 में कलेक्टर, कोटा के साथ 7 हस्तांतरण पट्टा विलेखों में प्रवेश करने से यह स्पष्ट हो गया।

105. जेकेएसएल के साथ पट्टों को 1959 के नियमों के तहत निष्पादित किया गया था जो लागू रहे और इसमें कभी भी कोई अधिकार निहित नहीं था।

आर. आई. आई. सी. ओ. ने एल. आई. ए., कोटा में भूखंडों के रूपांतरण और उप-विभाजन के लिए और प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ पूरक पट्टा विलेखों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति जारी की है। आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा लिए गए निर्णयों को दरकिनार करने या निर्देश देने में अपीलार्थियों की कार्रवाई में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं है। 2018 के पूरक पट्टों को रद्द करना। इसलिए, हम पूरक विलेखों को रद्द करने और अनुमोदनों को रद्द करने का समर्थन करते हैं।

भूमि के रूपांतरण और भूखंडों के उप-विभाजन के लिए।

106. हालाँकि, यह प्रतिवादी संख्या 1 को राज्य सरकार से फिर से संपर्क करने और 1959 के नियमों के तहत भूमि के उपयोग और परिचर अनुमोदन के रूपांतरण की मांग करने से नहीं रोकेगा। राज्य

सरकार जनहित में और 1959 के नियमों के अनुसार ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी।

107. अपीलकर्ता संघों के संबंध में, हम श्रमिक संघों द्वारा की गई मांगों में प्रवेश करना हमारे लिए समीचीन नहीं मानते हैं।

जेकेएसएल के कर्मचारियों का बकाया। हम अपीलकर्ता संघों की प्रार्थनाओं की सामग्री पर कोई विचार व्यक्त नहीं करते हैं, और उनके लिए उचित सरकार और न्यायपालिका से कानून के तहत अपने उपचार की मांग करने के लिए इसे खुला छोड़ते हैं।

मंच।

108. हम अपने समग्र निष्कर्षों को निम्नलिखित में संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं -

बिन्दुः

एक निर्बाध और स्थायी संबंध रहा है।

ए.

एल. आई. ए., कोटा के संदर्भ में राज्य सरकार और जे. के. एस. एल. या प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच पट्टेदार और पट्टेदार। 1967 में निष्पादित पहले पट्टा विलेख से, आज तक, राज्य सरकार ने पट्टेदार का पद बनाए रखा है।

बी.

जेकेएसएल के साथ पट्टा, और उसके बाद जेकेएसएल के साथ सभी पट्टा

और/या प्रतिवादी संख्या 1 पर 1959 के नियमों के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। पट्टे की शर्तें स्पष्ट रूप से अनुपालन में हैं। 1959 के नियमों के साथ;

सी.

एल. आई. ए., कोटा में भूमि कभी भी आर. आई. आई. सी. ओ. को हस्तांतरित नहीं की गई थी। सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 के तहत। राज्य सरकार ने हमेशा इस क्षेत्र का स्वामित्व और स्वामित्व बनाए रखा है।

यह भूमि कभी भी आर. आई. आई. सी. ओ. को पट्टे पर नहीं दी गई थी।

डी.

1959 के नियमों के नियम 11 ए के तहत। इस प्रकार, आर. आई. आई. सी. ओ. को कभी भी स्पष्ट रूप से कोई पट्टा अधिकार नहीं दिया गया था, और न ही इसका कोई अधिकार था। 1959 के नियमों के नियम 12 के तहत अन्य संबंधित शक्तियों के साथ भूमि को आगे उप-पट्टे पर देने का अधिकार;

किसी भी मामले में, 1959 के नियमों के नियम 11 ए का कोई महत्व नहीं है।

ई.

क्योंकि नियम बी. एच. ए. आर. प्रसाद v. के लागू होने के बाद पट्टे के आधार पर आर. आई. आई. सी. ओ. को भूमि का एक स्पष्ट आवंटन होना था।

एम/एस। आर्फेट पेट्रोकेमिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [सूर्या कान्ट, जे।]

11 ए और 12। आर. आई. आई. सी. ओ. के पक्ष में ऐसा कोई स्पष्ट आवंटन कभी नहीं किया गया था। 1979 के नियम वैधानिक प्रकृति के नहीं हैं। 1959 के नियमों के नियम 12 में 1979 के नियमों का संदर्भ, पूर्व को कोई वैधानिक मान्यता नहीं देता है;

इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। भूमि के रूपांतरण और भूखंडों के उपखंड के लिए अनुमति देने का पूरा आधार, 1979 के नियमों के तहत आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा एल. आई. ए., कोटा के पट्टेदार के रूप में कार्य करने की शक्ति की गलत धारणा पर था। आर. आई. आई. सी. ओ. को कभी भी भूमि पर कोई पट्टा अधिकार नहीं दिया गया था। जब किसी पक्ष द्वारा प्राप्त लाभ का आधार स्वयं अमान्य हो जाता है, तो पक्ष को सुनवाई का मौका देने का कोई सवाल ही नहीं है। राज्य सरकार आर. आई. आई. सी. ओ. के ए. ओ. ए. के अनुच्छेद 138 के तहत आदेश को रद्द करने के लिए निर्देश जारी करने में सक्षम थी।

पूरक पट्टा विलेख और परिचर अनुमतियाँ। यह पूरी तरह से संघ के अनुच्छेद 138 के दायरे में आता है।

राजस्थान कार्य नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि उप-समिति जिसने प्रत्यर्थी संख्या 1 को अनुमतियों/अनुमोदनों को रद्द करने की सिफारिश की थी, वह पूरी मंत्रिपरिषद के लिए और उसकी ओर से कार्य कर रही थी। इसलिए, व्यवसाय के नियमों का पालन किया गया;

केवल एल. आई. ए., कोटा, जो कि राज्य सरकार है, के सही पट्टेदार के साथ। इसके अलावा, जनहित इन दोनों सिद्धांतों को पीछे छोड़ देता है, और किसी निजी पक्ष की सहायता के लिए नहीं आ सकता है। जब समाज के व्यापक हित शामिल हों;

अपीलकर्ता संघों और कार्यकर्ताओं को कानून के अनुसार अपने उपायों को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त सरकार और विभिन्न न्यायिक मंचों से संपर्क करने की स्वतंत्रता है।

ए.

109. राजस्थान राज्य और आर. आई. आई. सी. ओ. द्वारा अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है; जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 20.07.2021 के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। नतीजतन, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को इस निर्णय के पैरा 106 में दी गई स्वतंत्रता को छोड़कर खारिज कर दिया जाता है।

बी.

110. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

से।

बिभूति भूषण बोस

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)